खण्ड-202, अंक-8
सोमवार, 18 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(9 मार्च, 1959 ई0)

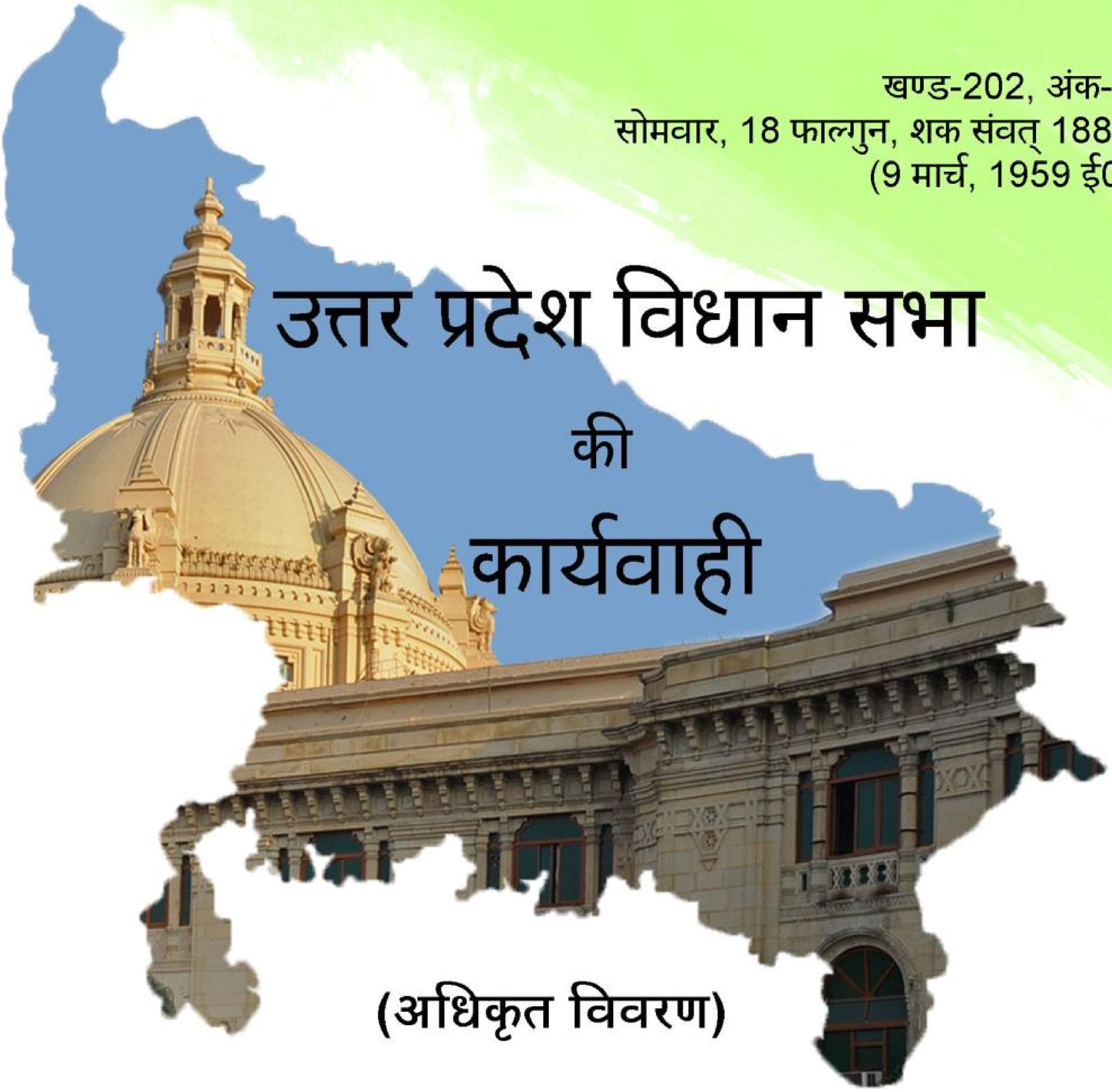

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 202 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५९

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ९ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३८४

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्त राम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती,
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जर्रार जाफ़री, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
इन्दु भूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदय शंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फत सिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमल कुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमार सिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयाली राम, श्री
खूब सिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगा प्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जू राम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गया प्रसाद, श्री

गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीश नारायण, श्री
जगदीशनारायण दत्त सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेव सिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजा सिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त सिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद, मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्दसिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री

प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुर सिंह, श्री
प्रतापभान प्रकाश सिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेह सिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बिन्दुमतीदास, श्रीमती
बिशम्बर सिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजभूषण शरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्ना लाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखान सिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुट विहारीलाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद फारुक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुर सिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीर सिंह, श्री (एटा)
रघुवीर सिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुर सिंह, श्री
रमा कान्त सिंह, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पान्डेय, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री

राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखन सिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
राम स्वरूप यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रफ़ीउद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मी नारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण वंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
बजरंगबिहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशाल सिंह, श्री
विश्राम राय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री
ब्रजगोपाल सक्सेना, श्री
ब्रज बिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शकुंतला देवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव गोपाल तिवारी, श्री
शिव प्रसाद, श्री (देवरिया)
शिव प्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमूर्ति सिंह, श्री
शिवराज बली सिंह, श्री
शिवराज बहादुर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री

श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्यवती देवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वती देवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानी देवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखोराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुर शाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूरतचन्द्र रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेश बहादुर, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त कान्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहर बख्श सिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ९ मार्च, १९५९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

सचिवालय में सहायक सचिवों को कार्यकाल-वृद्धि देने की जानकारी

**१--श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ के सरकारी सचिवालय में कितने असिस्टेंट सेक्रेटरी ऐसे हैं जिनकी ५८ वर्ष की आयु के उपरान्त अब सरकार उन्हें एक्स्टेन्शन देने पर विचार कर रही है ?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--इस समय सरकार किसी भी सहायक सचिव को ५८ वर्ष की आयु के उपरान्त कार्यकाल वृद्धि (extension) देने पर बिचार नहीं कर रही है ।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पी० ए० सी०

**२--श्री रामायणराय (जिला देवरिया)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में पी० ए० सी० अब तक नियुक्त रखने का कारण क्या है ?

गृह मत्री के सभासचिव (श्री इस्तफा हुसैन)--काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में पी० ए० सी० विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के प्रार्थना पर शान्ति व सुव्यवस्था रखने के लिये भेजी गई थी तथा कार्यकारिणी के अनुरोध पर ही अभी तक वहां नियुक्त है ।

श्री रामायणराय--कितने काल के लिये पी० ए० सी० वहां गयी थी ?

नोट--अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ श्री प्रतापसिंह ने पूछा ।

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---कोई अवधि तो नहीं दी हुई है। वहां की स्थिति को देखते हुए जब तक वे रखना चाहते हैं तब तक के लिये वहां है।

श्री प्रताप सिंह---क्या गृह मंत्री जी कृपा कर के बतायेंगे कि अब वहां शान्ति स्थापित है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---किसी उपद्रव की तो कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री प्रताप सिंह---जब किसी उपद्रव की सूचना नहीं मिली तो क्या माननीय गृह मंत्री जी वहां से पी० ए० सी० को वापस बुलाने की कृपा करेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पी० ए० सी० वहां एग्जीक्युटिव कौंसिल की मांग पर भेजी गयी थी और अभी वह उसको वहां रखना चाहती है। तो जब तक वह रखना चाहती है तब तक वह वहां है।

श्री रामायणराय---परीक्षा काल के महत्व को देखते हुए क्या सरकार वहां से पी० ए० सी० को हटाने की कृपा करेगी ?

श्री अध्यक्ष---इसका उन्होंने जवाब दे दिया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि कार्यकारिणी ने पी० ए० सी० को बनाये रखने का अनुरोध कब किया था ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---तारीख तो मुझे स्मरण नहीं है, लेकिन मेरा खयाल है कि महीना डेढ़ महीना पहले की बात है कि जब उनसे पूछा भी गया था तो उन्होंने कहा था कि अभी रहना चाहिये।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या माननीय गृह मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि अब भी ऐसी कौन-सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण पी० ए० सी० का रखना वांछनीय हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---अभी विश्वविद्यालय के शायद सारे विभाग खुले भी नहीं हैं। कदाचित आयुर्वेदिक कालेज खुलने वाला था। वह खुल गया है या नहीं, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन पूरी तरह से स्थिति एग्जीक्युटिव कौंसिल की दृष्टि से साधारण नहीं थी इसीलिये वह वहां पड़ी हुई है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या गृह मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पी० ए० सी० की कितनी टुकड़ियां विश्वविद्यालय के अन्दर हैं और वे किन-किन स्थानों पर नियुक्त की गयी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---स्थान का पता तो मैं यहां से नहीं बता सकता, लेकिन एक प्लाटून और एक कम्पनी है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या सरकार ने इस पर विचार किया है कि अब इस डेढ़ महीने के बाद वहां पर पी० ए० सी० की कोई आवश्यकता नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मैंने आपसे निवेदन किया कि उनकी मांग पर वह वहां भेजी गयी थी और ऐसा कुछ लिखा-पढ़ी में तो नहीं, लेकिन अक्सर उनसे बात होती रहती है इस सम्बन्ध में कि वह हटा ली जाय और हमारी इच्छा यही है कि जल्द से जल्द पी० ए० सी० वहां से हटा ली जाय।

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---अभी मंत्री जी ने कहा कि वहां कोई उपद्रव नहीं हुआ, तो कितने दिनों से वहां कोई उपद्रव नहीं हुआ ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जब उपद्रव हुआ था तो उसके बाद दो घंटे का विवाद हो चुका है कार्य-स्थगन प्रस्ताव द्वारा लेकिन इसके बाद किसी उपद्रव की मुझे कोई सूचना नहीं है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि अब इसको वहां रखने की उनकी मांग उचित है या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, अवश्य करूंगा ।

सेक्रेटेरिएट रिआर्गेनाइजेशन से संबंधित विभागों का प्रबंध

****३---श्री त्रिलोकी सिंह** (जिला लखनऊ)---क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा, वन और सिंचाई विभाग में सेक्रेटेरियेट रिआर्गेनाइजेशन योजना के समाप्त होने के कारण उन विभागों के कार्यों को चलाने के लिये सेक्रेटेरियट में क्या परिवर्तन किये जा रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---शिक्षा, वन और सिंचाई विभागों में योजना के अनुसार जितने पद कम होने चाहिये थे वे सब तो कम नहीं हो सके थे । कुछ पद कम किये गये थे और अब उस योजना के समाप्त होने पर उनका पुनः सृजन कर दिया गया है । और कोई परिवर्तन सेक्रेटेरियट में नहीं किया गया है ।

श्री प्रताप सिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पुनःसृजन करने में बाहर से लोग लिये गये हैं या सेक्रेटेरियेट के ही लोग हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---मैं निश्चयपूर्वक तो नहीं कह सकता, लेकिन मेरा खयाल है कि बाहर से लोग नहीं आये होंगे ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या जो सेक्रेटेरियट के लिये रिआर्गेनाइजेशन की स्कीम थी वह दूसरे विभागों के लिये भी ड्राप कर दी गई है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जहां इसका प्रयोग हुआ है वह वहीं से हट गई है तो और विभागों में उसको बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या जो कलेक्टरेट में रिआर्गेनाइजेशन हुआ है वह भी वहां से हटा दिया गया है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---वह दूसरी चीज है और ज्यों की त्यों चल रही है ।

अछनेरा टाउन एरिया के चेयरमैन श्री शिवप्रसाद गुप्त की हत्या

****४---श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि आगरा से २० मील दूरी पर अछनेरा ग्राम के टाउन एरिया के चेयरमैन श्री शिवप्रसाद गुप्ता को हाल ही में जान से मार डाला गया ?

श्री इस्तफा हुसैन---जी हां । दिनांक १-३-५९ को जिला आगरा के थाना अछनेरा के अन्तर्गत अछनेरा टाउन एरिया के चेयरमैन श्री शिव प्रसाद अग्रवाल की हत्या की गई ।

****५---श्री कल्याणचन्द मोहिले**---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इस कत्ल में कितने आदमियों की गिरफ्तारी हुई ?

श्री इस्तफा हुसैन---उक्त हत्या के मामले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्रीजी बतायेंगे कि इस हत्या की एफ० आई० आर० हुई थी ? यदि हां, तो क्या थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, इस प्रश्न पर अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि एक स्टेटमेंट सदन में प्रस्तुत किया जा चुका है ।

श्री अध्यक्ष---तारांकित प्रश्न के माने ही यह हैं कि वह पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। जो प्रश्न पूछा गया है, आप कह देते कि पिछली मर्तबा जवाब दे दिया गया है तो इतना ही काफी होता। लेकिन पूरक प्रश्न पूछने के लिये आप उन्हें नहीं रोक सकते हैं।

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी हां, रिपोर्ट लिखाई गई थी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो एफ० आई० आर० लिखी गई थी उसमें और पोस्ट मार्टम में भिन्नता है ?

श्री इस्तफा हुसैन---पोस्ट मार्टम की अभी कोई जानकारी यहां नहीं है।

श्री रामायण राय---कुछ समाचार-पत्रों में यह आया था कि इस हत्या का कारण राजनीतिक है। इसको देखते हुए सरकार जांच करायेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मामले की जांच हो रही है और एक व्यक्ति गिरफ्तार भी किया गया है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या यह सही है कि अग्रवाल साहब (कांग्रेस के उम्मीदवार) को दो मर्तबा चेयरमैन के चुनाव में हराया गया था और क्या यह सही है कि इसमें विरोधी दल का हाथ था ?

श्री अध्यक्ष---मैं इतने ब्योरे के प्रश्न के लिये इजाजत नहीं दूंगा। जब कि मामला अदालत के सुपुर्द है तो आप इतनी जिरह नहीं कर सकते।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पोस्ट मार्टम हुआ या नहीं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---पोस्ट मार्टम अवश्य हुआ होगा लेकिन रिपोर्ट नहीं आई।

कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का आयोजन

६---श्री नारायणदत्त तिवारी---उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के स्थापित किये जाने हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है और विश्वविद्यालय के कब तक परिचालित हो जाने की आशा है ?

सहकारिता मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई जुलाई, १९६० से आरम्भ करने का प्रस्ताव है। इस उद्देश्य से आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में कितने भवनों का निर्माण हो चुका है और कितना खर्चा हुआ है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसका ब्यौरा तो इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन इसमें मुख्यतः इमारतें बनाने पर ही खर्चा हुआ है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो यह कहा कि आवश्यक कार्यवाही की जा रही है वह आवयक कार्यवाही क्या है, उसकी मोटी-मोटी बातें बता दें ?

श्री मोहनलाल गौतम---जैसा सदन को मालूम है ऐक्ट पास हो चुका है। एक ऐडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हो चुका है और एक डेवलपमेंट ऐडवाइजरी कमेटी बनायी जा चुकी है, इमारतें बन रही हैं, और गवर्नमेंट आफ इंडिया तथा टी० सी० एम० से बातचीत होती रहती है समय-समय पर।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि डेवलपमेंट ऐडवाइजरी कमेटी में कौन-कौन सदस्य हैं और ऐडमिनिस्ट्रेटर कौन हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—डेवलपमेंट ऐडवाइजरी कमेटी के प्रेसीडेंट हमारे मुख्य सचिव हैं और एडमिनिस्ट्रेटर जो सेक्रेटरी ऐग्रीकल्चर हैं, अभी शीघ्र ही चार्ज लेने वाले हैं वह जो कि अमेरिका गये थे और वह सब चीजें देख कर आये हैं उनको ऐडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना में जो विदेश से सहायता मिलने वाली थी १९५९ में ही, क्या उसके लिए वह अब भी आशान्वित ह ?

श्री मोहनलाल गौतम—अभी तक निराश होने की कोई वजह नहीं मालूम होती।

तारांकित प्रश्न

*१—**कुंवर श्रीपाल सिंह**—[राजस्व मंत्री से सम्बन्धित उन्नीसवें बुधवार के लिये प्रश्न संख्या ९५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

कपास की उपज बढ़ाने के लिए योजना

*२—**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि कपास की खेती को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार कुछ नई योजनायें चालू करने जा रही है ?

श्री मोहनलाल गौतम—जी हां। प्रदेश में कपास की खेती को प्रोत्साहित करने के लिये एक अग्रगामी योजना पिछले दो वर्षों से चल रही है।

*३—**श्री गनेशीलाल चौधरी**—यदि हां, तो वे योजनायें क्या हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—योजना के अन्तर्गत कपास का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिये, बुवाई के लिये कम दामों पर कपास के बीज तथा रासायनिक खाद देकर प्रत्येक यूनिट में ३०० से ४०० एकड़ नई भूमि पर कपास बुआने के लक्ष्य को पूरा करना है।

*४—**श्री गनेशीलाल चौधरी**—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त योजनायें प्रदेश के किन जिलों में लागू की जायेंगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—इस समय इलाहाबाद, फतेहपुर, जालौन, झांसी व हमीरपुर में काय हो रहा ह और यदि सफलता मिली तो यह कार्य कुछ अन्य जिलों में भी प्रारम्भ किया जा सकता है।

श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अग्रगामी योजना चल रही है उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री मोहनलाल गौतम—उसमें कपास की खेती बढ़ायी जा रही है।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि कपास का उत्पादन पिछले वर्ष से इस वर्ष घटा है ?

श्री मोहनलाल गौतम—अभी इस वर्ष के पूरे आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन यह सही ह कि वर्षा न जो खरीफ की हानि की थी उसमें कपास को करीब-करीब सब से अधिक नुकसान पहुंचा है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या माननीय कृषि मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि कपास की जो खेती बढ़ायी जा रही है उसके मानी यह हैं कि उसका रकबा बढ़ाया जा रहा है या प्रति एकड़ पैदावार बढ़ायी जा रही है या दोनों बातें की जा रही हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम—दोनों ओर प्रयास हो रहा है।

*५—श्री गनेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—[राजस्व मंत्री से सम्बन्धित १ अप्रैल, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या १० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

इलाहाबाद तथा वाराणसी की हाउसिंग अलाटमेंट समितियां

*६—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन नगरों में मकान एलाटमेंट द्वारा दिये जाते हैं ?

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)—प्रदेश की प्रत्येक नगरपालिका, नोटिफाइड एरिया तथा उन टाउन एरियाज में, जहां राज्य सरकार द्वारा रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट की धारा ७ (२) लागू की गई है, मकान एलाटमेंट द्वारा दिए जाते हैं।

*७—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन नगरों में मकान एलाटमेंट करने की कमेटी बनी है और उस कमेटी का निर्माण किस प्रकार से कौन करता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—प्रदेश के समस्त जिलों के हेड क्वार्टरों के अतिरिक्त रुड़की में मकान एलाटमेंट करने की कमेटी बनी है। इन कमेटियों का निर्माण राज्य-सरकार द्वारा जिलाधीशों की सिफारिशों पर किया जाता है।

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद तथा वाराणसी में कौन-कौन से सदस्य इस कमेटी में रक्खे गये हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इलाहाबाद तथा वाराणसी की कमेटियों के सदस्यों की सूची निम्नलिखित है :—

इलाहाबाद

१—जिलाधीश, इलाहाबाद—अध्यक्ष।
२—चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड, इलाहाबाद।
३—श्री डी० सी० चटर्जी, प्रिंसिपल, सी० ए० बी० कालेज, इलाहाबाद।
४—श्री शिव चरन लाल, ऐडवोकेट।
५—श्री शिवनाथ काटजू।

वाराणसी

१—जिलाधीश, वाराणसी—अध्यक्ष।
२—चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड, वाराणसी।
३—श्री के० एन० रजदन, प्रिंसिपल, क्वीन्स कालेज, वाराणसी।
४—श्री ऋषि नारायण शास्त्री।
५—श्री लाल बहादुर सिंह।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड का नाम क्या है जो इलाहाबाद में मेम्बर हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—उनके पद का है। नाम तो मेरे पास इस वक्त नहीं है।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सही है कि इलाहाबाद म्युनिसिपल बोर्ड सुपरसीडेड है और वहां कोई चेयरमैन नहीं है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहां।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि यह ऐडमिनिस्ट्रेटर महोदय हैं या चेयरमैन महोदय हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह जब बनी थी तब चेयरमैन साहब थे। मगर जो उस जगह पर काम करता है उसी का नाम होता है। ऐडमिनिस्ट्रेटर हैं आज कल।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह कमेटी जब से बनी है इलाहाबाद में, तब से कितनी मीटिंगें हुई हैं अब तक ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---यह तो जिले में बात होगी उनके रेकर्ड में। इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस मकान एलाटमेंट कमेटी में क्या विधायकों को भी रखने का कोई प्राविजन है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी नहीं। खास तौर पर नहीं है। अगर वह नामिनेट हो जायं तो दूसरी बात है, मगर वैसे है नहीं।

लोहे का कोटा

*९---**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि १९५७-५८ व १९५८-५९ में उत्तर प्रदेश को कुल कितना लोहा एलाट हुआ था और कितना प्राप्त हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---आंकड़े निम्नलिखित हैं :---

वर्ष	अवधि	निर्धारित कोटा टन	प्राप्ति टन
१९५७-५८ ..	(१) ५७-५८	६,६४०	७,९०२
	(२) ५७-५८	६,६४०	७,६७४
	(३) ५७-५८	६,६४०	८,७२२
	(४) ५७-५८	७,४४६	९,६६१
	योग ..	२७,३६६	३३,९५९
१९५८-५९ ..	(१) ५८-५९	७,६००	५,८०७
	(२) ५८-५९	७,२३८	६,८४२
	(३) ५८-५९	७,३००	५,२३८
	(४) ५८-५९	१२,४७५	..
	योग ..	३४,६१३	१७,८८७

प्राप्ति के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री मुक्तिनाथ राय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लोहे का कंट्रोल रेट क्या है प्रति टन और प्रदेश के व्यापारियों को बेंचने का प्रति टन क्या है ? सरकार ने कोई भाव निश्चित किया है इसमें ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---भाव तो निश्चित है। मगर इसके लिये सूचना की आवश्यकता है कि हर एक का अलग-अलग क्या है।

श्री गेंदासिंह---क्या खाद्य मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि जो निर्धारित कोटा था उसका सिर्फ आधा मिलने के कारण लोहे की कीमत बेहद बढ़ गई है ? उसका क्या उपाय सरकार कर रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसमें कोई शक नहीं कि कोटा हमारा बहुत कम है । हमने केन्द्रीय सरकार से इसकी बाबत लिखा-पढ़ी की और उन्होंने हाल ही में सरदार साहब ने पत्र भेजा है जिसमें २ हजार टन एक्स्ट्रा भी दिया है ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के लिए लोहे का कोटा बढ़वाने के लिए वह केन्द्रीय सरकार से लोहा लेने को तैयार हैं ?

श्री अध्यक्ष---वह तो ले ही रहे हैं लोहा । उसमें तो कोई बात है नहीं । आप जरा अपना प्रश्न साफ कर दीजिए ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या माननीय खाद्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लोहे का कोटा केन्द्रीय सरकार से बढ़वाने के लिए राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार स लोहा लेने के लिए तैयार है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---लोहा लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह तो दोनों का मिलजुल कर काम होता है ।

श्री गेंदासिंह---सरकार ने जब लिखा तो कृपापूर्वक सरदार साहब ने जवाब दे दिया कि लोहे का कोटा बढ़ा दिया जायगा और पहुंचा दिया जायगा । तो जब कमी मालूम हुई सरकार को तो पहले ही क्यों नहीं लिखा गया ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---नहीं, लिखा था । कई पत्र लिखे थे । मुझसे पहले जो मंत्री महोदय थे उन्होंने भी लिखा था । उस वक्त शायद उनके पास उपलब्ध नहीं था मगर फिर जब हमने दुबारा लिखा तो एडहाक तरीके से २ हजार टन उन्होंने दे दिया । उनके पास भी इतना लोहा नहीं है कि जो हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके फिर भी उन्होंने एडहाक तरीके से २ हजार टन दे दिया ।

बिजनौर जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

*१०---**श्रीमती चन्द्रावती** (जिला बिजनौर)---क्या सरकार कृपया यह बतायगी कि बिजनौर जिले में सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें खोली गई हैं और वे शहरी और देहाती क्षत्रों में कहां-कहां हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---बिजनौर जिले में सस्ते गल्ले की २७ दूकानें खुली हैं जो शहरी क्षेत्रों में निम्नलिखित स्थानों में हैं :

बिजनौर	६	दूकानें
नजीबाबाद	५	,,
नगीना	५	,,
धामपुर	२	,,
चांदपुर	२	,,
कीरतपुर	२	,,
शेरकोट	२	,,
सेवहारा	२	,,
नहटौर	१	,,
योग ..	२७	दूकानें

उपरोक्त दूकानों के अतिरिक्त अफजलगढ़, मैदावर तथा नूरपुर में एक-एक दूकान खोली जा रही है ।

फिलहाल देहाती क्षेत्रों में दूकानें नहीं खोली गई हैं ।

श्री प्रताप सिंह—क्या माननीय खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देहाती क्षेत्रों में दूकानें न खुलवाने के क्या कारण हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—बिजनौर जिले में गेहूं बहुत पैदा होता है और वहां के देहाती क्षेत्रों में गेहूं की मात्रा काफी है।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मैदावर क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है और वहां बड़ी दिक्कत है। वहां दूकानें क्यों नहीं खोली गईं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—अभी तक दूकानें नहीं खोली गई थीं, लेकिन जब मालूम हुआ तो हमने इसमें लिखा है कि अफजलगढ़, मैदावर तथा नूरपुर में उपर्युक्त दूकानों के अतिरिक्त एक-एक दूकान खोली जा रही है। इनके लिये आदेश हो चुके हैं।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या माननीय खाद्य मंत्री जी बतलायेंगे कि यह दूकानें जिनके लिये आदेश हो चुके हैं वह मैदावर खास में खोली जायंगी या अन्तरित क्षेत्र में खोली जायंगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह तो वहां के जिलाधीश और खाद्य समिति निश्चित करेगी कि कौन-सा स्थान उपयुक्त है। हमने उस क्षेत्र में दूकानें खोलने के लिए आदेश दिए हैं।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा (जिला इटावा)—यह दूकानें कब तक खुल जायंगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मेरा तो ऐसा विश्वास है कि अब तक खुल भी गई होंगी।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार के पास जिलाधीश द्वारा अभी तक जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें क्या लिखा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—वह तो हमने यहां से उनको आदेश भेजे हैं कि वहां दूकानें खोल दें। उनकी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है।

श्रीमती चन्द्रावती—क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि इन २७ दूकानों पर जो गल्ला वितरण होता है वह क्या कार्ड द्वारा होता है और कितना प्रति दिन के हिसाब से होता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में वितरण की भिन्न-भिन्न व्यवस्था है बांटने के लिये। शहरों में ५ रुपये का अनाज सप्ताहवार बांटते हैं, ऐसा मेरा खयाल है।

*११-१३—**श्री नारायणदत्त तिवारी**—[२३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

सहकारी खेती की योजना

*१४—**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में सहकारी खेती की व्यवस्था बड़े पैमाने पर चालू करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस व्यवस्था की रूप-रेखा सदन के सम्मुख रखेगी ?

श्री मोहन लाल गौतम—जी हां। पर अभी इस योजना की रूपरेखा का प्रश्न विचाराधीन है।

दुवारी न्याय पंचायत क्षेत्र में सस्ते अनाज की दूकानों की कमी

*१५—**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)—क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि घोसी तहसील न्याय पंचायत क्षेत्र, दुवारी की आबादी क्या है और उक्त न्याय पंचायत की सस्ते गल्ले की दूकानें क्यों कम कर दी गईं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---घोसी तहसील न्याय पंचायत क्षेत्र दुवारी की आबादी १३,९३३ है। इस क्षेत्र की सस्ते गल्ले की कोई दूकान कम नहीं की गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या खाद्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस अदालती पंचायत में इस वक्त कितनी दूकानें हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इस वक्त शायद दो दूकानें हैं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि इसके अलावा एक और अदालती पंचायत इसमें शामिल है और २०,००० की आबादी है और इस वक्त एक ही दूकान वहां पर है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---नहीं, जैसा मैंने कहा, जिस अदालती पंचायत से आप का संबंध है उसकी आबादी उतनी ही है जो बतायी गयी है, और एक दूकान बीच में कुछ अनियमितता के कारण बंद कर दी गयी थी, लेकिन अब चालू है, ऐसा मालूम होता है।

बिलग्राम में साफ्ट कोक डिपो खोलने के लिए प्रार्थना-पत्र

*१६---**श्री मोहनलाल वर्मा** (जिला हरदोई)---क्या सरकार ने बिलग्राम कस्बा, जिला हरदोई में साफ्ट कोक डिपो खोलने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो कब और उस डिपो के लिये कितने आवेदन-पत्र जिलाधीश के पास आये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी हां। यह निश्चय अगस्त सन् १९५८ में लिया गया। इस सम्बन्ध में केवल ४ व्यक्तियों के आवेदन-पत्र जिलाधीश के पास आये।

श्री मोहनलाल वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि कौन २ यह ४ व्यक्ति हैं और किस तारीख में इनके प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---श्री गिरीशचन्द्र अग्रवाल, मेसर्स सूरजबली सेवाराम मिश्र, श्री रामस्वरूप वर्मा और श्री राजेशनाथ कपूर।

श्री मोहन लाल वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह लाइसेंस देने का अधिकार जिलाधीश को प्राप्त है या मंत्री जी को या सरकार को ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जिलाधीश को प्राप्त है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि साफ्ट कोक के लाइसेंस देने में पोलिटिकल सफरर्स को तरजीह देने की कोई बात है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---नियमों के अंदर कोई नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह (जिला हरदोई)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि प्रार्थना-पत्रों के देने की अंतिम तिथि को जनता तक पहुंचाने के लिये क्या साधन अपनाये गये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जिलाधीश ने विज्ञप्ति जारी की होगी।

मैनपुरी जिले की सस्ते अनाज की दूकानें

*१७---**श्री रामदीन** (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)---क्या सरकार मैनपुरी जिले में सस्ते गल्ले की दूकानें और बढ़ाने को सोच रही है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---आवश्यकतानुसार तो खोल दी गयी हैं। कहीं पर बहुत आवश्यक होता है तो उस पर विचार करते रहते हैं।

आंवला कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी

*१८---श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला बरेली में आंवला कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का अपना Capital कितना है और सरकारी Contribution कितना है ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस सोसायटी की निजी पूंजी ५१,८१७ रु० ३९ नया पैसा है जिसमें सरकारी Contribution २५,००० रु० है।

*१९---श्री नवल किशोर---पिछले दो सालों में उक्त सोसाइटी ने प्रतिवर्ष कितना मुनाफा कमाया ?

श्री मोहनलाल गौतम---पिछले दो वर्षों में उक्त समिति ने प्रतिवर्ष क्रमशः ११८ रुपया तथा ८,७४२ रुपया का लाभ कमाया ।

*२०---श्री नवल किशोर---क्या उक्त सोसाइटी ने अपने सदस्यों को कोई Dividend दिया ? यदि हां, तो फी मन क्या दिया ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां। सोसाइटी ने १९५७-५८ में अपने सदस्यों को उनके हिस्सों पर ३ प्रतिशत वार्षिक की दर से dividend बांटा, १९५६-५७ में सोसाइट ने कोई dividend नहीं बांटा ।

श्री नवल किशोर---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सोसाइटी ने जो बिजनेस किया उसका टोटल आउटटर्न १९५६-५७ और १९५७-५८ में कितना था ?

श्री मोहन लाल गौतम---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री गेंदा सिंह---इसकी क्या वजह है कि १९५६-५७ में इस सोसाइटी की उतनी ही पूंजी से नाममात्र का मुनाफा हुआ ?

श्री मोहनलाल गौतम---इस लिये उसी वक्त वह रजिस्टर हुई थी और बहुत थोड़े दिन उसने काम किया ।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह सोसायटी किस तरह का कारोबार करती है ?

श्री मोहनमाल गौतम---यह कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी है और उसकी सारी योजना सदस्यों के सामने साहित्य द्वारा रखी जा चुकी है।

फीरोजाबाद में सस्ता अनाज बेचने की व्यवस्था

*२१---श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फीरोजाबाद नगर को सस्ते गल्ले की दूकानों पर बिक्री करने के लिये प्रतिमास कितना अनाज दिया जाता है ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---फीरोजाबाद नगर में सस्ते गल्ले की दुकानों पर प्रतिमास १५,६०० मन गेहूं तथा २,६०० मन मोटा अनाज वितरण करने के लिए आदेश दिये गये हैं ।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फीरोजाबाद नगर में कौन-सा मोटा अनाज वितरित किया जा रहा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---अनाज से अगर आपका तात्पर्य है तो वह गेहूं है ।

श्री जगन्नाथ लहरी---मोटा अनाज है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मोटे अनाज में जिसे लाल जुवार कहते हैं, वह है।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या मन्त्री जी इस बात की जांच कराने की कृपा करेंगे कि आज कल फीरोजाबाद की किसी भी दुकान में इस जुवार का एक दाना भी नहीं है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मेरे पास ऐसी इत्तला नहीं है, लेकिन अगर आपकी ऐसी इत्तला है और आप मुझ से कहेंगे तो मैं तुरन्त ही भेजवाने की व्यवस्था कर दूंगा।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि यह लाल जुवार हिन्दोस्तान की उत्पत्ति है या विदेश की और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---विदेशी है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी खासी अच्छी है जिसस आदमी खूब मोटा हो जाता है।

श्री प्रताप सिंह---क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सस्ते गल्ले की दुकानों में कितना प्रतिशत मोटा अनाज दिया जा रहा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---शहरी क्षेत्र में मोटा अनाज नहीं दिया जाता। देहाती क्षेत्र में हम कहीं पर २५ मन और कहीं पर ३० मन लाल जुवार देते हैं और कहीं पर १० मन और कहीं पर १५ मन गेहूं के साथ देते हैं। लाल जुवार इसलिये दे रहे हैं कि यह आदमी को लाल कर देती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---मन्त्री जी ने जैसा अपने उत्तर में कहा कि शहरी इलाकों को लाल जुवार नहीं दी जाती तो क्या करण है कि यह फीरोजाबाद नगर को दिया जा रहा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---उन्होंने नगर की बात नहीं कही थी। उन्होंने सारी फीरोजाबाद तहसील के लिये कहा था लेकिन अगर उनका मतलब सिर्फ नगर से है तो वहां पर गेहूं मिलता है, मोटा अनाज नहीं दिया जा रहा है।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि फीरोजाबाद नगर के नागरिकों को जो राशन, कार्ड द्वारा वितरित किया जाता है उसमें प्रति सप्ताह कितना गल्ला मिलता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि नगरों में कोई मोटा अनाज नहीं दे रहे हैं। वहां केवल गेहूं दे रहे हैं और वहां फी व्यक्ति ५ रुपये का हफ्तेवार है।

श्री अध्यक्ष---मैं माननीय खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा कि उनका उत्तर है कि फिरोजाबाद नगर में सस्ते गल्ले की दूकानों पर प्रतिमास १५,६०० मन गेहूं और २,६०० मन मोटा अनाज दिया जाता है और मोटा अनाज आपने लाल जुवार बता दिया।

श्री जगमोहन सिंह नेगी---मुमकिन है कि जो चना हमने सीज किया वह यहां मोटे अनाज में आया हो।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---क्या मोटे अनाज के बारे में सरकार के पास शिकायत आई है कि वह खोटा है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---कुछ स्थानों से आई है कि वह खराब है मगर अधिक यह आया है कि वह बहुत ही सुन्दर किस्म का है।

श्री गेंदासिंह---क्या माननीय खाद्य मंत्री केबीनेट के उन सदस्यों को जो लाल नहीं हैं उन्हें लाल जुवार खिलाकर तजुर्बा हासिल करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---अब उन्होंने चना भी बता दिया है ।

फर्रुखाबाद जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

*२२---**श्री रजेन्द्र सिंह यादव** (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिला में सस्ते गल्ले की कितनी दूकानें खुली हैं और उनमें कितनी शहरी क्षेत्र में और कितनी देहाती क्षेत्र में हैं ? इन दूकानों पर शहर और देहात में कितना-कितना गल्ला दिया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---फर्रुखाबाद जिले में सस्ते गल्ले की २५ दूकानें खुली हैं जिसमें से १५ शहरी क्षेत्रों में तथा १० देहाती क्षेत्रों में हैं ।

शहरी क्षेत्रों की दूकानों पर ३० मन गेहूं व १० मन मोटा अनाज प्रति दूकान प्रति दिन वितरण के लिए दिया जाता है तथा देहाती क्षेत्रों की दूकानों पर १० मन गेहूं व २० मन मोटा अनाज प्रति दूकान प्रति दिन दिया जाता है ।

*२३---**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)---[२३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

रीजनल मार्केटिंग आफिस मेरठ में गबन

*२४---**श्री रामचन्द्र विकल** (जिला बुलन्दशहर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि रीजनल मार्केटिंग आफिस, मेरठ में सन् ५० में गबन हुआ था ? यदि हां, तो सरकार ने इस गबन के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---जी हां । गबन के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया । सेशन अदालत ने अभियुक्तों को कड़ी कैद व जुर्माने की सजा दी है जिसके विरुद्ध उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है । गबन के लिये अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही है परन्तु उस पर अन्तिम कार्यवाही तभी की जा सकेगी जब कि उक्त मामलों पर हाई कोर्ट का निर्णय प्राप्त हो जायगा ।

*२५-२६---**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---[२३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२७-२८---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)---[२३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२९-३०---**श्री गोविन्द सिंह विष्ट**---[२३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

खीरी जिले के सप्लाई इंसपेक्टर

*३१---**श्री शिवप्रसाद नागर** (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला खीरी के सप्लाई विभाग में इस समय कितने सप्लाई इन्स्पेक्टर हैं और कितने वर्षों से वे वहां हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---इस समय एक सप्लाई इंस्पेक्टर है जो कि वहां लगभग १५ वर्षों से है ।

नो०---तारांकित प्रश्न ३१ श्री रामायण राय ने पूछा ।

श्री रामायणराय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इतने अधिक दिनों से इनके यहां रहने के कारण क्या हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---कारण यह है कि यह अस्थायी विभाग था और उनके कोई ऐसे नियम नहीं थे किसी स्थान पर रहने के बारे में। फिर यह स्थानीय लोग थे इसलिये वहां बराबर रहे।

श्री गरीबदास (जिला जालौन)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन सप्लाई कर्मचारियों के विरुद्ध कोई शिकायत सरकार के पास आयी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---कोई शिकायत नहीं आयी।

झांसी जिले में सस्ते अनाज की दूकानें

*३२---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील मोठ और तहसील गरोठा, जिला झांसी में सरकारी गल्ले की कितनी दूकाने खोली गईं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---तहसील मोठ में एक सस्ते गल्ले की दूकान मोठ खास में चल रही है तथा दूसरी समथर में खोली जा रही है। तहसील गरोठा के लिए भी एक दूकान की स्वीकृति दे दी गई है जिसकी शीघ्र ही खुल जाने की आशा है।

*३३---श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी शहर में सरकारी गल्ले की कुल कितनी दुकानें खोली गई हैं और उनमें से कोआपरेटिव को कितनी दी गई हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---झांसी शहर में इस समय सस्ते गल्ले की ३२ दूकानें हैं। कोआपरेटिव को १० दूकानें दी गई थीं जिसमें से २ ने इस्तीफा दे दिया तथा एक कैंसिल हो गई और ७ दूकानें अब भी कोआपरेटिव द्वारा चलाई जा रही हैं।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गरोठा तहसील में दूकान क्यों नहीं खुली है और आज्ञा कब दी गई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---एक हफ्ता हुआ होगा जब यह आदेश दिया गया।

श्री सुदामा प्रसाद गोस्वामी---झांसी नगर में सभी दूकानें कोआपरेटिव को क्यों नहीं दी गईं और क्या सरकार को पता है कि वहां अधिकतर दूकानें नगरपालिका के सदस्यों के पास हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---यह तो मुझे मालूम नहीं है कि किसके पास हैं मगर प्राथमिकता कोआपरेटिव्ज को देते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह---जो दूकान कोआपरेटिव की कैंसिल की गई वह क्यों हुई ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अनियमितता के कारण।

श्री प्रतापसिंह---जिन दो सहकारी संघों ने इस्तीफा दिया उसके क्या कारण हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---उनके पास पैसा नहीं रहा होगा या कुछ फायदा नहीं देखा होगा।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---क्या माननीय मंत्री जी माननीय सुदामाप्रसाद जी के प्रश्न को सूचना मानकर जांच करवायेंगे कि किन-किन सदस्यों के पास नगरपालिका की दूकानें हैं ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी---गोस्वामी जी लिखकर देंगे तो अवश्य जांच करा लूंगा।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि झांसी के जिलाधीश को आदेश नहीं दिये गये थे कि वह विधायकों से सलाह करके दूकानें दें ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी--कहीं के भी जिलाधीश को ऐसे आदेश नहीं दिये गये, बल्कि वह कमेटी के लिये भी नहीं था। वह तो यह था कि किस स्थान पर, कितनी और किस किस्म की खोलें और प्राथमिकता किस-किस को दें। यह नहीं था कि वह किस व्यक्ति को दें।

*३४--**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)--[२३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

*३५--**श्री शिवराजसिंह यादव** (जिला बदायू)--[२३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान

*३६--**श्री भूपकिशोर** (जिला एटा)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० में सन् १९५८ से जनवरी, १९५९ ई० तक कितने पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान नस्ल सुधारने के लिये कराया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--१ जनवरी, १९५८ से ३१ जनवरी, १९५९ तक नस्ल सुधार के हेतु ८९,९३१ पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान कराया गया।

*३७--**श्री भूपकिशोर**--इस स्कीम से कितने पशुओं के गर्भाधान करने में कामयाबी हुई है और कितने पशुओं के इस स्कीम के अन्तर्गत गर्भाधान कराने के बाद गर्भ नहीं रहा ?

श्री मोहनलाल गौतम--उपरोक्त ८९,९३१ गर्भित किए गये पशुओं में से केवल ६४,१४६ पशुओं का विभागीय कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण किया जा सका जिसमें ३८,१३२ पशु गर्भित पाए गए। इस आधार पर यह अनुमान है कि करीब ५९ प्रतिशत गर्भित पशु सफल रहे।

श्री अध्यक्ष--आंकड़ों के लिये माननीय मंत्री जी ने थाउजैंड या कुछ ऐसी बात अंग्रेजी में कही। आंकड़ों के लिये शायद यह है कि रोमन में लिखे जावें लेकिन ऐसी बात नहीं है कि अंग्रेजी में कहा जाय।

श्री मोहनलाल गौतम--मैंने दोबारा हिन्दी में पढ़ दिया था।

श्री भूपकिशोर--इस अन्वेषण में इतनी कम सफलता के क्या कारण हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--५९ फीसदी कुछ खास कम नहीं है। दूसरे मुल्कों में भी केवल लगभग ६५ फीसदी सफलता होती है।

श्री प्रतापसिंह--क्या माननीय मंत्री जी उन कारणों पर प्रकाश डालेंगे जिनकी वजह से ६४ हजार के अलावा बाकी का निरीक्षण नहीं किया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--अधिकारियों की संख्या में कमी और पैसा न मिलना।

श्री भूपकिशोर--कुदरती तरीके से जो पशुओं का गर्भाधान कराया जाता है उसमें कितनी सफलता मिलती है ?

श्री मोहनलाल गौतम--५५ से ६० फीसदी तक कामयाबी होती है।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा--क्या कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र हर जिले में हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--इसकी सूची इस समय मेरे पास नहीं है।

*३८-४०--**श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल** (जिला प्रतापगढ़)--[सत्रहवें सोमवार (२३-३-५९) के लिये स्थगित किये गये।]

*४१-४२---श्री गंगाप्रसाद---[सत्रहवें सोमवार (२३-३-५९) के लिये स्थगित किये गये ।]

*४३---श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी---[सत्रहवें सोमवार (२३-३-५९) के लिये स्थगित किया गया ।]

बोहदपुरा डेरी फार्म से कर्ज की वसूली

*४४---श्री गोविन्दनारायण तिवारी (जिला जालौन) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बोहदपुरा डेरी फार्म, जिला जालौन के लिये जो १०,००० रुपया अनुदान तथा १०,००० रुपया कर्जा सरकार ने सन् १९४८ में दिया था वह रुपया अब तक सरकार को वसूल हुआ अथवा नहीं ?

श्री मोहनलाल गौतम---जी हां । ९,१९२ रुपया ७ आना ६ पाई अभी तक वसूल नहीं हो सका है ।

खीरी उपनिवेश योजनान्तर्गत भूमि वितरण तथा क्वार्टरों का निर्माण

*४५---श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपनिवेश योजना सम्पूर्णानगर खीरी में कितने पुनर्वासितों को कितनी-कितनी जमीन सरकार ने खेती करने को दी है और उनको कितने सरकारी क्वार्टर्स बना कर दिये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---खीरी उपनिवेशन योजना के अन्तर्गत अब तक ६६२ पुनर्वासितों को ७,३७० एकड़ भूमि अनुदानित की गई है । इनमें से ७५ पुनर्वासित शिक्षित उद्योगहीन हैं तथा ५८७ पुनर्वासित भूमिहीन मजदूर हैं । प्रत्येक शिक्षित उद्योगहीन पुनर्वासित को २० एकड़ तथा भूमिहीन मजदूर पुनर्वासित को १० एकड़ भूमि अनुदानित की गई है ।

प्रत्येक पुनर्वासित को एक कमरे वाला एक क्वार्टर भी दिया गया है ।

*४६---श्री ऊदल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो जमीन पुनर्वासितों को दी गई है उनसे फी एकड़ लगान किस रेट से लिया जाता है ?

श्री मोहनलाल गौतम---सिंचित भूमि के लिये ५ रुपया ९ आने प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से तथा असिंचित भूमि के लिये ४ रुपया ७ आने प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से लगान लिया जाता है ।

*४७---श्री ऊदल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो क्वार्टर्स यहां बना कर दिये गये हैं उनमें कितना रुपया खर्च हुआ है और पुनर्वासितों को किस रेट से दिये गये हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---प्रत्येक क्वार्टर की लागत लगभग १,३०० रुपया आई है प्रत्येक पुनर्वासित से केवल ८०० रुपया वसूल किया जावेगा तथा शेष ५०० रुपया अनुदान समझा जावेगा।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो जमीन शिक्षित उद्योगहीन और मजदूरों को दी गयी है क्या उन दोनों से एक ही हिसाब से लगान वसूल हो रहा है या अलग-अलग ?

श्री मोहनलाल गौतम---दोनों का लगान एक ही है । दूसरा तरीका यह है कि पहले साल कुछ नहीं लिया जाता है, दूसरे साल एक तिहाई, तीसरे साल दो तिहाई और चौथे साल पूरा लगान लिया जाता है ।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि वहां जो काश्तकारों की जमीन है, उसका लगान क्या है ?

श्री मोहनलाल गौतम---उसका लगान कम है, लेकिन उसका सेटिलमेंट उस वक्त हुआ था जबकि इस इलाके में सड़कें नहीं बनी थीं और न कोई तरक्की ही हुई थी । अब जो लोग अपनी जमीन उठाते हैं १० रुपया फी एकड़ तक लगान लेते हैं ।

श्री जगदीशप्रसाद (जिला मुरादाबाद)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इन पुनर्वासितों को भूमि और मकान के अतिरिक्त सरकार ने और कोई सहायता दी ? अगर दी, तो प्रति पुनर्वासित क्या दी ?

श्री मोहन लाल गौतम---ट्रेक्टर द्वारा उनकी जमीन ठीक करायी गयी, वह भी सहायता ही रही । इसके अतिरिक्त और कौन-कौन सहायता दी गयी उसके आंकड़े इस वक्त मेरे पास नहीं हैं ।

श्री ऊदल---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो क्वार्टर्स दिये गये हैं, उनकी लागत १,३०० रुपये से कम है ?

श्री मोहनलाल गौतम---मैंने बताया कि यह लागत १,३०० रुपये के लगभग है ।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---क्या सरकार यह जांच कराने की कृपा करेगी कि इन क्वार्टर्स में कितना-कितना पैसा लगा, किस ढंग के बने हैं, और कौन लोग उनमें रहते हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह मैंने निवेदन ही कर दिया कि उनमें कितना रुपया लगा है, उनमें वही लोग रहते हैं जिनको वहां बसाया गया है तथा उनमें से हर एक को एक-एक कमरे वाला क्वार्टर दिया गया है ।

*४८-४९---**श्रीमती राजेन्द्र कुमारी** (जिला हमीरपुर)---[२३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*५०---**श्री तेजबहादुर** (जिला आजमगढ़)---[२३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५१---**श्री रामदास आर्य** (जिला मुजफ्फरनगर)---[२३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५२---**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)---[२३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

अनाज की स्टेट ट्रेडिंग

*५३---**श्री रामस्वरूप वर्मा** (अनुपस्थित)---क्या खाद्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि अनाज में स्टेट ट्रेडिंग में सरकार ने १९५९-६० में कितने लाभ या हानि का अनुमान लगाया है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---१९५९-६० के स्टेट ट्रेडिंग के तखमीने 'न लाभ न हानि' के आधार पर निर्धारित हैं, अतः लाभ या हानि का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या मंत्री जी स्टेट ट्रेडिंग के सम्बन्ध में बजट में क्या प्राविजन रखा गया है, बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---इसके सम्बन्ध में बजट में जो कुछ होगा वह बजट के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, आपके सामने आयेगा ।

*५४---**श्री गोविन्दनारायण तिवारी**---[२३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

*५५---**श्री गज्जूराम**---[वापस लिया गया ।]

नोट---तारांकित प्रश्न ५३, श्री मोतीलाल अवस्थी ने पूछा ।

गोरखपुर जिले में पशुओं की नस्ल सुधार के काम

*५६--श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोरखपुर की प्रत्येक तहसील में सन् १९५६-५७ तथा १९५७-५८ में पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं की नस्ल सुधार के क्या-क्या विशेष कार्य किये गये ?

श्री मोहनलाल गौतम--आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७३३ पर)

श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में शुद्ध नस्ल की गायें, भैंसें, भेड़ें आदि क्यों नहीं वितरित की गयीं ?

श्री मोहनलाल गौतम--इस सम्बन्ध में जितना भी पैसा मिला है, और जो योजना है उसी के हिसाब से है । हर तहसील और हर गांव में यह सुविधा अभी तक नहीं पहुंच पायी। इसका कारण यह है कि पैसे की कमी है और जो योजना है उसका विस्तार धीरे-धीरे हो रहा है ।

श्री गौरीराम गुप्त--क्या सरकार को मालूम है कि सन् १९५३ ई० में माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि फरेंदा तहसील में काफी तादाद में ज्यादा दूध देने वाली गायें, भैंसे वितरित की जायंगी ?

श्री मोहनलाल गौतम--यह तो वह कागज देख कर ही मैं कह सकता हूं, इस समय मुझे याद नहीं है ।

गेहूं के बीज का वितरण

*५७--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि इस साल रबी के लिये अधिक अन्न उपजाओ अभियान में प्रदेश के किसानों को गेहूं का बीज कितना बांटा गया और किस भाव पर ?

श्री मोहनलाल गौतम--कृषि व सहकारिता विभागों के बीज मंडारों से २४,७०,१५८ मन गेहूं का बीज सवाई पर वितरित किया गया। इस मात्रा पर भाव का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके अतिरिक्त २,०२,२०२ मन गेहूं का बीज पंजाब से मंगाकर काश्तकारों को लगभग २०.३४ रुपये प्रति मन के भाव से तकावी पर या नगद वितरित किया गया।

*५८--श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिस समय यह बीज बांटा गया उस समय गेहूं का बाजार भाव क्या था ?

श्री मोहनलाल गौतम--सूचना संलग्न तालिका में दी है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७३४ पर)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार के पास इस तरह की शिकायतें आयी हैं कि पंजाब से मंगा कर गेहूं का बीज जिस भाव पर लोगों को दिया गया था, चूंकि थोक बाजार भाव गेहूं का ज्यादा था, इसलिये उस गेहूं के बीज को चोर बाजार में बेंच दिया गया ?

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रयत्न था कि जहां तक हो सके जमीन बोने से न रह जाय, इसलिये हमने बीज काफी बांटा था । अगर कहीं उसका थोड़ा बहुत दुरुपयोग हो गया हो तो भी मैं समझता हूं कि कोई अफसोस की बात नहीं है, क्योंकि हमारी कोशिश यही थी कि सब जगह बोवाई हो जाय, कोई जमीन बाकी न रह जाय ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--क्या सरकार के पास इस आशय की भी शिकायतें आयी हैं कि ऐसे लोगों को बीज दिया गया जिन्हें बीज की जरूरत नहीं थी और उन्हें चोरबाजार में बेंचने के लिये ही दिया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम---क्योंकि हमने यह तय कर लिया था कि बीज की तकायी थोड़ी बहुत हो जायगी, इसलिये कोशिश यही रही कि छोटे लोगों को बीज मिले । फिर भी कहीं कुछ गड़बड़ी हो गयी हो तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरे पास कोई शिकायत नहीं आयी है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---क्या माननीय मंत्री जी के पास कानपुर जिले के सम्बन्ध में इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं कि रबी अभियान के पहले ७१० नम्बर का गेहूं देने के लिये आश्वासन दिया गया था लेकिन वह बिलकुल ही नहीं दिया जा सका ?

श्री मोहनलाल गौतम---इसके लिये सूचना की आवश्यकता है, यह ब्यौरे का प्रश्न है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)---क्या सरकार बतायेगी कि पंजाब से जब गेहूं आया उस समय रबी की फसल अपने प्रान्त में प्रायः बोयी जा चुकी थी ?

श्री मोहनलाल गौतम---यह सही नहीं है । बीज उस समय आया जब बुवाई हो रही थी और समय से ही बांटा गया । और भी हमारे पास बीज बाकी रह गया, क्योंकि समय निकल गया था और करीब डेढ़ लाख मन बीज हमारे पास बाकी रह गया ।

श्री मोतीलाल अवस्थी---कानपुर जिले से कुछ ऐसी भी शिकायतें सिरसौल बीज भंडार के सम्बन्ध में आयी हैं कि बीज बाँटने के बहुत पहले ही जो रिजर्व था वह भी बेच दिया गया था ?

श्री मोहनलाल गौतम---जैसा मैंने निवेदन किया कि प्रश्न सारे सूबे का था । कानपुर जिले के विस्तारपूर्वक आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

अतारांकित प्रश्न

आगरा जिले में ईंट के भट्ठों को कोयला

१--**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि आगरा शहर और जिले में (तहसीलवार) पृथक-पृथक ईंटों के कितने भट्ठों को कोयले का कोटा दिया जाता है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी---वांछित सूचना इस प्रकार है :

नाम स्थान	निजी मान्यता प्राप्त ईंट के भट्ठों की संख्या जिनको नियमित रूप से कोयले का कोटा मिलता है
आगरा शहर	९
आगरा तहसील	१४
एतमादपुर तहसील	११
फिरोजाबाद तहसील	१६
किरावली तहसील	१
खैरागढ़ तहसील	१
फतेहाबाद तहसील	१
बाह तहसील	१
योग ..	५४

२--श्री बंशीधर शुक्ल--[२३ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

पशु व मत्स्य पालन केन्द्र

३--श्री गज्जूराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पशुपालन व मत्स्य पालन के केन्द्र किन स्थानों पर व किन जिलों में स्थित हैं ?

श्री मोहनलाल गौतम--सूचना संलग्न †तालिका में दी हुई है।

प्राक्कलन समिति का (सामग्री क्रय शाखा सम्बन्धित) चतुर्थ प्रतिवेदन*

श्री अध्यक्ष--अब सभापति, प्राक्कलन समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्राक्कलन समिति के सभापति की हैसियत से समिति द्वारा दिये गये अधिकारों के अनुसार इस समिति का सामग्री क्रय-शाखा सम्बन्धी (Stores Purchase Section) चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। इस सम्बन्ध में मुझे केवल दो शब्द ही कहने हैं। पिछली विधान सभा की जो प्राक्कलन समिति थी उसने सामग्री क्रय-शाखा सम्बन्धी अपनी रिपोर्ट २२ सितम्बर, १९५५ को पेश की थी। उसके ऊपर सरकार ने क्या कार्यवाही की इस सम्बन्ध में हमको उनकी जो राय थी उसकी कापी १९ सितम्बर, १९५६ को मिली। इस बीच में आम चुनाव होने के कारण कार्यवाही नहीं हो सकी और अब जिन बातों में मतभेद था उस पर आपस में विचार-विनिमय के बाद जो अंतिम निर्णय लिये गये हैं उनका इस रिपोर्ट में समावेश है। इतना कहने के बाद मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि सामग्री क्रय-शाखा जो इंडस्ट्री विभाग की है, उसने हमें जो सब प्रकार की सूचना और आंकड़े दिये और जो परिश्रम उन्हें करना पड़ा और जो सहयोग हमें उनसे मिला उसके लिये मैं उन के प्रति अपना आभार प्रकट करूं।

सर्वश्री मदन पांडेय व मुकुन्द सिंह द्वारा अनशन के विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--मेरे सामने नियम ५२ के अन्तर्गत दो विषयों की सूचना आई हैं। एक तो श्री पालीवाल जी का है कि सर्वश्री मदन पांडेय और ठाकुर मुकुन्द सिंह जी दारुलशफा ए०-ब्लाक में पहली मार्च से सरकार और जनता का ध्यान सरकार की श्रमिक नीति आदि की ओर केन्द्रित करने के लिये अनिश्चित काल के लिये अनशन कर रहे हैं। पांडेय जी ने इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्री महोदय को पत्र भी लिखा है, विशेषकर रामपुर मिल की हड़ताल के सम्बन्ध में। इनमें से ठाकुर मुकुन्द सिंह जी की दशा सिविल सर्जन ने चिन्ताजनक बताई है। वे हृदयरोग से भी पीड़ित हैं।

दूसरा श्री कल्याणचन्द मोहिले का है परन्तु मैं उससे अधिक महत्व का पालीवाल जी का ही समझता हूं जिसमें बताया गया है कि ठाकुर मुकुन्द सिंह की हालत चिन्ताजनक है और वे हृदयरोग से भी पीड़ित हैं और मदन पांडेय जी इस सदन के भी सदस्य हैं जो १ मार्च से अनशन कर रहे हैं। यदि माननीय मुख्य मंत्री जी को जानकारी हो तो वे आज या कल इस विषय में वक्तव्य दे दें।

---

†तालिका छापी नहीं गई।

*छापा नहीं गया।

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---अध्यक्ष महोदय, जहां तक कि सरकार की श्रम नीति की बात है वह तो एक बहुत ही व्यापक प्र न है और मैं समझता हूं कि १६ तारीख को जब श्रम विभाग का बजट पेश होगा तभी व्योरे से इस सम्बन्ध में तमाम बातें कही जा सकती हैं।

जहां तक रामपुर की मिलों की हड़ताल की बात है वह अब समाप्त हो गई है और श्री गनेशदत्त बाजपेयी का अनशन भी समाप्त हो गया है। सम्भव है इसकी सूचना भी माननीय सदस्यों को हो गई हो। मेरे पास दो तार आये हैं, एक यह कन्सीलियेशन आफिसर का है कि "Hunger strike by G. D. Bajpai given up and general strike in Raza Buland Factory, Rampur called off after announcement in public meeting seventh afternoon."

दूसरा तार श्री बाजपेयी का मेरे नाम है, जिसमें लिखा है कि "Calling Off to-day general strike Raza Buland Sugar Mills unconditionally stop Breaking fast entirely on your assurance of no victimization Sympathetic consideration of demands in Assembly." तो अब हन्गरस्ट्राइक और जनरल स्ट्राइक दोनों समाप्त हो चुकी हैं, इसलिये अब उनके संबंध में और मैं क्या कहूं।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने जिक्र किया कि इस सम्बन्ध में उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी को भी पत्र लिखा है। क्या इस सम्बन्ध में मदन पांडेय जी ने भी कोई पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा है कि श्री मुकुन्द सिंह जी की दशा खराब है? इस सम्बन्ध में कोई जानकारी हो तो बता दें।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जिन कारणों से अनशन किया जा रहा था और जो मुख्य कारण था वह दूर हो गया, बाकी जो दूसरा कारण है वह हम दूर नहीं कर सकते जब तक कि विस्तार के साथ बात न हो और वह केवल बजट के समय में ही हो सकती है। ठाकुर मुकुन्द सिंह के विषय में मैं नहीं जानता, बाकी हमारी बराबर यह नीति रही है कि अनशन गलत चीज है और इस तरीके से सार्वजनिक कार्य नहीं हो सकते। इसलिए मैं इसके सम्बन्ध में कुछ जानता भी नहीं और कुछ कह भी नहीं सकता।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी को सूचना है कि सब मजदूर रजा और बुलन्द फैक्ट्री में काम पर चले गये हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आज की सूचना यह है कि आज रजा फैक्ट्री पूरे तौर से काम करने वाली थी। आज कुल ५७६ मजदूरों में से पहली शिफ्ट में जो कि ८ बजे प्रातःकाल से चलती है ४८६ काम कर रहे हैं, ५९ मजदूर साप्ताहिक छुट्टी पर हैं और १५ मजदूर एब्सेंट है, उनका पता नहीं है। १३ मजदूरों को मिल-मालिकों ने सस्पेंड कर रखा था, उनका मामला विचाराधीन है।

बुलन्द फैक्टरी का इंजिन और ब्वायलर बन्द हो गये थे। उन्होंने पहले भी सूचना कर दी थी कि काम १० तारीख के पहले नहीं चल सकेगा, थोड़े से मजदूरों की जरूरत होगी सफाई वगैरह करने के लिए। ४९८ मजदूरों में से २९३ काम कर रहे हैं और बाकी कल जब वह पूरे तौर से चालू होगी तो वे भी ले लिये जायंगे।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसको लाक-आउट माना है या हड़ताल मानी है?

श्री अध्यक्ष---किसके बारे में?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने इसको क्या घोषित किया है, हड़ताल या लाक-आउट ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---लेबर डिपार्टमेंट तो कोई चीज अपनी तरफ से घोषित नहीं करता। लाकआउट भी था, स्ट्राइक भी थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मुख्य मंत्री ऐसा प्रयत्न करेंगे कि जो १२-१३ मजदूर सस्पेंड हो चुके हैं वे दोबारा काम पर लग जायं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आपका सुझाव है, कोई स्पष्टीकरण का सवाल तो नहीं है।

१९५९-६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान---अनुदान संख्या ५३---लेखा शीर्षक ८५-क---राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत

खाद्य मंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---अध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ५३---लेखा शीर्षक ८५---क---राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत ३८,८०,१५,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिए स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, कई बार खाद्य स्थिति पर इस सदन में वाद-विवाद हो चुका है और उसमें इस बात को हमने स्वीकार कर लिया था कि गत वर्ष १४ परसेंट उत्पादन में कमी हुई, इसके अतिरिक्त ५ परसेंट भूमि में भी अन्न कम उत्पादन किया गया था। कम बोने का कारण यह था कि शायद कुछ कैश क्रप्स में वह भूमि चली गयी हो। इस कारण से उत्पादन में निस्संदेह ही कमी हुई और साथ ही साथ प्राकृतिक प्रकोपों के कारण भी। माननीय पालीवाल जी ने एक बार एक बात कही थी कि जब कभी कोई प्राकृतिक आपत्ति और विपत्ति आती है तो सरकार भगवान् के ऊपर थोप देती है और जब कोई अच्छा काम होता है तो उसका श्रेय लेने के लिए तैयार हो जाती है। यह सही है कि मानव तो उसका केवल निमित्त है और जहां तक मेरा खयाल है, भगवान् तो कोई विपत्ति मनुष्यों पर डालता नहीं, ताहम जो कुछ भला काम होता है वह भगवान् करते हैं और मनुष्य केवल निमित्त रहता है और यश और अपयश का भागी वही होता है। यह कमी मानव की जरूर है कि वह अभी तक प्रकृति पर अधिकार नहीं जमा पाया। तो वह केवल इसी सरकार पर नहीं, बल्कि सारे संसार के मनुष्यों पर लागू है और मानव द्वारा उन आपत्तियों का मुकाबला करने का नतीजा होता है कि मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं पर उसका कुप्रभाव पड़ता है, उसका मुकाबिला अगर मानव दृढ़ता के साथ करता है और उसको रोक लेता है तो उसके श्रेय का अधिकारी वह अवश्य है। जहां तक विपत्तियों का ताल्लुक है उसके लिये सभी भागी हैं। हम उसका मुकाबिला नहीं कर पाते, लेकिन अगर उसके कुप्रभावों का सफलतापूर्वक मुकाबिला किया है तो उसका श्रेय पाने के हम अवश्यमेव अधिकारी हैं।

दूसरी बात यह है जिसे माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कई बार इस बात को दुहराया कि अन्न के भावों के बढ़ने का कारण यह है कि हमने स्टेट ट्रेडिंग का नारा तो लगा दिया, मगर उसकी जगह दूसरी कोई कार्यप्रणाली नहीं निकाली और उसके स्थान पर जो वैकुअम हुआ उसी के कारण भाव बढ़े। इसके सम्बन्ध में मैं कई बार स्पष्ट कर चुका हूं। स्टेट ट्रेडिंग का नारा लगाने से पूर्व ही उसको काम में लाया गया और जो हमारा लेवी सिस्टम है जिसके द्वारा हम अन्न खरीदते हैं वह भी एक प्रकार से स्टेट ट्रेडिंग का ही अंग है। तो मेरी समझ में नहीं आया कि वैकुअम का सवाल कहां पैदा हुआ ?

जब कभी भी कोई काम प्रारम्भ हुआ है तब निश्चित बात है कि वह नया काम होगा। खरीफ की फसल से हमने स्टेट ट्रेडिंग का नारा लगाया और वहीं से हमने अन्न की खरीदारी आरम्भ कर दी। तो रबी की फसल के पहले अर्थात् खरीफ की फसल पर हमने नारा लगाया। अगर रबी में हमने नारा लगाया होता तो आप खरीफ का प्रश्न उठाते कि खरीफ से काम क्यों नहीं शुरु किया गया। तो स्टेट ट्रेडिंग का श्री गणेश तो हमने कर ही डाला है। अब माननीय त्रिलोकी सिंह जी का यह कथन कहां तक सत्य है और मेरे स्पष्ट करने के बावजूद उन्होंने क्यों उसको दोहराया, यह समझ में नहीं आया। अब अगर विरोधीदल का रवैया यही हो जो कि भेड़िये वाली बात है कि खाने का बहाना ढूंढ़ना है, तब तो उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आपको नुक्ताचीनी करनी है और केवल वही आपका धर्म है तब तो हमारे तर्क अपना कोई अर्थ नहीं रखते, मगर निष्पक्ष भाव से और तुलनात्मक दृष्टि से यदि देखें कि क्या कारण है तो पता चलेगा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बावजूद इसके कि प्रकृति का प्रकोप हुआ हमने बढ़ते हुए अन्न के भावों का, महंगाई का, दृढ़ता से मुकाबिला किया और उसमें सफलता प्राप्त की। कुछ ही दिन पूर्व मैंने स्पष्ट किया था कि भाव घट रहे हैं, तो माननीय सदस्यों ने कहा कि हमारे वक्तव्यों से बाजार का कोई सम्बन्ध नहीं रहता। पिछले वक्तव्य में मैंने कहा था कि २६ रुपये मन गेहूं है तो उस वक्त भी मैंने फर्स्ट क्वालिटी और फुटकर बिक्री के ऊपर बात नहीं कही थी। मैंने दड़ा गेहूं जो मध्यम किस्म का है उसके बारे में कहा था, लेकिन आज आप देखिये कि उस वक्त जो २७ और २८ मन गेहूं था आज वही गेहूं २१ और २२ रुपये मन में है। तो उस वक्त मैंने कहा था कि हमने जो कदम उठाये हैं वे सफल हैं और सक्रिय हैं और उनका असर होगा। मगर आज ही मैंने फिर अखबारों में देखा कि १ रुपये मन भाव बढ़ गया। तो उसका कारण सम्भवतः हमारे वक्तव्यों पर जो नुक्ताचीनी की जाती है वह हो। अगर हमारे वक्तव्य देने से ही बाजार के भावों पर असर पड़ सकता है तो हमारे दूसरे भाइयों के कहने का भी तो असर पड़ सकता है। जैसा कि मैंने देखा कि जन संघ के लोगों ने बनारस में भाषण किये स्टेट ट्रेडिंग के खिलाफ तो उससे होर्डर्स, मध्यवर्ती जो थे उनको फिर प्रोत्साहन मिला कि ठीक है १ रुपये का भाव चढ़ा दो। तो यह तो क्रिया और प्रतिक्रिया निरन्तर होती ही रहती है, किन्तु हम अब भी इस बात पर दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और हमारा दृढ़ विश्वास भी है कि अन्ततोगत्वा--एक आध रुपये की कमी बेशी को छोड़ कर---भाव नीचे जरूर गिरेगा और ठीक स्तर पर आ जायगा। और आपको यह सुन कर आश्चर्य होगा कि टोटल राशनिंग के दिनों में जितना गल्ला वितरित होता था लगभग उतना ही गल्ला चालू वर्ष में फेयर प्राइस शाप्स के अन्तर्गत वितरित किया गया। मैं यह आंकड़े फरवरी तक के बता रहा हूं। इस साल ४,३६,९९७ टन गेहूं हम वितरित कर चुके हैं और पिछले साल कुल २,६२,११९ टन बंटा था। इस साल कुल अनाज फरवरी तक लगभग ५,५७,५९३ टन बांट चुके हैं। इसके अतिरिक्त ७,८०७ टन पंजाबी गेहूं, २,७६४ टन चना और ८४६ टन पीज, बीज के तौर पर बंट चुके हैं। तो इतना गल्ला हमने इस साल वितरित किया।

पिछले साल हमने ९१,५१९ टन अनाज कैरी ओवर किया था और इस वर्ष के अन्त में करीबन ६,७६,१०० टन कुल गल्ले की बांटने की उम्मीद थी और गवर्नमेंट आफ इंडिया से गेहूं ४,८८,९०० टन, चावल ३६,००० टन और लाल जुआर ४८,४०० टन मिलो, तो कुल मिला कर ५,६३,३०० टन गल्ला इस वर्ष हमारे पास आया और दूसरे तरीकों से, जैसे राजस्थान से हमने ३,६०० टन चना मांगा, बम्बई से ३,००० टन जुआर, पंजाब से बीज के लिये १३,००० टन गेहूं और यहां होर्डर्स से ९,२०० टन और ७५,००० टन के करीब चावल की खरीदारी की। तो जैसा कि मैं बतला चुका हूं लगभग ६,६७,१०० टन के टोटल हो जाता है। हमारा चावल की खरीदारी का टार्गेट डेढ़ लाख टन था, लेकिन चालू वर्ष में ७५,००० टन की पूर्ति होगी बाकी अगले वर्ष करते रहेंगे। सन् १९५८–५९ में

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

कुल गल्ला खरीदारी के बाद ७,८६,६०० टन के लगभग हो जायगा और समझेंगे कि इतना ही गल्ला राशनिंग पीरियड में खर्च हुआ था जितना कि हम अब खर्च कर रहे हैं। इसमें से उम्मीद यह है कि इस वर्ष के बाद अर्थात् ३१ मार्च के बाद, १ लाख २२ हजार टन हमारे पास बांटने के बाद अगले साल के लिये बचा रहेगा। इसकी कीमत करीबन पुरानी लायबिलिटीज को लगाकर २९,५०,९०,९०० रुपये मय गवर्नमेंट आफ इंडिया की लायबिलिटी के, आती है। इसमें से कुछ जो सरकारी महीने में रह जाता है, दो तीन महीने का, वह गवर्नमेंट आफ इंडिया के डेबिट में रह जाता है, वह नहीं लेते हैं इसलिये लगभग २३,७९,२४,४०० रुपये खर्चा लगना था। इसमें से पिछले साल जो बजट में रखा गया था वह ११ करोड़ के करीब था और १२ करोड़ इस सदन ने सप्लीमेंटरी में पास किया क्योंकि यह आशा नहीं थी कि ऐसी विपत्ति आयगी कि ११ करोड़ के मूल बजट में १२ करोड़ की सप्लीमेंटरी हो, लेकिन जब आपत्ति आई और अनाज के भाव बढ़े तो १२ करोड़ की सप्लीमेंटरी लानी पड़ी और इस हिसाब से करीब २४ करोड़ रुपया गया। तो अब इस साल चूंकि हमारे पास १ लाख २२ हजार टन बचा रहेगा इसलिये १९५९-६० के लिये जो ऐस्टीमेट किया है उसके अनुसार करीब ५ लाख टन गेहूं की आवश्यकता होगी। जो बफर स्टाक रखना होगा। जितना अन्न का उत्पादन हमारे प्रदेश में होता है अगर सवा पांच छटांक फी व्यक्ति के हिसाब से लगाया जाय तो इतना पड़ता है। लेकिन इससे काम नहीं चलता है और यह एक बोर्डर लाइन की बात है। इधर भी खतरा हो सकता है और उधर भी हो सकता है। इसलिये गेहूं का ५ लाख टन और चावल का २ लाख टन का इंतजाम करना पड़ेगा। खरीफ में कोर्स ग्रेन का ५० हजार टन का और रबी में एक लाख टन गेहूं अपने प्रदेश में स्टाक खड़ा करना पड़ेगा। अलावा इसके ५ लाख टन गेहूं का इंतजाम करना पड़ेगा चाहे गवर्नमेंट आफ इंडिया से करें या कहीं से भी करें। तो हमें करीब ९ लाख टन रखना है। जो मैंने १ लाख २२ हजार टन की बात कही थी उस सबको मिला कर ९ लाख टन के करीब हम गल्ला रखेंगे।

इसके लिये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बेचने के बाद हमारे पास लगभग २ करोड़ ९३ लाख ५०० रुपय की लायबिलिटी रह जायगी। मगर हमारे पास जो एक लाख ७० हजार टन कैरी ओवर करने के लिए रहेगा अगले साल के लिए उसकी कीमत होगी ७ करोड़ ९७ लाख २७ हजार रुपये। यह अनुमानित कीमत होगी। हमारे पास गवर्नमेंट आफ इंडिया की लायबिलिटी होगी २ करोड़ ८५ लाख ८३ हजार ३ सौ रुपये। इसलिए जो हमारा बजट है वह ३८ करोड़, ७७ लाख ५३ हजार रुपये का है, लेकिन जो हमने मांग की है वह कुछ ज्यादा है। उसमें फुएल और स्लीपर्स की ग्रांट भी सम्मिलित है। हम गवर्नमेंट आफ इंडिया को कंट्रोल रेट्स पर स्लीपर्स देते हैं उसके भी आंकड़े और फुएल के आंकड़े भी इसमें शामिल हैं। इन दोनों को मिला कर यह ग्रान्ट इतनी हो जाती है। कुछ थोड़ी सी रकम और भी है जैसे इनक्रीज इन डी० ए० वगैरह।

(इस समय १२ बजकर २६ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये और अधिष्ठाता, श्री लक्ष्मी-नारायण बंसल पीठासीन हुए।)

फुएल और ट्रांस्पोर्ट का रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया दे देती है। उनको ओवरहेड चार्जेज कहते हैं। जितनी रकम है वह मीट हो जाती है लेकिन बजट में दिखाना पड़ता है। मैंने १९५८-५९ और १९५९-६० की तुलनात्मक तस्वीर आपके सामने रख दी है। जैसा कि मैंने कहा इस वर्ष हमने टोटल राशनिंग के बराबर गल्ला दिया और अगले वर्ष उससे भी २ लाख टन ज्यादा हम अपने स्टाक में रखेंगे और किसी भी विपत्ति के लिए हम पहले से तैयार रहेंगे। जैसा कि मैंने कहा यह बताना प्रदेश की जनता के हित में नहीं होगा कि उसका क्या स्वरूप होगा कि किस प्रकार उसकी खरीददारी की जायगी। स्टेट ट्रेडिंग हमने अपने तरीके पर पहले से चालू कर दी है और भविष्य में जो केन्द्रीय सरकार उस पर विचार

कर रही है वह किस तरह से लागू करेंगे यह चीज आने को है । लेकिन हमारा जो बजट है वह मैंने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर दिया है ।

जहां तक लोहे और सीमेंट का प्रश्न है, सीमेंट तो डिकंट्रोल हो गया है इसलिए उसकी कोई जरूरत महसूस नहीं होती और हमारे पास उसके कोई आंकड़े नहीं हैं । आयरन और स्टील की जरूर कमी है । उसकी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है । अभी प्रश्नोत्तर में मैंने बताया कि हम इसके लिए उनसे बराबर लिखा-पढ़ी कर रहे हैं । कोयले की बीच में बड़ी खराब हालत हो गयी थी । कोल के लिए ऐक्सट्रा कोटा लिया और हम केन्द्रीय सरकार से बराबर लिखा-पढ़ी कर रहे हैं कि हमारा कोयले का कोटा भी बढ़ा दिया जाय। मेरा कार्य बहुत कुछ सरल हो गया है । उसका कारण यह है कि मिसलेनियस ग्रान्ट में जो आपने बिना वादविवाद पास कर दी है, उसके अन्दर जितनी डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम थी वह एल० एस० जी० की मारफत पास हो चुकी है ।

अब तो केवल स्टेट ट्रेडिंग का एक थोड़ा-सा अंश रह गया था । वह आज आपके सामने मैंने पेश किया । मुझे तो यह विश्वास है कि आप यह देखते हुए कि हमने कौन-कौन से उपाय किये हैं जिससे कि हमारे प्रदेश के अन्दर अन्न का भाव कंट्रोल्ड रहे और ज्यादा ऊंचा न हो इसके लिए जितना मानव-शक्ति के अन्तर्गत था और जितनी हम अपनी शक्ति लगा सकते थे वह लगायी और जितने भी नियम और कानूनों को बरत सकते थे उनको बरता । आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि लगभग ८०० दूकानें हमने इन्हीं दो महीनों के अन्दर खोलीं, जब कि जनवरी में ३२–३३ रुपये मन गेहूं की बात हो रही थी । इसके अतिरिक्त फारवर्ड ट्रेडिंग पर भी गवर्नमेंट ने प्रतिबन्ध लगाया और मूवमेंट पर भी हमने प्रतिबन्ध लगाया और १०० मन के बजाय ५० मन पर भी लाइसेंस लेने के लिए बाध्य किया और उससे उनकी स्टाक पोजीशन रोज चेक करते रहे । जितना रिक्वीजीशन कर सकते थे वह भी किया और चावलों की खरीद के लिए भी उनका मूल्य निर्धारित किया । तो जितने भी सम्भव उपाय थे, करीब पन्द्रह-बीस तरीके हमने अपनाये, उसके द्वारा हमने इस बात की चेष्टा की कि ट्रेडिंग क्लास का शिकार आम जनता, न बनने पाये ।

अन्त में मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा । आपकी बात सुनने के बाद उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा । एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इसके लिए सतर्क है और समझती है और उसने इस बीच में किया भी जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा उसने उसका दृढ़ता से मुकाबला किया । उसका गलत अर्थ लोगों ने और सदन के कुछ माननीय सदस्यों ने लगाया । जब मैंने पिछली बार कहा था कि अगर हम इन उपायों को अमल में नहीं लाते और इतना राशन वितरण न करते तो सम्भव था कि बहुत ऊंचा भाव बढ़ गया होता, तो बाज-बाज साथियों ने कहा कि यह भी ऐसी हालत थी जो कि साधारण आय वालों के लिए बड़ी विषम परिस्थिति बन गई थी और एक भयंकर स्थिति थी । इसमें कोई शक नहीं है । मगर इतना तो आप भी विचार करेंगे कि यद्यपि भाव बढ़े मगर कहीं पर भी किसी स्थान पर भी आदमी अन्न के बगैर कष्ट में नहीं रहा । निरन्तर उसको अन्न मिलता रहा और हर स्थान में हर कोने में अपने प्रदेश के अन्न की व्यवस्था हमने की । मैं एक बात यह भी बता दूं कि टोटल राशनिंग के दिनों में जब कि ६ लाख टन के करीब अनाज बांटा गया तब का स्टाफ आज के स्टाफ का चौगुना, छः गुना था । इस स्केलेटन स्टाफ से ७ लाख टन का वितरण इस वक्त कराया गया । यह कम नहीं है । उसके लिए नया स्टाफ रखते तो वह इनएक्सपीरियंस्ड होता, उसमें धन का भी दुरुपयोग होता और जो व्यवस्था हम चाहते थे कि उसमें कोई कमी न रहे, किसी तरह की चोरबाजारी न रहे, किसी को वितरण में कष्ट न हो, कोई दिक्कत न हो, तो यह सम्भव था कि इतने

[श्री जगमोहन सिंह नेगी]

अल्पकाल में और इतनी जल्दी से उसका मुकाबला करने के लिए वह नाकामयाब होते और एक प्रकार से पब्लिक का पैसा व्यर्थ खर्च होता। इसलिए हर सम्भव उपायों को अमल में लाकर काम किया गया।

आटे के सम्बन्ध में मैंने कहा कि चूंकि सूजी और मैदे में भाव ज्यादा मिलता था तो मिल वाले सूजी और मैदा ही अधिक बनाते थे जिससे जनसाधारण को आटा नहीं मिलता था। ५०-६० फीसदी पहले वह सूजी और मैदा बनाते थे। उसको हमने २ परसेंट सूजी निकालने पर घटवा दिया और उसके बाद जितना आटा था वह फ्लड अफेक्टेड एरियाज और हेल स्ट्रक एरियाज में भेजवा दिया। पहले यह बड़े-बड़े जिलों को जाता था, छोटे-छोटे जिलों को नहीं पहुंचता था। हमने उसको हर जिले में भेजवाना शुरू किया और यहां तक किया कि जिनको आटा दिया उनसे भी यह तय किया कि वह डबल रोटी में और बिस्कुटों में भी अपनी कीमत को घटा लें। और हर शहर में उस स्टेप को हम ले रहे हैं।

जहां तक छोटी-मोटी कमियां या खराबियां हैं उसके बारे में तो मैंने सभी माननीय सदस्यों से चाहे वे इधर के हों या उधर के हों जिलेवार सलाह-मशविरा लिया और मैं यह चाहता हूं कि भविष्य में हमारा काम ऐसा सुन्दर हो कि जैसे उत्तर प्रदेश का नाम उच्च है वैसे ही हर दिशा में उच्च बना रहे। इसके लिए खास तौर से विरोधी दल के सदस्यों से आशा करूंगा कि वह हमें सहयोग प्रदान करेंगे और खामख्वाह जो खराबी न हो उसके लिए खड़े होकर विरोध करें यह उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा नहीं लगता। मुझे विश्वास है कि वे इस कहावत को चरितार्थ नहीं करेंगे कि 'भेड़िये को तो खाना है चाहे कोई बहाना बने' इस कहावत को चरितार्थ न कीजिए बल्कि इसमें इस बात के सोचने की जरूरत है कि हम किस लगन और किस ध्येय के साथ कार्य कर रहे हैं। अगर हम अपनी शक्ति यथाशक्ति कार्य करते हैं तब तो आपको उत्साह बढ़ाना चाहिये और अगर हम अपनी शक्ति में कहीं कसर रखते हैं तब तो आपका लांछन ठीक है और वह हमें मान्य है। कुछ ऐसी बात हो सकती है कि समय का बदलाव हो गया हो। स्टेट ट्रेडिंग की तरफ हम जा रहे हैं। कुछ पार्टी ऐसी भी हैं जो कि उसको नहीं होने देना चाहतीं, तो उनका बल पाकर व्यवसायी खड़े होते हैं।

एक बात मैं यह कहता हूं कि मैंने कहा कि भाव गिरेंगे और विश्वास और दृढ़ता के साथ कहा तो विरोधी पक्ष वालों ने कहा कि, 'इट इज योर मियर विशफुल थिंकिंग'। तो आज वह प्रत्यक्ष हो गया। भाव २५-२६ रुपये से २१ रुपये हो गया और अब हो गया है २२ हापुड़ की मंडी में। मैं तो कहता हूं कि अच्छे लक्षण हैं। अगर बीमार एक दम से रोगमुक्त हो जाय तो कभी नहीं बचेगा और अगर टेम्परेचर धीरे-धीरे घटेगा तो उनके अच्छे होने के दिन आ गये। तो आज के जो लक्षण हैं भावों के, वे अच्छे हैं। आज जो होर्डर हैं वह जनसंघ के दीपक का सहारा पाकर चमका है परन्तु वह बुझने वाला है और मैं समझता हूं कि यदि आपका सहयोग प्राप्त हुआ, हम हमेशा शिकायत करते हैं, आप हमें सलाह दें और परामर्श दें, तो सब ठीक हो जायगा। आपकी सलाह के लिए हर वक्त निमंत्रण है। मगर खामख्वाह विरोध करने के लिये आप हम लोगों के उत्साह को यहां पर खड़े हो कर ठंडा न करें। देश और अपने प्रदेश के नाम को बदनाम न कीजिये। यही हमारी आप से प्रार्थना है और मुझे आशा है कि सभी माननीय सदस्य इस अनुदान की मुक्तकंठ से प्रशंसा करते हुये पास करेंगे।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट (जिला अल्मोड़ा)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक सूचना चाहता था, अगर माननीय मंत्री जी वाजिब समझें तो बता दें कि कंप्लीट स्टेट ट्रेडिंग इन फूड ग्रेन्स में कितना रुपया लगेगा। कितना तखमीना बैठता है? कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी?

श्री अधिष्ठाता--यह तो आप अपने बजट भाषण में कह सकते हैं और इसके मुताल्लिक मंत्री जी जवाब दे देंगे।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट––श्रीमन्, वह आर्गूमेंट में हम लाना चाहते थे कि आखिर कितना रुपया लगेगा। यह सूचना हो उनके पास तो दे दें।

श्री अधिष्ठाता––माननीय खाद्य मंत्री अगर दे सकते हों यह इनफार्मेशन तो दे दें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी––मैंने अभी बताया था शायद आपने सुना नहीं। इस वर्ष का आप चाहते हैं १९५९–६० का ?

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट––किसी भी एक साल का आप बता दें।

श्री जगमोहनसिंह नेगी––सारे प्रदेश में १०० लाख टन जो पैदा होता है उसको भी मैं खरीदूं और बाहर से इंपोर्ट भी करूं–९ लाख टन के करीब। लोगों का अनुमान है कि दस मिलियन से साढ़े बारह मिलियन टन इस प्रदेश की उपज है। तो १२५ लाख टन के करीब यह हुआ और ९ लाख टन इसमें और जोड़ लीजिये। उसका ३८ करोड़ रुपये के लगभग पड़ता है। तो आप अब खुद हिसाब लगा कर जोड़ लीजिये कि १३४ पर कितना हुआ।

श्री अधिष्ठाता––माननीय चन्द्रजीत यादव जी, आप कौन-सा कटौती का प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)––नम्बर ३ पर जो प्रस्ताव माननीय नारायणदत्त जी तिवारी के नाम से है उसे मैं पेश करूंगा।

श्री अधिष्ठाता––ठीक है। पेश कीजिये।

श्री चन्द्रजीत यादव––माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके आदेश से प्रस्ताव करता हूं कि इस सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य––नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। राज्य व्यापार की योजनाओं का साधारण जनता के हित में न चलाया जाना।

मैंने माननीय खाद्य मंत्री जी का भाषण बड़े आश्चर्य के साथ सुना, इसलिये कि माननीय मंत्री जी ने एक भेड़िये और मेमने की कहानी बतला कर यह बतलाने की कोशिश की है कि विरोधी पक्ष कोई न कोई बहाना ढूंढ़ता है सरकार की आलोचना करने का। लेकिन एक बार नहीं, अनेक बार विरोधी पक्ष की तरफ से इस बात का आश्वासन सरकार को दिया गया कि हम खाद्य संकट को एक राष्ट्रीय संकट समझते हैं और चूंकि यह राष्ट्रीय संकट है इसलिये इसको सुलझाने के लिये हमारा हमेशा सरकार के साथ सहयोग रहेगा। इस बात का आश्वासन बराबर विरोधी दल ने दिया। परन्तु सरकार यह समझती है कि हमारे इस आश्वासन के बाद वह जो कुछ भी करती है, जो कुछ कदम वह उठाती है, वह सही है और हमको आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। अगर माननीय मंत्री जी का यह मत हो तो मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि सरकार की खाद्य नीति असफल रही है और सरकार की दोषपूर्ण नीति ही इस बात के लिये जिम्मेदार है कि हमारे देश और प्रदेश में यह भयंकर खाद्य स्थिति पैदा हुई।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)––मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। माननीय सदस्य ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया और भाषण करने लगे, क्या यह उचित है ?

श्री अधिष्ठाता––कटौती का प्रस्ताव पेश हो गया है। आप कृपया बैठ जायं।

श्री चन्द्रजीत यादव––आप पहले सुनिये फिर व्यवस्था का प्रश्न उठाइये।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, दूसरी बात मैं यह बतलाना चाहता हूं कि सरकार को जो एक आत्मविश्वास-सा हो गया है कि इस प्रदेश में कोई भूखा नहीं है, कोई कष्ट में नहीं है। इस तरह

[श्री चन्द्रजीत यादव]

की आत्म प्रवंचना और आत्मविश्वास ही ऐसी बात है जो सरकार को हमेशा अंधेरे में रखती है, धोखे में रखती है और उसके कारण ही वह इस प्रदेश के खाद्य संकट को हल करने में असमर्थ है।

श्रीमन्, जहां तक राजकीय व्यापार का सम्बन्ध है, हर समाजवादी विचारधारा का व्यक्ति इस योजना का स्वागत करेगा। हमने बराबर इस सदन के अन्दर कहा है और सरकार के इस योजना को लागू करने के पहले हमने इस बात की मांग की थी कि यह अन्न की समस्या एक गम्भीर समस्या बन चुकी है। आज जिस प्रकार मनुष्य के जीवन से सम्बन्धित आवश्यक वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण वांछनीय है उसी प्रकार आवश्यक है कि खाद्य व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया जाय, सरकार इस व्यापार को अपने हाथ में ले। कारण यह है कि हमारे प्रदेश की कृषि नीति और हमारे प्रदेश की खाद्य नीति दोनों अब तक असफल रही हैं। कहा जाता है कि प्रकृति के कारण उत्पादन घटता है, लेकिन हमारी कृषि नीति इतनी दोषपूर्ण है और कृषि उत्पादन उसके कारण इतना कम है कि देख कर आश्चर्य होता है। मैं आपके सामने इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसे देखकर के यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारा प्रदेश उपज के मामले में आज भी कितना पिछड़ा है। यदि हम सन् १९५६-५७ के आंकड़े लें तो चावल में आंध्र की पैदावार प्रति एकड़ १,०१७ पाउन्ड थी। उसी वर्ष मद्रास की पैदावार १,२५५ पाउन्ड प्रति एकड़ थी और पंजाब की पैदावार ८६४ पाउन्ड प्रति एकड़ थी, लेकिन हमारे सूबे की पैदावार ५३१ पाउन्ड प्रति एकड़ थी। इसे देखने से स्पष्ट हो जाता है कि प्रति एकड़ पैदावार में हमारा प्रदेश कितना पीछे है। इसी तरह से गेहूं का भी हाल था। पंजाब में उन्हीं वर्षों में ९२१ पाउन्ड प्रति एकड़ पैदा किया गया और हमारे प्रदेश में ७०४ पाउन्ड प्रति एकड़ पैदा किया गया। तो यह कह देना कि जो प्रकृति के प्रकोप हुये उसके कारण से पैदावार कम हुई, यह बिलकुल गलत है। सरकार वास्तविकता से आंख मूंदती है और इस बात को स्वीकार न करना ही इस प्रदेश में अन्न संकट पैदा करने के लिये जिम्मेदार है।

जहां तक राजकीय व्यापार का प्रश्न है, इसको सभी जानते हैं कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में ६ एजेंसियां काम करती हैं और वे ऐसी हैं जो उत्पादक को सही कीमत नहीं देने देतीं। इस सम्बन्ध में हमारे देश के रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये हैं जिन्हें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं जिससे यह साफ मालूम होता है कि चावल की पैदावार की जो कीमत होती है वह उत्पादक को ६६.८० प्रतिशत मिलती है और गेहूं की पैदावार में ६८.५ प्रतिशत मिलती है, यानी ३२ से लेकर ३६ प्रतिशत तक बीच के लोगों में बंट जाता है। किसान जो कि मेहनत और परिश्रम करता है उसकी कमाई का ३२ से ३६ प्रतिशत तक उन व्यापारियों के पेट में चला जाता है जिनका एकमात्र उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना है। आज यह मुनाफा-खोरी और जखीरेबाजी की प्रवृत्ति हमारे देश और प्रदेश के अन्दर बढ़ती जा रही है और सरकार इस प्रवृत्ति को रोकने में पूर्णतया असमर्थ रही है। जब हमारे प्रदेश में खाद्य स्थिति भयावह होने लगी तो हमने और हमारी पार्टी ने सरकार को यह चेतावनी दी थी, हमारी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भी खाद्य आन्दोलन शुरू होने से पहले माननीय मुख्य मन्त्री से मिला था, और हम ने मांग की थी कि सरकार गल्ले का व्यापार अपने हाथ में ले और जखीरों को निकाले, लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपनी असमर्थता प्रकट की थी और कहा था कि हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि इसको अपने हाथ में ले सकें। उसके बाद जब स्थिति भयानक होती गई और अशोक मेहता कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की कि सरकार गल्ले के व्यापार को अपने हाथ में ले तो केन्द्रीय सरकार ने उसको मानने से इन्कार कर दिया। लेकिन जब वास्तविकता सामने आई और ठोकर लगी और बाद में चलकर नेशनल डेवलपमेन्ट काउन्सिल ने इस बात का निर्णय किया कि गल्ले के थोक व्यापार को सरकार को हाथ में लेना चाहिये तो, केन्द्रीय सरकार के फैसले के बाद भी हमारे प्रदेश की सरकार न चाहते हुए, क्योंकि उसको इस नीति में विश्वास नहीं था, मजबूर होकर उसको घोषणा करनी पड़ी कि वह इसको करेगी। सरकार का मंशा

नहीं था, सरकार को उस नीति के अन्दर विश्वास नहीं था और चूंकि उसकी मंशा और नीति के विरुद्ध नेशनल डेवलपमेन्ट काउन्सिल का फैसला था, जो सही फैसला था, उसके लिये सरकार आज भी हिचकती है ।

मुझे हाल ही में केन्द्रीय खाद्य विभाग के एक उच्चाधिकारी से बात करने का मौका मिला जिसका यह मत था कि राज्य सरकारें इस कार्य में बाधा डाल रही हैं और उनका इसमें विश्वास नहीं है, इसलिये केन्द्रीय सरकार भी असमर्थ है । केन्द्रीय सरकार को इसे अपने हाथ में लेना चाहिये और मुस्तैदी के साथ इसको लागू करना चाहिये क्योंकि राज्य सरकारें इसमें बाधा डालती हैं और उसने विशेषकर उत्तर प्रदेश की सरकार का नाम लिया था । उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना है कि उसके सामने बहुत सी दिक्कतें हैं, इससे राज्य और व्यापारियों में कम्पटीशन हो जायगा जिसमें किसानों का नुकसान होगा । तो मेरा पहला आरोप सरकार के ऊपर यह है कि वह अपनी नीति को साफ करे, लेकिन माननीय मन्त्री जी ने एक ताज्जुब भरी विज्ञप्ति दे दी । आपने यह कहा कि हमने थोक व्यापार की योजना लागू करने के बाद घोषणा की, हमने उसका नारा नहीं लगाया । दो सप्ताह पहले मैंने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछा था, लेकिन उसके उत्तर में माननीय मन्त्री जी ने बताया कि कोई योजना तैयार नहीं है, केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है । किसी योजना को बीच में लागू नहीं किया । सरकार समझती यह है कि थोड़े से गल्ले की खरीदारी कर ले और उसको स्टेट ट्रेडिंग का नाम दे दिया जाय, लेकिन यह राज्य व्यापार नहीं है । राज्य व्यापार के तो कुछ लक्ष्य होते हैं । उनमें से पहला लक्ष्य तो यह है कि किसान को सही कीमत मिलनी चाहिये उसके उत्पादन की, उपभोक्ता को उचित कीमत पर गल्ला खरीदने को मिले, बीच में जो लोग मुनाफा कमाते हैं उनके उस मुनाफे में कमी हो, उस प्रवृत्ति को कम किया जाय । जो डेफीसिट फाइनेंसिंग है, जिसकी वजह से हमारी पंचवर्षीय योजना खतरे में पड़ी हुई है, उसको रोका जाय । आज समाजवाद के युग में हर सरकार की यह नीति होनी चाहिये कि वह गल्ले के व्यापार को अपने हाथ में ले, इसलिये कि आजकल ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को चंद व्यापारियों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता । आप कहते हैं कि जनसंघ ने नारा लगा दिया और उससे कीमतें बढ़ गयीं, लेकिन मैं कहता हूं कि इसका कारण जनसंघ का नारा नहीं है बल्कि उसकी जिम्मेदार आपकी लचर नीति है । आप कोई नीति बनायें और उसके अनुसार कार्यवाही न करें, अपनी उस नीति को प्रयोग में न लायें और उसके बाद कहें कि फलां पार्टी के नारा लगाने से ऐसा हो गया, यह चीज गलत है । आप कहते है कि जखीरेबाजों ने अजीब टेक्टिक्स अपनायी, उन्होंने गल्ले को खरीद कर किसानों के घर में ही छोड़ दिया . . . .

(लाल बत्ती जलने पर)

श्रीमन्, आप मुझे कितना समय दे रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता––आपके दो मिनट बाकी हैं । १० मिनट दे रहा हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव––पहले तो यह निर्णय हो चुका है कि मूवर को २० मिनट दिये जायं । मैं तो उसी खयाल से बोल रहा था ।

श्री अधिष्ठाता––२० मिनट दो कट मोशनों के लिये थे, एक के लिये १० मिनट ही थे । खैर, आप जारी रखें ।

श्री चन्द्रजीत यादव––श्रीमन्, उस समय सरकार कहती थी कि व्यापारी लोग तरह-तरह की टैक्टिक्स अपनाते हैं और इस प्रकार से सरकार अपनी असमर्थता स्वीकार करती है । लेकिन जब उसको अपनी वकालत करनी होती है तब अपने उन आश्वासनों और बयानों कोभूल जाती है, जो इस माननीय सदन के अन्दर वह दे चुकी है ।

[श्री चन्द्रजीत यादव]
मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आज भी वे मजबूती के साथ कदम नहीं उठा रहे हैं, अब वक्त आ गया कि वे मजबूती के साथ कदम उठायें।

दूसरी बात सरकार ने यह मानी है कि इस मद में सरकार ने १९५७-५८ में १३,६१, २२, ५२५, रुपया खर्च किया है और १९५८-५९ में वह पौने २४ करोड़ हो गया और अब पौने उन्तालीस करोड़ आप रख रहे हैं। यह इस बात को साबित करता है कि सरकार उसी नीति पर आ रही है जिसको हमने कहा था, लेकिन वह कांपते हुए कदमों से उधर बढ़ रही है। इस प्रकार से आपकी नीति में मजबूती न होने के कारण प्रदेश में यह दुष्परिणाम हो रहे हैं।

एक सदस्य---श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---कोरम पूरा है। माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री चन्द्रजीत यादव---श्रीमन्, रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने इस बात को माना है कि सन् १९५५ की अपेक्षा सन् १९५६ में होर्डिंग दुगुनी हो गयी और उन्होंने कहा है कि होर्डिंग की प्रवृत्ति इस प्रकार से बराबर बढ़ती जाती है। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार ने इसको रोकने के लिये कौन सा कदम उठाया सिवा इसके कि दो-चार गोदामों पर धावा बोल कर उसने थोड़ा सा गल्ला अपने कब्जे में कर लिया? श्रीमन्, मैं फिर इस बात को दोहराना चाहता हूं कि सरकार की आज भी कोई निश्चित नीति गल्ले के बारे में राज्य व्यापार की नहीं है। यदि सरकार कोई निश्चित नीति निर्धारित कर ले और उस नीति को लागू करने में वह तमाम विरोधी दल का सहयोग प्राप्त करना चाहेगी तो हम अपना सहयोग देने के लिये तैयार हैं। लेकिन सरकार हमारी राय या मशविरे को ठुकरा कर अपने ही रास्ते पर चलना चाहेगी तो फिर हमारे सहयोग की आशा करना सहयोग का मखौल उड़ाना होगा और बार-बार इस सदन के अन्दर सहयोग के नाम पर अपनी नीति के विपरीत जाना होगा।

दूसरी बात, श्रीमन्, यह है कि आज भी हमारे देश के अन्दर बड़े पैमाने पर होर्डिंग है और जखीरेबाजों ने बहुत-सा गल्ला छिपा रखा है। श्रीमन्, हमारा तो सरकार के ऊपर यह आरोप है कि वह बड़े-बड़े व्यापारियों के सामने घुटने टेकती है, जबकि मंत्री महोदय ने इस बात को कहा था कि वे हर व्यापारी से गल्ला लेंगे और कोई अपवाद न होगा सिवा चौराचौरी के। लेकिन उनके अधिकारियों ने उनके उस निर्णय का इन्टरप्रिटेशन इस तरह से किया कि मंत्री महोदय को मजबूर होकर प्रदेश के दूसरे व्यापारियों के लिये भी अपवाद करना पड़ा और उस निर्णय को लागू करना पड़ा, क्योंकि सरकार की नीति ही ऐसी है कि वह अधिकारियों के सामने झुकती है और बड़े-बड़े व्यापारियों के दबाव में आकर झुकती है। सरकार गरीब किसानों की तरफ आज भी देखने के लिये तैयार नहीं है। अगर इसी तरह की नीति सरकार की रही तो हमारा सहयोग मुमकिन न होगा।

तीसरी बात यह है कि हमारे प्रदेश के अन्दर सस्ते गल्ले की दूकानें जितनी खोली गयी हैं वे तमाम प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुए बहुत ही कम हैं। केरल में जहां ८-१० हजार सस्ते गल्ले की दुकानें खुली हुई हैं उसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में कम से कम ५० हजार सस्ते गल्ले की दुकानें होनी चाहियें। जबकि यहां मुश्किल से ४ हजार सस्ते गल्ले की दूकानें खुली हैं और सरकार कहती है कि हमने सस्ते गल्ले की दूकानें खोल कर बड़ी सुविधा दी है, यह एक प्रकार की प्रवंचना ही है।

जहां तक गल्ले की बढ़ती हुई कीमत का सवाल है, आज भी हमारी जनता उसके भार से मर रही है। चाहे शहर की रहने वाली जनता हो, चाहे देहात की रहने वाली जनता हो, माननीय मंत्री महोदय के वक्तव्य के अनुसार भले ही गल्ले की कीमत एक रुपया डेढ़ रुपया या ८ आने मन गिर गयी हो, लेकिन गरीब जनता को आज भी गेहूं २८ रुपया और ३० रुपया मन खरीदना पड़ता है और अरहर की दाल ४० रुपया मन खरीदनी पड़ती है। मैं नहीं जानता कि

थोक का भाव क्या है ? फिर भी जनता को आज भी जिस बढ़ते हुये भाव पर गल्ला लेना पड़ रहा है उस तरह से उसका जीना संभव नहीं होगा।

चौथी बात यह है कि स्टेट ट्रेडिंग लागू करने के लिये सरकार को गल्ले की न्यूनतम कीमत निर्धारित करनी होगी तथा उसके साथ ही साथ सरकार अपनी मशीनरी को भी एफिशिएंट बनावे वरना इस नीति से किसान जो आज मर रहे हैं वे और भी भूखों मरने लगेंगे। सरकार को चाहिये कि वह किसानों के लिये गल्ले की कीमत निश्चित कर दे कि किस कीमत पर उनका गल्ला खरीदा जायगा ताकि किसानों के लिये कोई खतरा न रहे कि उसको कोई धोखा दे सके। सरकार की मशीनरी एफिशिएंट होनी चाहिये ताकि किसानों को कोई लूटने न पावे। स्टेट ट्रेडिंग के संबंध में एक बात यह भी कही गयी कि ज्यादा स्टाफ की जरूरत पड़ेगी तथा सरकार के पास इतने गोदाम भी नहीं हैं जहां वह गल्ला रख जा सके। श्रीमन्, आज भी जखीरेबाजों के अपने गोदाम हैं वहां वे अपन गल्ले रखे हुये हैं और रखते हैं। गरीब आदमियों के मकान तो सरकार द्वारा एववायर कर लिये जाते हैं, लेकिन सरकार इन बड़े-बड़े जखीरेबाजों और पूंजीपतियों के गोदामों को लेने में हिचकिचाती है।

पांचवीं बात यह है कि सरकार को अपनी मशीनरी बनानी पड़ेगी, लेकिन इसके लिये आवश्यक यह है कि गल्ले की कीमत निश्चित करने की कार्यवाही को तुरन्त शुरू कर देना चाहिये। लोहे और कोयले के बारे में जो मंत्री जी ने बतलाया है इनकी व्यवस्था भी प्रदेश में बहुत खराब है। लोगों को मिल नहीं रहा है। क्यों केंद्रीय सरकार से बम्बई, बिहार और बंगाल के लोगों को अधिक कोटा मिलता है और हमारी प्रदेशीय सरकार को कम मिलता है ? कारण साफ़ है कि प्रदेश की सरकार अपनी बात को रखने में असमर्थ होती है इसलिये कोटा नहीं मिलता है। इसलिये मैं आखिर में कहूंगा कि जनता की आवश्यकताओं को देखते हुये, इन तमाम बातों को देखते हुये सरकार निश्चित रूप से, सुनिश्चित रूप से, हिम्मत के साथ इस योजना को लागू करे।

अनुदान संख्या ५३

[श्री राघवेंद्रप्रताप सिंह,
कुंवर श्रीपाल सिंह,
राजा वीरेंद्रशाह,
श्री प्रतापभान प्रकाश सिंह
श्री बलदेव सिंह,
श्री प्रतापबहादुर सिंह,
श्री रघुरनतेजबहादुर सिंह,
तथा
श्री शिवशंकर सिंह।

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। कृषि पदार्थ के उचित मूल्य निर्धारण और उसके विधि पर विचार प्रकट करना।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। अन्न की वसूली और वितरण की व्यवस्था उचित न होने के कारण अन्न की मंहगाई का चरमसीमा पर पहुंच जाना।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी

सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

[ ] ये कटौती के प्रस्ताव सदन में उपस्थित नहीं किये गये किन्तु श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार उपस्थित किये गये माने गये।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। खाद्य विभाग में बहुत वर्षों से अस्थायी चले आ रहे-कर्मचारियों के पदों को स्थायी किये जाने पर विचार।]

कुंवर श्रीपाल सिंह (जिला जौनपुर)---अधिष्ठाता महोदय, क्या मुझे अपना कटौती का प्रस्ताव पढ़ना पड़ेगा या समझ लिया जायगा कि पढ़ा गया ?

श्री अधिष्ठाता---आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वह तो मूव हो गया।

कुंवर श्रीपाल सिंह---अधिष्ठाता महोदय, सर्व प्रथम मैं इस स्टेट ट्रेडिंग का स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह स्टेप जो गवर्नमेंट लेने जा रही है वह वाकई में प्रशंसा के योग्य है। होना चाहिये भी इसे। श्रीमन्, यह संसार के और भी मुल्कों में है, अमेरिका में है, जापान में है, इन सारी जगहों में गल्ले के व्यापार को सरकार अपने हाथ में रखती है। जहां तक इस सिद्धान्त का सवाल है, मैं इसका समर्थन करता हूं। परन्तु सरकार के रवैये को देखते हुये थोड़ी सी किसानों के हृदय में हलचल पैदा होती है। उस निमित्त जो थोड़ी सी शंकायें हैं उन्हें मैं निवेदन करना चाहता हूं ताकि सरकार उन शंकाओं के निवारण के ऊपर भी विचार करते हुये इस व्यवस्था को लागू करे।

श्रीमन्, शंकायें इस वजह से पैदा होती हैं कि अब तक सरकार का जो रवैया रहा है, जिन चीजों का राष्ट्रीयकरण सरकार ने किया है, कहा तो यह गया राष्ट्रीयकरण के पहले कि यह जनहित में है, परन्तु अन्त में चलकर वह चीजें सरकार के ही हित में हो गई। जमींदारी अबालीशन हुआ, किसानों के लगान नहीं घटे, अबवाब उनके ऊपर और बढ़ गया। प्राइवेट लारिया जो चलती थीं उनकी जगह रोडवेज की बसेज चलायी गईं, किराये में कमी नहीं हुई। बल्कि अगर कोई यात्री अपनी छोटी-सी पोटली भी ले जाता है तो उस पर भी दाम लगने लग गये। तो कहीं इसी प्रकार से यह स्टेट ट्रेडिंग में भावों के निर्धारण के समय कुछ इस प्रकार की बातें न आ जायं कि अभी तक किसान की जो अपनी वस्तु का दाम मिल रहा था वह भी, मिलें क्यों कि तब किसान की चीजों को खरीदने के लिये चार आदमी पहुंचते थे, एक दूसरे में कम्पटीशन हो जाया करता था, किसान को उसके दाम उचित मिल जाया करते थे। और अगर केवल एक ही एजेंसी सरकार की ही रह जायगी तो एक तो कम्पटीशन नहीं होगा, फिर सरकार के मुकाबले खड़ा भी कौन हो सकता है। यह एक बहुत ही जबरदस्त चीज ऐसी है जो किसानों के हृदय में हलचल पैदा किये हुये हैं।

श्रीमन्, यह देखने में आया कि गल्ले का भाव थोड़ा-सा बढ़ा चारों तरफ से उस पर चीख पुकार हुई, उसको कंट्रोल करने के लिये कदम भी उठाये गये सरकार की तरफ से। गल्ले के भाव कम भी हुए और इस के लिये माननीय मंत्री जी और उन की सरकार वाकई में धन्यवाद के पात्र हैं, उन्होंने हालत को सम्हाला इसमें संदेह नहीं है, लेकिन किसान यह नहीं चाहता कि उस के गेहूं के दाम एक रुपया मन हो जायं या ५० रुपया मन हो जायं, वह तो चाहता है कि उस की जरूरत की चीजें एक मन गेहूं बेंचने पर जो पूरी हो जाया करती थीं वे आज भी पूरी हो जायं। किसान को रंचमात्र भी तकलीफ नहीं होगी इसमें कि उस के गेहूं का भाव कम हो गया हो या उसके धान के भाव गिर गये। वह चाहता है कि उस की आवश्यकता की वस्तुयें जो उतने ही गेहूं या धान बेचने से पूरी हो जाया करती थीं वे आज भी पूरी हो जायं। मेरा आशय यह है कि उस के काम में आने वाली वस्तुओं के दामों में और उस के द्वारा उत्पादित अनाजों के दामों में एक समन्वय होना चाहिये, एक बराबरी होनी चाहिये। इसके लिये दो चीजें हो सकती हैं, यानी गल्ले का भाव निर्धारित करने के लिये दो बातें हो सकती हैं। एक तरीका तो वह है जो कौटिल्य अर्थ शास्त्र में महापंडित चाणक्य ने बतलाया है कि हर सप्ताह अनाज के भाव सरकार की ओर से निर्धारित हों। परन्तु उस में कुछ थोड़ी सी गलती भी हो सकती है,

क्योंकि किसी क्षेत्र में गेहूं बो दिया जाता है और भराई नहीं करनी पड़ती, यों ही पैदा हो जाता है, किसी क्षेत्र में एक ही पानी देने से हो जाता है, किसी क्षेत्र में तीन, चार पानी में होता है। इस तरह से हर क्षेत्र में पैदावार का खर्च अलग होता है। अब अगर एक ही भाव सब जगह के लिये निर्धारित किया जाता है तो एक जगह कम और एक जगह अधिक हो जायगा। इसलिये खर्च को ध्यान में रखकर और उस पर थोड़ा नफा रखकर भाव निर्धारित किये जायं यह गलत हो जायगा। अतः एक मात्र तरीका यही है कि किसान के उपयोग में आने वाली चीजों के दामों के समन्वय में गल्ले के दाम निश्चित किये जायं और किसी साल को प्रतीक मानकर कि उस सन् में क्या प्रोपोर्शन था गल्ले के और किसान की आवश्यकता की चीजों के दामों में, इस तरह से दोनों का हिसाब लगाकर भाव रखे जायं तभी यह संभव हो सकता है।

मंत्री जी ने कहा कि दैवी विपत्तियों के कारण हमारे सूबे में बहुत हानि होती है। मैं भी मानता हूं और सरकार भी दैवी विपदाओं को मानती है, लेकिन क्या सरकार दैव को मानती है? दैवी विपत्तियों को मानते हुए दैव को न मानना उचित नहीं है और अगर वह दैव को मानती है तो दैव की शांति के लिये सरकार ने कौन-सा काम किया? पांच भूतों से संसार का निर्माण होता है और उस में से एक जल है और एक वायु है। जल के लिये तो बड़ी-बड़ी टंकिया बनाई गई हैं और फिल्टर लगाये गये हैं और पानी साफ करके दिया जाता है, लेकिन वायु को शुद्ध करने के लिये सरकार ने कोई काम किया, बादलों को बनाना या उनका बनना रोकने के लिये सरकार ने कोई कदम उठाया? कहा जा सकता है कि इन चीजों पर कैसे काबू पाया जा सकता है? मैं मानता हूं कि आज के विज्ञान में अभी इन चीजों तक पहुंचने की सामर्थ्य नहीं है। आज का विज्ञान तो अभी उन्नति के प्रथम सोपान पर है, वह नहीं जानते कि इन चीजों को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन हमारे महर्षियों ने हर चीज के लिये स्थान रखा था और उसके लिये उपाय बताया था। आज हमारी सरकार की तरफ से कितने यज्ञ किये गये हवा की सफाई के लिये?

श्री जगमोहन सिंह नेगी––बसंत पंचमी के रोज मुख्यमंत्री जी ने यज्ञ किया।

कुंवर श्रीपाल सिंह––हां, केवल मुख्य मंत्री जी ने किया। उनकी इस मामले में मैं तारीफ करता हूं और इतना ही नहीं, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि वही एक व्यक्ति ऐसे हैं जिनके अन्दर यह भावना इतनी दृढ़ है और वह इतना ठोस कदम उठाने वाले व्यक्ति हैं कि उस यज्ञ को करते हुए भी उन्होंने यह नहीं सोचा कि लोग उनकी आलोचना भी करेंगे। वहीं मैं बैठा था, मेरे सम्मुख ही चन्द पढ़े-लिखे लोग भी थे। एक कोई यूनिवर्सिटी के साहब थे, मालूम नहीं कौन थे, कोई आर्ट फैकेल्टी के थे। वह पूछ रहे थे कि क्या हो रहा है? मुझे ताज्जुब हुआ कि यह साहब कहां के हैं। शायद वह वेस्ट इंडीज से आये हों, क्योंकि रंग तो उनका काला था पर यहां की सभ्यता को जानते नहीं थे, इसलिये भारतीय हो नहीं सकते थे। रंग सफेद होता तो मैं कहता कि अमरीकन या अंग्रेज होंगे। तो मैंने समझा कि वेस्ट इंडीज के रहने वाले ही हो सकते हैं। हमारी सभ्यता और संस्कृति हमें बतलाती है कि हम यज्ञों के जरिये से वायु की सफाई कर सकते हैं और वायु जब साफ होगी तो उससे बादल जो होंगे वे इतनी अतिवृष्टि नहीं करेंगे जिससे नुकसान हो और न ऐसी अनावृष्टि ही होगी जिससे खेती को नुकसान हो; राज्य इसके लिये पूर्णतया जिम्मेदार है। भगवान रामचन्द्र के राज्य में जैसा कहा है कि "मांगे वारिद देंहि जल रामचन्द्र के राज" यह कोई कपोल कल्पित बात नहीं है। यह प्रत्यक्ष होता था। आज सरकार उनके लिये क्या कर रही है? मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार दैवी आपत्तियों को अगर मानती है तो दैव को भी माने और दैवी आपत्तियों से छुटकारा पाने के लिये दैव की प्रसन्नता का कुछ उपाय करे।

श्रीमन्, आज हमारे प्रदेश में क्या, हमारे देश में आम तौर से किसान की मेहनत का पैसा किस प्रकार मध्यवर्ती लेते हैं इसका प्रमाण देना चाहता हूं। मध्यवर्ती कितना ले

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

रहे हैं और उत्पादक को कितना मिल रहा है। यह एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट आन मार्केटिंग आफ राइस इन इंडिया ऐंड बर्मा"। इसमें दिया है कि हिन्दुस्तान के प्रोड्यूसर्स को ५७·५ परसेंट धान की उपज में मिलता है और मध्यवर्ती ४२·५ परसेंट ले जाता है। और जापान में उसी उपज पर उत्पादक को ८५·९ परसेंट मिलता है और मध्यवर्ती को १४·१ परसेंट मिलता है। इसके अलावा जापान में जो भी उपज होती है उसका व्यापार सरकार अपने हाथ में रखती है, उचित मूल्य निर्धारण करके। इससे किसान को भी नुकसान नहीं होता है और साथ ही साथ उपभोक्ता को भी वे चीजें सस्ती मिलती हैं।

मैं अन्त में यही निवेदन करना चाहता हूं कि भावों को आप चाहे जो रखिये, हमको एतराज नहीं---८ आने मन, १ रुपया या ५० रुपया मन रखिये, मगर उस एक मन में जितनी हमारी आवश्यकतायें थीं, अगर दो जोड़ा धोती का मिलता था, अगर उस एक मन में दो फावड़े खरीद सकता था किसान, उस एक मन में अगर १० रोज काम लेने को मिलता था एक मजदूर से, तो वही अनुपात कीमतों का रखा जाय, अगर ऐसा हो तो हम आपकी स्टेट ट्रेडिंग का स्वागत करते हैं।

श्री रामलक्षण तिवारी (जिला बलिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज जिस अनुदान को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है इससे संबंध है स्टेट ट्रेडिंग का। स्टेट ट्रेडिंग की जो योजना यहां चलायी गयी है यह एक बहुत जरूरी साहसपूर्ण कदम है, एक क्रांतिकारी कदम है और जनता के लाभ की दृष्टि से यह अत्यन्त उपयोगी कदम है। हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में जो उत्पादक था, जो गल्ला पैदा करता था उसको अपनी पैदावार पर मुनाफे का वह अनुपात नहीं प्राप्त हो पाता था जो उसे प्राप्त होना चाहिये था। यही नहीं, बल्कि बीच में वाणिज्य करने वाले जो व्यवसायी होते थे वे उत्पादन के समय भावों को मन्दा करके काफी सस्ते में गल्ला खरीद लेते हैं और जब वह गल्ला उनके हाथ में आ जाता था तो वे महंगा भाव पैदा करके जनता का शोषण करना शुरू कर देते थे। इसी परिस्थिति में ऐसी-ऐसी घटनायें भी घटित हुईं जब अकाल की संभावनायें हमारे प्रदेश में पैदा हुईं। जिस समय हिन्दुस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था बंगाल में जो भयंकर अकाल आया था वह अकाल भी इन्हीं मध्यवर्तियों की नीति का परिणाम था। इन तमाम पहले की घटनाओं को देखने के बाद ही सरकार को इस निर्णय पर पहुंचने के लिये विवश होना पड़ा था कि वह अपने हाथ में गल्ले के व्यापार को ले लें। मैं समझता हूं कि यह कदम जितना साहसपूर्ण है उतना साहस अभी पूरा-पूरा हमारे इस देश के भीतर नहीं है, उसमें कुछ कमी दिखलाई पड़ती है। जिस सिद्धांत को हमने मान लिया उसपर पूर्णरूप से दृढ़ हो करके और उस चीज को आगे बढ़ाने के लिये हमारे अन्दर पूरी-पूरी तत्परता होनी चाहिये। अगर हमारे अन्दर जरा भी इस काम के लिये हिचकिचाहट रहेगी तो हालत वही होगी जैसा कि एक कवि ने कहा है:---

"सकल भूमि गोपाल की, या में अटक कहां।
जाके मन में खटक है, सोई अटका रहा।।"

तो जो स्कीम हमने चालू की है अगर उस स्कीम को चलाने में जरा भी हमारे भीतर किसी भी तरह की हिचकिचाहट, इफ ऐंड बट, पैदा हुई तो यह संभव है कि वह स्कीम कामयाब होने के बजाय नाकामयाब हो। हम लोगों का कदम बढ़ने के बजाय पीछे की ओर घसीट ले चले और हमारे भविष्य को ऐसा कर के छोड़ें जिससे कि हम आगे फिर उस तरफ कदम बढ़ाने की चेष्टा न कर सकें।

इसलिये, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि जो कदम उठा हुआ है वह कदम किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहिये और इसको हमेशा आगे की ही ओर बढ़ाने की चेष्टा होनी चाहिये। इसी से जनता का कल्याण हो सकता है और इसी से समाज का कल्याण हो सकता है, कृषि का उत्पादन करने वाली जनता

को इसी के द्वारा राहत प्राप्त हो सकती है। इसमें कुछ मुसीबत हो सकती है उनके लिये जो लोग बीच में पैसा खाया करते थे उन लोगों को कुछ थोड़ी सी असुविधायें कुछ दिनों के लिये होंगी, लकिन इस दश का यह भी कर्त्तव्य है कि वह उनकी असुविधाओं को देखते हुये उनकी राहत का भी कोई न कोई रस्ता इसके अन्दर निकालेंगे।

मैं पिछली बातों को यहां पर दोहराना नहीं चाहता, किन्तु यह कहता हूं कि केवल मध्य-वर्ती ही हमारे भावों को ऊंचा और नीचा करने के दोष का भागी नहीं हो सकता, कुछ हमारी भविष्य वाणियां भी उनको ऐसा करने के लिये प्रोत्साहित किया करती हैं। जब हम यह चिल्लाना शुरू करते हैं कि हमारे प्रदेश के एक मुख्य हिस्से में भुखमरी आ गयी तो उनके दिलों में तुरन्त यह भाव तो पैदा नहीं होता कि जहां पर भुखमरी है उन स्थानों के लोगों के लिय कुछ उदारतापूर्वक भाव को सस्ता कर के गल्ला पहुंचाने की चेष्टा करें बल्कि उनके द्वारा भावों को ऊंचा करने की चेष्टा होती है कि गल्ले को इस तरह से इकट्ठा करके बन्द रखो जिससे उन इलाकों में अधिक स अधिक मुनाफा ले कर के गल्ला दें और हमें अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। तो इस तरह की उनकी भावनाओं को यदा-कदा हमारी भविष्य–वाणियों से प्रोत्साहन मिलता रहा। सरकार ने यद्यपि हमेशा इस बात की कोशिश की कि जनता की तकलीफें हमारे सामर्थ्य से बाहर नहीं हैं और न हम ऐसे हैं कि उनका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन तो भी हमारे विरोधी पक्ष के कुछ नेताओं की ओर से बराबर ही ये भविष्य वाणियां की गयीं। मुझे पिछले दिनों, मई और जून के महीने की याद है जब कि हमारे माननीय नेता, विरोधी दल की ओर स एक परचा सदस्यों के पास भेजा गया था जिसमें यह निवदन किया गया था कि गवर्नर महोदय से यह प्रार्थना की जाय कि जल्द से जल्द वे सैशन बुलाने की चेष्टा करें क्योंकि हमार प्रदेश में अनावृष्टि के कारण घोर अकाल उपस्थित होना चाहता है। जब सैशन शुरू हुआ तो इन चीजों की यहां पर कुछ-कुछ घोषणायें भी हुईं और खाद्य स्थिति पर इतना अधिक विवाद हुआ कि उसका परिणाम यह हुआ कि जिन लोगों के पास गल्ला था उन्होंने बेचना पसन्द नहीं किया। मैं खुद अपने देहात की बात जानता हूं। वहां एक सज्जन के पास गल्ला पदा हुआ था। ज्योंही उन्होंने नेताओं के वक्तव्यों को पढ़ा उन्होंने गल्ला बेचना बन्द कर दिया और कहा कि जैसी परिस्थिति है उससे मालूम होता है कि गल्ला अभी और मंहगा होगा। दूसरे उन्हीं के पट्टीदार जिन्होंने गलती से गल्ला बेच दिया था उनको इतना मुनाफा नहीं हुआ, लेकिन जो सज्जन रोक रखे थे २–३ महीने बाद उनको दूना और तिगुना मुनाफा हुआ जो कि साधारण समय में उनको मिलना मुश्किल था। यही परिस्थिति प्रान्त के पश्चिमी जिलों में जहां गल्ले की मंडियां थीं हुईं। पिछला साल जो गुजरा है ऐसा था जिसमें निरन्तर खाद्य परिस्थिति के ऊपर विवाद सदन के बाहर और भीतर होते रहे जिसका नतीजा यह हुआ कि दैवी आपत्तियों ने भी जितनी मुसीबत नहीं बढ़ाई उससे अधिक हमारे इन विवादों ने मुसी-बत को बढ़ाने में काम किया। मुझे खेद है, इन बातों को कहने के लिये विवश होना पड़ रहा है।

इसके साथ ही साथ मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा। मंत्री महोदय ने जिस तरीके से यहां पर यह उद्धृत किया कि हमने साधारण परिस्थितियों में उतना गल्ला दिया जितना कि टोटल राशनिंग के समय देना पड़ा था, मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि यदि टोटल राशनिंग के समय भी उतना ही गल्ला देना पड़ा था तो उन्होंने पूरी राशनिंग क्यों नहीं जारी कर दी। हमारा तो यही विश्वास है कि जिस तरह से स्टेट ट्रेडिंग की व्यवस्था की जा रही है उसी तरह ऐसी परिस्थिति में टोटल राशनिंग की व्यवस्था सर्वथा जारी रहनी चाहिय। अगर सारे जिलों में नहीं तो कम से कम जो डेफिसिट जिले हैं वहां तो टोटल राशनिंग की व्यवस्था जरूर ही जारी रखनी चाहिये और शहरी क्षेत्रों में निवास करने वालों के लिए भी बराबर टोटल राशनिंग रहनी चाहिये। जिस तरह से प्रोक्योरमेंट की स्कीम जारी कर के गल्ला खरीदा गया था और सारा काम स्टेट के अधिकार में रख कर उसके

[श्री रामलक्षण तिवारी]

डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल किया गया था उसी तरह से इस प्रदेश की ६ करोड़ जनता की रोजमर्रा की जितने गल्ले की जरूरत है--- मैं तो गल्ले तक ही इसे सीमित नहीं रखना चाहता बल्कि मैं तो उस की और भी आवश्यकताओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, कपड़े की समस्या, गल्ले की समस्या या और भी जो जीवन के लिये आवश्यक चीजें हैं उन सभी वस्तुओं को एक जगह इकट्ठा करके उनके वितरण की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे हर आदमी के पास समुचित मात्रा में, आवश्यकता के अनुसार, समुचित मूल्य पर हर चीज पहुंच सके। अगर हम इसमें कामयाब होंगे तभी हमारा समाजवाद का लक्ष्य पूरा होता नजर आयेगा। जिस तरह से स्टेट ट्रेडिंग समाजवाद की ओर हमारा एक बहुत ही प्रभावकारी कदम है उसी प्रकार हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जो भी कार्यवाही की जायगी चाहे उत्पादन पर कंट्रोल करके या वितरण पर कंट्रोल करके वह समाजवाद की ओर एक प्रगतिशील कदम कहा जायगा। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)---श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता---एक और दो के बीच में कोरम के पूरे होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा तय हो गया है।

***श्री रामायणराय** (जिला देवरिया)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने बड़े ध्यान से माननीय मंत्री जी के वक्तव्य को स्टेट ट्रेडिंग के सम्बन्ध में सुना और जो पुस्तिका खाद्य तथा रसद विभाग की ओर से वितरित की गई है उसको भी ध्यान से पढ़ा। मेरा जहां तक ज्ञान है, मैं ऐसा जानता हूं, कि जो नेशनल डेवलपमेंट कौंसिल है, उसने अनाज के क्षेत्र में समाजीकरण की नीति का समर्थन किया है। अशोक मेहता कमेटी ने अपनी सिफारिशों में यह कहा कि एक ऐसे देश में जहां कि प्लानिंग हो रहा है, योजनायें चल रही हैं, यह आवश्यक हो जाता है कि जीवन की आवश्यक वस्तुओं का राज्य की ओर से व्यापार किया जाय। इस दिशा में हमें कहां तक कामयाबी मिली है इसे हम केवल एक वाक्य में कह सकते हैं कि आखिर इसका लक्ष्य क्या है? इसका सीधा-साधा लक्ष्य यह है कि हम बाजार में जीवन की आवश्यक वस्तुओं के मिलने के लिये नियंत्रण कर सकें। माननीय मंत्री जी ने स्वयं कबूल किया है कि उनकी चेष्टाओं के बावजूद जहां सरकारी भाव साढ़े पन्द्रह रुपये मन है वहां खुले बाजार में २२ रुपये या इससे भी ज्यादा दाम पर गल्ला खरीदने वालों को मिला है। जो स्टेट ट्रेडिंग का लक्ष्य था उसमें हमारी सरकार नाकामयाब साबित हुई है। बाजार भाव से यह बात साफ-साफ साबित है।

अशोक मेहता कमेटी ने अपनी सिफारिश में कहा था कि मूल्य के नियंत्रण के लिये समिति बनानी चाहिये और प्राइसेज फिक्सेशन बोर्ड की स्थापना की बात भी कही थी और उसके साथ ही फूड कौंसिल की बात भी कही थी। हमें जो पुस्तिका दी गई है उसमें भी हवाला है कि राज्य के स्तर पर हमने खाद्य परामर्शदात्री समिति की स्थापना की। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इस समिति की कितनी मीटिंग्स हुईं और उनमें जो प्रस्ताव थे उनकी तरफ से क्या सिफारशें आईं और हमारी सरकार की ओर से उनको लागू करने के लिये क्या-क्या चेष्टायें की गईं।

इसमें यह भी बताया गया है कि मुहल्ला समितियां कायम हैं, जिला परामर्शदात्री समितियां कायम हैं। यह कहां कायम हैं, उपभोक्ताओं को पता नहीं है। सरकार को अवश्य पता होगा मैं अपनी बात क्या कहूं। मैं उस अभागे इलाके से आता हूं जिसके ऊपर सरकार की विशेष कृपा है। आज कुछ खास किस्म के अधिकारी वहां भेजे गये हैं जो सस्ते गल्ले की दुकानों के वितरण में भी राजनीति को आधार मानते हैं। श्रीमन्, मैं कहना चाहूंगा कि मेरी तहसील

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में ९०० गांव हैं और एम० एल० एज० की चार कांस्टीटुएन्सीज हैं। एक में ३८ दुकानें खुली हैं और बाकी तीन में जिनमें सरकार के आदमी दो-दो दफा हार चुके हैं उनमें ३८ से भी कम खुली हैं। अपनी बात मैं क्या कहूं, हमारे इलाके में राजनीति से अन्न का वितरण किया जाता है।

मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी ने चेष्टा की और अलग-अलग जिले के लोगों को बुलाया और चाहा कि उनके सुझाव क्या हैं। ठीक है, उनका यह प्रयास बहुत अच्छा है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मंत्री जी स्वयं अपनी स्थिति को समझने की चेष्टा करें कि कहां तक उनको उन सुझावों पर अमल करने का मौका मिलेगा, इसमें मैं सन्देह करता हूं। इसलिये, कि हमारे खाद्य मंत्री, अगर खाद्य की समस्या को महत्व दिया गया होता तो आज केवल स्टेट मिनिस्टर ही न होते। पुलिस मिनिस्टर को कैबिनेट मिनिस्टर का दरजा हासिल है लेकिन खाद्य जिसके बारे में प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने कहा है कि आज देश के सामने अगर कोई सब से बड़ी समस्या है तो खाने की है उस खाने के सवाल पर हमारी सरकार का क्या रुख है? मैं नीयत पर शक नहीं करता। लेकिन नतीजों के आधार पर मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। स्टेट ट्रेडिंग वह करते हैं। जहां दस छटांक एक आदमी को मिलना चाहिए वहां महज चार छटांक देते हैं। २० प्रतिशत चावल मार्केटेबिल है। उसमें आप डेढ़ लाख टन केवल खरीदना चाहते हैं। तो आपके हैसियत बाजार में क्या रह जायगी? चार छटांक आपकी दूकान से खरीदेंगे और बाकी खरीदने के लिये खुले बाजार में जाना पड़ेगा। आप यह निश्चित कीजिये कि अगर स्टेट ट्रेडिंग करनी है तो मानोपली का सिद्धांत आप मानते हैं या खुले बाजार में जाकर स्टेट ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ये बुनियादी सवाल हैं। उन पर सोचना चाहिये। एक मजाक आप देश के सामने रखते हैं। चाहे आप अपने हाथ से अपनी पीठ ठोंक लीजिये, लेकिन खाने के मामले में आपकी सरकार पूरी तरह से नाकामयाब रही है।

मैं आपके द्वारा सरकार को एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप नीचे से लेकर ऊपर तक सहकारी समितियों का निर्माण इस समय नहीं कर सकते हैं तो आपको रीजन्स बना देने चाहिए, जिन रीजन्स में हमेशा अभाव रहा करता है, उन रीजन्स में अपने एजेंट्स मुकर्रर करने चाहिए और निश्चित नियम बना कर उनसे कहना चाहिये कि वे इन नियमों के आधार पर गल्ला खरीद और बेंच सकते हैं। अन्तरिम समय में ऐसी व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन आज आप कोई व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। केवल इरादे की सफाई से काम नहीं चलता है। हम नतीजे को देखते हैं। कहा गया कि जो फीगर्स दिये गये हैं वे फसल काट करके व्यावहारिक आधार पर आधारित हैं। उसकी चर्चा मैं क्या करूं? इस माननीय सदन में बार-बार कहा गया कि वह प्रयोग नाकामयाब प्रयोग है। दिल्ली या लखनऊ में प्लाट तय होता है और उसके आधार पर आप समझ लेते हैं कि हम सेल्फ-सफीशेंट हैं। हमारे एक मित्र ने हमारे जिले के संबंध में एक प्रश्न पूछा था उसका जो उत्तर दिया गया उसको देख कर ही मैंने समझ लिया कि आपके आंकड़ों का आधार क्या होगा। जहां सरकार की पार्टी के लोगों ने खुले आम कहा कि देवरिया जिले के उत्तरी भाग में अर्ली पैडी की फसल बुरी तरह से बरबाद हो गयी है और अगर मैं भूल नहीं करता तो मुझ से इस सरकार के जिम्मेदार लोगों से इस संबंध में बात हुई, लेकिन उस प्रश्न के उत्तर के रूप मे जो वहां का नक्शा पेश किया गया, उसमें यह कहा कया कि ३९ गांव पडरौना तहसील में और १९–२० गांव हाटा तहसील में प्रभावित हुए और देवरिया तहसील में ज्यादा नुकसान हुआ, यह जो झूठे आंकड़े जनता और सदन के सामने पेश किये जा रहे हैं सरकार को कहां ले जायेंगे, सरकार खुद सोच ले। मैं आज फिर कह रहा हूं कि ब्रजनारायण की जीत के बाद जो कार्टून छपा था दाल १३ छटांक और वोट ३५ हजार, वह कार्टून आपकी हैसियत बताने के लिये काफी है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज अगर आप पूरी डायट देना चाहते हैं, अगर आप यह चाहते हैं कि खाद्यान्न के क्षेत्र

[श्री रामायण राय]

में जनता सुखी हो सके, उसके अन्दर यह विश्वास पैदा हो सके कि उसकी क्षुधा की ज्वाला को शान्त करने के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की है तो आपको पूरे तौर से आज बाजार में सफाई के साथ अपनी नीति को स्पष्ट करते हुए आना चाहिये । लेकिन मैं जानता हूं कि आप वोट से डरते हैं, वोट बिगड़ जायगा आपका इसलिये आप हिम्मत के साथ नहीं आ रहे हैं । केवल कागज में स्टेट ट्रेडिंग नाम छोड़ रखा है और वह भी स्टेट ट्रेडिंग क्या है, उस मामले में शास्त्रीय विवाद में मैं क्या जाऊं ? आखिर में मैं यह फिर निवेदन कर रहा हूं कि देवरिया जिले में आपके अधिकारियों ने जो अमानुषिक व्यवहार वहां की जनता के साथ करना शुरू किया है, राजनीतिक आधारों पर और जिस ढंग से आप उन अधिकारियों की पीठ ठोंक रहे हैं वह चीज देवरिया के २२ लाख इन्सानों को तबाह, बरबाद कर देगी । इसके लिये मैं आपसे बार-बार आग्रह कर रहा हूं कि उस गरीब देवरिया की तरफ आप अपनी निगाह डालने की चेष्टा करें ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तावित कटौती के समर्थन में खड़ा हुआ हूं । खाद्य मंत्री जी का जो यह अनुदान हम लोगों के सामने है उससे हम आज इस सरकार की खाद्य नीति के संबंध में कुछ कह सकेंगे । श्रीमन्, इस प्रान्त की खाद्य नीति गत वर्ष के बजट सेशन के प्रारम्भ से ही बड़ी खतरनाक रही और उस संबंध में इस सदन में बार-बार कामरोको प्रस्तावों के द्वारा भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया । पिछले अधिवेशन में, जुलाई-अगस्त के अधिवेशन में तीव्र रूप से इस बात को रखा भी गया और उसके उपरान्त भी आपने देखा होगा कि इस सदन के अनेक सदस्य और सभी पार्टियों के सदस्य इस खाद्य नीति को लेकर एक आन्दोलन में भी शरीक हुए और सरकार का ध्यान इन सारे आन्दोलनों को करके आकर्षित करने की कोशिश की कि यह खाद्य नीति बहुत ही दूषित है । आज हमारे देश में भुखमरी की नौबत है । किसानों को विशेष तौर से यह अहितकर हो रहा है । जब तक कि कोई विशेष नीति सरकार अख्तियार न करे कि उनके खाद्यान्न का उचित मूल्य निश्चित रूप से उनको मिले और जब तक कि उनके मूल्यों की ऐसी व्यवस्था न करे कि जिससे उनकी खरीद और उनके बेचने के मूल्य में कोई खास अन्तर न रहे, जब तक इस प्रकार की नीति सरकार अख्तियार नहीं कर लेती कि जिससे उन्हें विशेष हानि न उठानी पड़े तब तक यह नीति कभी भी कारगार न होगी । श्रीमन्, इस स्टेट ट्रेडिंग के संबंध में सरकार चाहे जितना प्रसन्न हो ले उसकी सफलता के बारे में बहुत आशान्वित हो ले लेकिन उसकी तह में जो मूल्य नीति है जब तक उसकी तरफ सरकार पूरे तौर से अपने को स्पष्ट नहीं करेगी तब तक यह नीति उनकी एक खोखली ही साबित होगी । हमारी पार्टी की तरफ से दाम नीति, काम नीति और जाति नीति की घोषणायें हो चुकी हैं । अन्य बातों को छोड़ कर मैं मूल्य नीति के बारे में ही सरकार से कहना चाहता हूं कि उसकी खाद्य नीति के सिलसिले में ही करीब ८ हजार आदमी कारावास गए और वहां जाने पर यद्यपि हमारी सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से भी कई हजार आदमी जेल में गए, यह सब इसी खाद्य नीति का परिणाम था और आज भी इस पार्टी के अनेक सदस्य जेल यातना को सह रहे हैं, तो क्या खाद्य मंत्री जी यह समझते हैं कि वह आन्दोलन केवल एक उपहास-स्वरूप था या विफलता के रूप में था या सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिये था ? मुझे वे शब्द मुख्य मंत्री जी के याद हैं कि जिस समय उनसे पूछा गया कि था जखीरेबाजों के हाथ में जो अन्न है उस पर आप कब्जा क्यों नहीं कर लेते तो उनका यह जवाब था कि हम फोर्टनाइटली रिटर्न्स चेक करते जाते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते । इन जखीरेबाजों का इकट्ठा किया हुआ गल्ला जब्त करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया । उसके संबंध में पूरी-पूरी जांच-पड़ताल करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया । हुआ यह कि इस जखीरेबाजी से जनता में भुखमरी फैली और अन्य पार्टियों के लोगों को आन्दोलन छेड़ना पड़ा और सरकार का ध्यान आकर्षित करना पड़ा । मुझे तो आश्चर्य होता है कि उधर के लोग खड़े होते हैं तो कहते हैं कि इन

आन्दोलनों का उलटा असर पड़ा। मालूम ऐसा होता है कि उलटा चोर कोतवाल को डाटे। श्रीमन्, अगर यह आन्दोलन न होते, सरकार का ध्यान खींचा न जाता तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस का नागपुर का प्रस्ताव पास न होता। यह नागपुर कांग्रेस का प्रस्ताव पहले कहां चला गया था? नागपुर कांग्रेस का प्रस्ताव भी पास हो गया और सरकार की स्टेट ट्रेडिंग नीति भी आ गई, लेकिन वह भी खोखले रूप में। स्टेट ट्रेडिंग तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि दाम नीति स्पष्ट नहीं हो जायगी।

यह स्पष्ट होना चाहिए कि प्रोडक्शन और सेल के बीच क्या अन्तर होना चाहिये, क्या प्राफिट लेना चाहिये। जैसा कि सोशलिस्ट पार्टी की घोषित नीति है, चार पैसे प्रति रुपया से अधिक प्राफिट नहीं होना चाहिए। जब तक यह चीज तय नहीं होती स्टेट ट्रेडिंग कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। जैसे आपका सप्लाई विभाग था और उसे लिक्वीडेट करना पड़ा वैसे ही आपको इसे भी खत्म करना पड़ेगा अगर आप इसको गवर्नमेंट आफिसर्स के ऊपर ही चलाना चाहते हैं कि प्राइवेट दुकानदारों से गल्ला खरीदवा लिया और फिर उसे अपने स्टाक में मान लिया क्योंकि आज प्राइवेट ट्रेडर्स और गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स में क्या ताल्लुकात है इससे हमें पूरा-पूरा सन्देह है और यह नीति कभी भी इस तरह कामयाब नहीं हो सकती। हमें सप्लाई डिपार्टमेंट का अनुभव है और हमने देखा है कि कितना भ्रष्टाचार होता रहा है। भुखमरी के जमाने में भी कितना फायदा प्राइवेट ट्रेडर्स ने उठाया, लोग भूखों मरते रहे और उन्होंने अपना फायदा उठाया। इसलिये सरकार अपनी इस नीति के बारे में स्पष्ट ऐलान करे कि किसानों की फसल के मूल्यों में १ आना रुपया से ज्यादा का फायदा नहीं लिया जायगा।

सरकार कहती है कि हमने ८ हजार दुकानें खोल दी हैं और ९ लाख टन गल्ला खरीदकर इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन इतने बड़े प्रान्त के लिये इस स्टेट ट्रेडिंग के द्वारा इतनी थोड़ी दुकानें खोलकर के क्या वह स्वावलम्बी बन सकेंगे? इसमें संदेह है। हमारा प्रान्त जो कृषि प्रधान देश है इस प्रान्त में गल्ला बाहर से खरीद कर काम चला लेना, यह असम्भव है। मैं तो यह प्रार्थना करूंगा, श्रीमन्, आपके द्वारा कि लक्ष्य तो यह होना चाहिये कि किसान का पैदा किया हुआ गल्ला उसे उतने ही भाव में मिल सके जितना कि उसके खेत के लिये उचित हो न कि खरीद और सेल के बीच इतना बड़ा अन्तर हो जाय कि उसकी सामर्थ्य के बाहर हो जाय। मैं सरकार की द्विविधाजनक नीति, एक कंसील्ड नीति की भर्त्सना करता हूं। स्टेट ट्रेडिंग आई कहां से? स्टेट ट्रेडिंग सेन्ट्रल गवर्नमेंट से आई और आज भी यह सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ देख रहे हैं कि वह इसे कैसे चलायेंगे। यह आशा करना कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट डाइरेक्शन देगी, यह सरकार की न सोच सकने की शक्ति है। हमारे खाद्य मंत्री जी ने नये विभाग को अपने हाथ में लिया है। अच्छा होता कुछ अपने ब्रेन को इस्तेमाल करते और स्टेट ट्रेडिंग के लिये कोई स्कीम हमारे सामने रखते। आज सवालों में भी यह सवाल था कि किस आधार पर स्टेट ट्रेडिंग होगी, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं दिया जा सका और कहा कि बजट में जवाब दिया जायगा। बजट स्पीच को भी मैंने ध्यान से सुना, लेकिन जान नहीं पाया कि किस आधार पर वह स्टेट ट्रेडिंग करेंगे। यह कहना कि किसान का गल्ला अपने स्टाक में ले लेंगे, ठीक नहीं होगा और इसके लिये आपको पूरी स्कीम बनानी पड़ेगी।

श्री राजदेव उपाध्याय (जिला देवरिया)––माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह राज्य व्यापार के लिये सदन के सम्मुख जो अनुदान पेश है, मैं अपने आपोजीशन के माननीय सदस्यों से नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि वह इस पर आये अपने सारे कटौती के प्रस्तावों को वापस लें और यह तो एक ऐसा महत्व का प्रस्ताव हमारे सदन में है कि जिस पर हमारे मित्रों को खुशी होनी चाहिये; क्योंकि समाजवादी व्यवस्था की ओर जो हमारा देश और प्रदेश बढ़ रहा है उसमें यह बड़ा भारी कदम है और इस के कारण हमारे प्रदेश की खाद्य समस्या जो कितने ही साल

[श्री राजदेव उपाध्याय]

से उलझी हुई तथा भयंकर रूप में है, हल हो सकेगी और कोई भी सरकार उस के बाद अपनी नीति का सफल संचालन कर सकती है। इसलिये जिस अनुदान की बहुत दिनों से कामना की जा रही थी वह आज यहां आया है और इसलिये इसका चारों ओर से स्वागत होना चाहिये और कटौती के जितने प्रस्ताव हैं वे वापस होने चाहिये। समाजवादी समाज की रचना के लिये यह एक पहला कदम है। इसका परिणाम यह होगा कि जो खाद्य की समस्या को ले कर आज एक कुहराम मचा हुआ है, हाहाकार है, वह शान्त हो सकेगा।

किसान मजदूर की कमाई से जो पूंजीपति लाभ उठाते हैं, जिस समय चैत और बैशाख में वह गल्ला बेचता है तो सस्ता बिकता है और उसके बाद अषाढ़ में जब वह खरीदता है तो वही गल्ला उसको ज्यादा दामों पर खरीदना पड़ता है और इस से प्रदेश के पूंजीपति फूलते और फलते हैं, वह पनपते हैं, इस पूंजीवाद पर प्रहार करने के लिये यह अनुदान यहां पेश है और इसका मंशा यह है कि इस प्रदेश से भुखमरी जाय, बेकारी जाय और इस प्रकार की समस्या जिससे देश का ढांचा छिन्न-भिन्न हो रहा है वह हल हो जाय। तो एक स्वावलंबी जीवन यहां का हो जिससे किसान राहत की सांस ले सके, इसलिये यह लाया गया है। इसलिये इस अनुदान की जितनी तारीफ की जाय थोड़ी है। इस अनुदान को बहुत दिन पहले लाना चाहिये था। इस प्रकार की चीजें पहले आनी चाहिये थीं, लेकिन देर आयद दु रुस्त आयद। अभी भी आया तो ठीक है। इसलिये मैं अपने मित्रों से कहना चाहता हूं कि इसकी बड़ी जरूरत थी। इसको सर्व-सम्मति के पास होना चाहिये। आज हमारे देश में खाद्य की समस्या बड़ी गंभीर समस्या हो गयी है। पूर्वी जनपद, जहां से मैं आता हूं, वहां की हालत तो बड़ी खतरनाक है। वहां बड़ी-बड़ी नदियां घाघरा, छोटी गंडक, कुआनों, राप्ती आदि हैं जो वहां के जीवन ढांचे को छिन्न-भिन्न करती रहती हैं। कोई ऐसा वर्ष नहीं आता जबकि पूर्वी जिलों में बाढ़ न आती हो और अन्न की समस्या गम्भीर न होती हो। लेकिन इस अनुदान के द्वारा जो स्कीम सरकार चलाना चाहती है वह बड़ी सुन्दर स्कीम है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जबकि देवरिया के मेरे एक मित्र ने कहा कि अन्न के वितरण के मामले में पक्षपात होता है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि किसी अधिकारी ने कोई पक्षपात नहीं किया है। हो सकता है कि किसी क्षेत्र की हालत ज्यादा खराब हो और वहां पर सरकार का विशेष ध्यान गया हो। मैं कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र पता लगालें कि खाद्य के मामले में कोई पक्षपात नहीं है किसी भी क्षेत्र में। अन्त में मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पास किया जाय।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मंत्री जी ने जो भाषण दिया उसको मैंने बड़े ध्यान से सुना। मंत्री जी ने कहा कि सरकार इस योजना को अच्छी तरह से लागू कर चुकी है और इस व्यापार को वह अपने हाथ में लेना चाहती है और परसाल जितना धन रखा गया था उससे ज्यादा धन इस वर्ष रखा गया है। इससे साफ जाहिर है कि यह एक संकट हमारे देश में और प्रदेश में पैदा हो गया है जिसकी तरफ लोगों का और सरकार का ध्यान गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके साथ-साथ सरकार को अपना लक्ष्य और उद्देश्य भी निर्धारित करना पड़ेगा। सिर्फ इतना कर देने से नहीं होगा कि कुछ गल्ला खरीद-कर सरकार अपने गोदामों में रख ले और मौके-मौके पर जिस वक्त जैसी जरूरत हो, बाजार में बेंच दे। आज आवश्यकता इस बात की है कि किसान जो पैदा करता है उसको उचित मूल्य मिल रहा है या नहीं, यह देखा जाय और उसके बाद बाजार में उपभोक्ताओं को उचित भाव पर मिल रहा है या नहीं। मुख्य लक्ष्य हमारा इसी तरफ होना चाहिये। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस बात की घोषणा करे कि इसी नीति को लेकर वह आगे बढ़ेगी क्योंकि जब तक कीमतें तय नहीं की जातीं तब तक हमारे देश के लोगों को इससे फायदा नहीं होगा। एक दो लाख मन गल्ला इकट्ठा करके उसे वितरण कर देने से किसान संतुष्ट नहीं होगा। इसलिये कीमतें तय की जायं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके साथ ही साथ यह भी आवश्यकता है कि जो मध्यवर्ती सट्टेबाज वगैरह हैं उनको खत्म किया जाय और तभी हमारा लक्ष्य पूरा हो सकेगा। इसलिये मध्यवर्तियों, सट्टेबाजों और आढ़तियों को खत्म करना बहुत जरूरी है। इस ओर मंत्री जी को ठोस कदम उठाना चाहिये। मंत्री जी ने जो बयान दिया उसको मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि कुछ हजार मन गेहूं उन्होंने पकड़ा, लेकिन मंत्री जी को सिर्फ ३, ४ जगहें ही ऐसी मिली होंगी। मैं कहना चाहता हूं कि अगर मंत्री जी जब्त करना चाहते हों तो बहुत से माननीय सदस्य, इधर के या उधर के, बताने के लिये तैयार हैं कि कहां-कहां आढ़तिये गल्ला चुरा रखे हैं, लेकिन इस तरफ मंत्री जी को ठोस कदम उठाना पड़ेगा, केवल हमारे बता देने से ही काम नहीं चलेगा क्योंकि सारी शक्ति तो सरकार के पास ही है।

मान्यवर, जैसा कि मंत्री जी ने दुकानों का जिक्र किया कि दुकानों के जरिये गल्ला लोगों को मिला, लेकिन उस गल्ले को जिन लोगों को मिलना चाहिये था, मंत्री जी मानेंगे कि बहुत से लोग ऐसे थे जोकि बाजार में बढ़े हुये दाम पर नहीं खरीद सकते थे, उनको नहीं मिला। यह शिकायत पूरे सूबे में रही। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करना चाहता हूं कि वह इस पर गम्भीरतापूर्वक सोचें कि यह गल्ला जो हम सहायता के रूप में देते हैं यह किन लोगों को मिलना चाहिये और किन को नहीं मिलना चाहिये। इस पर मंत्री जी ने ध्यान भी दिया, लेकिन जितना अमली रूप होना चाहिये था वह नहीं हुआ। मैं चाहता हूं कि वह इस पर फिर विचार करें।

दूसरी बात यह है कि बैंकों से बड़े-बड़े जखीरेबाज या सट्टेबाज जो रुपया लेते हैं इससे भी हमारे भाव पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मंत्रीजी सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखें कि वह इस तरह के कर्जों को रोकें क्योंकि रिजर्व बैंक की इस तरह की रिपोर्ट है जो हमारे पास है, अगस्त सन् १९५७ के बुलैटिन में पृष्ठ ७ पर है।

पिछले ५, ६ वर्षों में, सन् १९५३ और ५४ को छोड़कर, हमारी पैदावार बहुत ज्यादा गिरी है। केवल राज्य व्यापार करने से मसला हल होने वाला नहीं है। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिये कि हम उत्पादन को कितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं और किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधायें दें। मंत्रीजी कभी-कभी कहते हैं कि प्रकृति के कोप से पैदावार कम हो गई और जब ज्यादा हो गई तो सरकार ने ढोल पीट दिया कि यह उसकी योजनाओं से हुआ है। सरकार की आलोचना होने से ही उसे अपनी बुराई मालूम होती है। आज खेती करने वाले के हाथ में जमीन नहीं है। समाजवाद के नारे पर काम करने के लिये सरकार के लिये आवश्यक है कि जमीन की सीलिंग और बटवारे के सवाल को लेकर हदबन्दी करे और जमीन उन लोगों को दे जो ज्यादा से ज्यादा पैदा कर सकते हैं सुबह से शाम तक मेहनत करके। तभी जाकर हम खाद्यान्न के मसले में आत्मनिर्भर हो सकते हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं जिसका खाद्यान्न से सम्बन्ध है। सिंचाई का रेट सन् १९५३ में जो था उसके मुकाबले आज बहुत ज्यादा हो गया है। एक रोजगार की दृष्टि से हम उसे चला रहे हैं। इसलिये किसान पानी नहीं ले रहा है और इसका असर खाद्य के उत्पादन पर बुरा पड़ रहा है। इसलिये सरकार की नीति पानी के मामले में स्पष्ट होनी चाहिये और रेट कम होना बहुत जरूरी है।

इन शब्दों के साथ मैं खत्म करता हूं और मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्रीजी कड़ाई के साथ इसका पालन करेंगे।

*श्री रघुनाथ सहाय यादव (जिला फतेहपुर)---आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रघुनाथसहाय यादव]

स्टेट ट्रेडिन्ग का नारा जनता के हित में है, इसमें तो किसी को भी सन्देह नहीं हो सकता किन्तु यह भी ध्यान रखने की बात है कि जो तत्व इसमें लगे हैं उन पर विशेष ध्यान और नियंत्रण आवश्यक है। जैसा हमारा अभी तक का अनुभव रहा है और जिन अधिकारियों ने खाद्य समस्या के सुलझाने में कार्य किया है उनसे हमें अभी तक निराशा ही हुई है। यदि हम उनके मौलिक कारणों की ओर ध्यान नहीं देंगे तो हम समझते हैं कि एक न एक दिन जनता इस नारे के विरुद्ध भी आवाजें उठा देगी। आज गल्ले की खरीदारी में जो नीति बरती जा रही है और कर्मचारीगण जैसा कार्य कर रहे हैं, अभी तक उनकी ओर समुचित ध्यान नहीं है।

चौधरी खजानसिंह (जिला उन्नाव)---मंत्रीजी के घर के लोग खरीदते होंगे।

श्री रघुनाथसहाय यादव---अगर यही उदासीनता कायम रही तो मैं समझता हूं कि असफलता में कोई भी सन्देह नहीं है। आज जिन जिलों में धान रोका जा रहा है, मैं अभी अपने क्षेत्र की ओर गया था, वहां मैंने सुना कि जिन जिलों से धान की निकासी बन्द है, उनकी बार्डर पर रोक के लिये जो अधिकारी रखे गये हैं वे ट्रक के ट्रक निकाल देते हैं और आमदनी कर रहे हैं। जो गल्ला खरीदा जा रहा है उसके लिये लोगों ने बतलाया कि इसमें निम्न-कर्मचारी यह तक करते हैं कि बोरों में दूसरी चीजें भर कर पूरा का पूरा तुलवा देते हैं और पूरे दाम ले लिये जाते हैं। जिस समय बोरे जनता को वितरित होंगे उस समय क्या स्थिति होगी? इन बातों में सरकार को पूर्ण अधिकार बरतने की आवश्यकता है। या तो खुली छूट जनता को भी होनी चाहिये अन्यथा जैसा और देशों में है, इसमें कड़ाई बरतनी चाहिये। किन्तु हमारे यहां एक परम्परा सी बन गई है कि कठोर दन्ड नहीं दिया जाता है। इसमें अधिकारी ही नहीं, जनता भी पूर्ण सहयोग नहीं कर रही है। इसके लिये आवश्यक है कि हम लोग मिलकर इन चीजों का निराकरण करें। मैंने देखा कि अभी तकावी का बीज बांटा गया। सस्ते गल्ले की दूकान पर ५० रुपये में ट्रक भेजा गया, लेकिन वही गेहूं, उसी गांव में, उसी दूकान के पास बीज गोदाम में ७५ रुपये के ट्रक में भेजा गया। यही नहीं....

श्री जगमोहनसिंह नेगी---अधिष्ठाता महोदय, अभी एक आवाज आई। उधर से किसी माननीय सदस्य ने कहा कि मंत्रीजी के घर के लोग खरीदते होंगे। तो मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या इस तरह के गैरजिम्मेदारी के शब्द यहां कहना उचित है?

श्री अधिष्ठाता---मैं उन शब्दों को सुन नहीं पाया, लेकिन यदि किसी ने ऐसे शब्द कहे हैं तो उनको अनपार्लियामेंटरी तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अनुचित जरूर हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इसका ध्यान रखेंगे।

श्री रघुनाथ सहाय यादव---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की जो चीजें हुईं उनके बारे में ऐसा नहीं है कि उनको अधिकारियों के नोटिस में न लाया गया हो। मैंने इस चीज को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट महोदय को स्वयं कहा कि ऐसी-ऐसी धांधलियां बीज वितरण के सिलसिले में हो रही हैं, लेकिन कोई ध्यान आज तक नहीं दिया गया और उन अधिकारयों से आज तक कोई बात नहीं पूछी गयी।

इस तरह से गल्ले के वितरण में जो अनियमिततायें हुई हैं उनकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो गल्ला देहात की दूकानों में दिया जाता है उसमें विशेष रूप से अनियमितता होती है। मैंने दूकानदारों के मुंह से ही सुना है कि जिस समय जिले से गल्ला उठता है, उस समय जो दूकानदार विशेष कृपा पात्र होते हैं अधिकारियों के, वे किन कारणों से यह तो नहीं बता सकता, उनको गेहूं ही गेहूं मिलता है और जो कृपापात्र नहीं है उनको कहा जाता है कि तुम्हारे लिये ज्वार ही ज्वार है। यही कारण है कि बहुत सी दूकानों पर महीनों तक गहूं ही गेहूं जाता रहा और बहुत सी दूकानों पर केवल ज्वार। जब अधिकारियों

का ध्यान इस ओर दिलाया जाता है तो कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी को अपना नियंत्रण इस ओर विशेष रूप से कठोर करने की आवश्यकता है अन्यथा इस स्टेट ट्रेडिंग से जनता को बजाय फायदे के नुकसान पहुंच जायगा।

अभी-अभी फतेहपुर जिले की एक सोसायटी के बारे में मैंने यह भी सुना कि कर्जा वसूली के सिलसिले में उसके अधिकारी किसानों को इस बात के लिये मजबूर कर रहे हैं कि रुपये की जगह गल्ला दो। किसान बेचारा रुपया लिये घूम रहा है, लेकिन उससे कहा जाता है कि गल्ला लाओ, रुपया नहीं लेंगे। इस तरीके से जो आप जनता को सुविधा देना चाहते हैं वह उसको नहीं मिल पाती है। आपके अधिकारी अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इस पर भी आपको ध्यान रखना चाहिये। यह खाद्य समस्या ऐसी है जिससे जनता का हृदय परिवर्तन क्षणों में हो जाता है, उसमें दिन और साल नहीं लगते। जहां-जहां भी क्रान्तियां आयी हैं वहां-वहां खाद्य समस्या भी उसके अन्दर रही है। भीषण क्रान्तियां खाद्य समस्या के ही कारण हुई हैं। ब्रह्मा की बात ही ले लीजिये कहा जाता है कि वहां पर रुपये में एक-एक अंडा मिलता था। यद्यपि वहां की सरकार जनप्रिय थी, लेकिन जनता ने कहा कि हम ऐसी सरकार को पसंद नहीं करते, इससे अच्छी तो पुरानी दकियानूसी सरकार ही थी जिसके जमाने में हमारे ऊपर इस प्रकार के अत्याचार तो नहीं हुए थे। इसलिये इस तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग के साथ-साथ वे अपना नियंत्रण भी कठोर करें, तभी उसका पूरा-पूरा लाभ जनता को हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्रीजी के अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री टीकाराम पुजारी—श्रीमन, खाद्य के ऊपर आज चर्चा चल रही है लेकिन इसकी जड़ में अभी तक कोई नहीं पहुंचा। इसकी जड़ क्या है कि आज खाद्य समस्या हल नहीं होती है। इसकी जड़ है मिनिस्टरों का दौरा होना, नेताओं का दौरा होना। अगर इन नेताओं का दौरा हर जिले में होगा तो खाद्य समस्या क्या, कोई समस्या हल नहीं हो सकती है। क्योंकि मिनिस्टरों का दौरा होता है, तो हर जिले में ऊपर से लेकर नीचे तक की जो यूनियन बनी हुई है उन्हीं के द्वारा उनका काम होता है। पुलिस की यूनियन अलग बनी हुई है, न्याय की यूनियन अलग बनी हुई है, तहसीलदार से लेकर कलेक्टर तक जो होते हैं उनकी यूनियन अलग बनी हुई है और मिनिस्टरों के बाद जा करके जिलाधीश, कप्तान आदि की क्या चीज है, उसे मैं नहीं कहना चाहता, उसे आप चाहे यूनियन कह लें, चाहे गोलमाल कह लें, चाहे उसे दलालों की यूनियन कहलें जिनके द्वारा किसानों को दबाया जाता है और उनको तबाह किया जाता है। मिनिस्टरों का दौरा जो होता है वह किसानों के लिये कालरूपी दौरा होता है। इसलिये मैं कहता हूं कि अगर खाद्य की समस्या को हल करना है तो मिनिस्टर्स जिले के अन्दर अपना दौरा करना बन्द करदें, यह मेरा सुझाव है।

(इस समय २ बजकर १३ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पीठासीन हुए।)

मिनिस्टर जब दौरे में जाते हैं तो उन्हीं दलालों से मिलते हैं और जिलाधीश तथा कप्तान से कहते हैं कि ये हमारे आदमी हैं इनका खयाल रखना। वे खयाल इस तरह से रखते हैं कि उनकी राय से ही कलेक्टर उस क्षेत्र में गल्ले की दूकानें खोलते हैं और चाहे गर्की हो या और कोई बात हो, सब में जिलाधीश उनकी बात को ही मानेगा और दूकानें खोली जायेंगी जहां कि वह यूनियन का प्रेसिडेंट रहेगा। इसीलिये मैं कहता हूं, श्रीमन्, कि मिनिस्टरों का दौरा ही खतरनाक है। अगर उनको दौरा करना ही है तो वे गांवों में दौरा करें और किसी कलेक्टर को या किसी कप्तान को अपने साथ न लें और जनता को जाकर आवाज दें कि बतलाओ, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या दुख है और उस पर अमल करें। अगर वे ऐसा करें तो मैं कहता हूं कि खाद्य

[श्री टीकाराम पुजारी]

समस्या बहुत जल्द हल हो जायगी। एक चीज यह है कि इन लोगों से मिलना मिनिस्टर लोग छोड़ दें और विरोधी पार्टी के जो सदस्य लोग हैं, चाहे उनके सभापति हों, वे लोग उनसे मिलने आयें तो उनसे मिलें तथा वे कांग्रेसी लोग जो नकली यूनियन के सदस्य बने हुए हैं। उनको वे निकाल बाहर कर दें, जब तक वे उनको निकाल कर बाहर नहीं करेंगे तब तक खाद्य की समस्या न तो आज हल हो सकती है और न कल हो सकती है।

श्रीमन्, एक चीज यह कि गल्ला है और काफी गल्ला है। एक एक किसान के यहां ४, ४ हजार और ६, ६ हजार मन गल्ला है लेकिन वे बड़े किसान आज नकली कांग्रेसी बन कर उसी यूनियन में आ गये हैं। तो कलेक्टर कहता है कि इनसे गल्ला लेने का कोई आर्डर नहीं है और इस तरह से कोई वहां जाकर उनसे गल्ला लेने की बात भी नहीं करता है। तो मेरा एक सुझाव यह है कि इस तरह के कांग्रेस वालों की जो नकली यूनियन बनी हुई है उनको तोड़ दिया जाय। असली, फसली और नकली तीन प्रकार के कांग्रेसी होते हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदन के सामने अर्ज करना चाहता हूं कि उन यूनियनों को खतम कर दिया जाय तथा उनकी बातें न सुनी जांय। जो विरोधी पार्टी के लोग हैं उनकी बातों का खयाल किया जाय और उनकी बातों को माना जाय। हम कहते हैं थानेदार खराब है तो एक इंस्पेक्टर उसकी जांच करता है और रपट भेज देता है तो माननीय गृह मंत्री जी उस रपट को मान लेते हैं। लेकिन दो लाख आदिमियों के चुने हुए आदमी की बात नहीं मानते हैं तो मैं कहता हूं कि यह सरकार खतम हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष--खाद्य की बात कीजिये।

श्री टीकाराम पुजारी--खाद्य पर ही हूं। कहा जाता है :

पूत कपूत, कुलच्छनि नारि, परोस लरुक, लजावनो सारो।
भाई ढीट, पुरोहित लम्पट, लालची मित्र, अतीत दुतौरो॥

साहिर सूम, किसान कठोर, चाकर चोर, दिवान घुसारो।
इनकी सुनो प्रभु ये बनता, इन वारन्ह बांध समुद्र में डारो॥

तो देश का कल्याण तब होगा जब आप कलेक्टर, एस० पी० से मिलना छोड़ देंगे। गांवों में जो यूनियन हैं, वे दलाल जो उसमें हैं उनके यहां गल्ला रहता है जब तक उनकी तलाशी नहीं ली जायगी, कड़ी पाबन्दी नहीं लगायी जायगी तब तक गल्ले का वितरण ठीक नहीं होगा।

एक सुझाव और है। बहुत पुरानी कहावत है। गल्ले की समस्या तब हल हो सकती है कि "जो ही भाव माह में, सो ही भाव साह में।" लेकिन होता क्या है? बैसाख, मई के महीना में गेहूं १४ रु० मन और माघ में २७ रुपया मन! इस तरह से गल्ले की समस्या किस तरह हल होगी? गांवों में दुकानें खोली गयी हैं, लेकिन उन यूनियनों के द्वारा खोली गयी हैं, गर्की के क्षेत्रों में दुकानें खोली गई हैं, श्रीमन्, वह ज्वार जाने कहां से आयी है कि अगर एक कुनबे में ६ आदमी हैं तो तीन आदमी बीमार पड़े हैं, दस्त हो रहे हैं, उसमें मिट्टी मिली है, पत्थर की रोड़ी मिली हुई है ऐसी ज्वार को गांवों में दिया जाय और वहां से वोट ले करके हम नुमाइन्दा बनें और फिर उनसे कहें कि हमें वोट दो। मैं तो यह कह रहा हूं इसको तो धिक्कार है। जो ८० फीसदी जनता गांव में रहे वह तो ज्वार खाये और शहरों में रहने वाली जनता गेहूं, चना और पिसो पिसायो आटा, मैदा और उनके काजे अजमेर वाली पहाड़ों की ज्वार। क्या इसी से खाद्य समस्या हल होगी? कभी नहीं हो सकती है। मैं बता रहा हूं कि उस ज्वार को बन्द किया जावे और गल्ले का भाव तै किया जावे कि बैसाख में, मई में, गेहूं का भाव तो १४ रु० मन तो माघ में साढ़े १४ रु० मन रहेगा, एक हद बांध दी जाय कि इतने से ज्यादा भाव पर नहीं बिकेगा। बाजरा १२ रु० मन तो माह में साढ़े बारह रुपये मन, चना १४ रु० मन तो माह में साढ़े चौदह रु० मन, अरहर १५ रु० मन तो माह में साढ़े पन्द्रह रु० मन बिके। उससे ज्यादा भाव न बढ़ने पावे। तो समस्या हल होगी और जो बड़े-बड़े पूंजीपति, गांवों में जो गल्ला

भरे बैठे हैं उनकी तलाशी की जाय और उन्हें पकड़ कर जेलखाने में बन्द किया जावे; श्रीमन्, तब खाद्य समस्या हल हो सकती है। बिला वजह की छींटाकशी करने से तो कोई फायदा नहीं है लेकिन इतना जरूर कहूंगा हे प्रभुओं, हे अन्न दाताओं, इनको सम्हारो, इन नकली कांग्रेसियों को छोड़ दीजिये नहीं तो मरेंगे और हम मरेंगे और पीछे से आप भी मरेंगे।

एक और आखिरी प्रार्थना है "पीपर पात पटुकिया कोपसयां हंसियां। एक दिन एसा होयगा हम तुम ए पुसियां"। मतलब यह है कि जब नई-नई पीपल की कोंपलें निकलीं तो वे नीचे झरी हुई पीली पत्तियों को देखकर हंसने लगीं, लेकिन वह नीचे पड़ी हुई पीली पत्तियां उन कोंपलों से उत्तर देती हैं कि क्यों हंसती हो, अगला चैत आयेगा तो तुम भी हमारी तरह ही पीली पड़कर झड़ जाओगी। इसलिये मैं कहूंगा कि सदा किसी का समय नहीं रहता, हमारा भी कभी मन्त्री बनने का समय आयेगा, बहुत जल्द आयेगा। आप हमारा मान करेंगे तो हम आप के कुत्तों का मान करेंगे। आप हमारा मान नहीं करेंगे तब भी हम तो आप का मान करेंगे ही। जिस के अन्दर मान-मर्यादा होती है वह दूसरों की इज्जत करता है और जिसके अन्दर मान नहीं होता वह दूसरों की भी इज्जत नहीं करता।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)––उपाध्यक्ष महोदय, जिस समस्या पर आज सदन में विचार हो रहा है वह एक बड़ी गहन और गम्भीर समस्या है। मेरा खयाल यह है कि जो प्रश्न आज हमारे सामने उपस्थित हैं, वह चाहे पंचवर्षीय योजनायें हों, हमारा उद्योगीकरण हो, हमारी बेकारी की समस्या हो, हमारी गरीबी का प्रश्न हो, इन सब के पीछे हमारी खाद्य समस्या का बड़ा प्रभाव है जिसको कि दूर किये बगैर हम इन समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं। देश की स्वतन्त्रता के बाद इस समस्या को हल करने के लिये देश में करीब १,५०० करोड़ रुपए का अन्न बाहर से खरीद कर लाया गया है और उसका वितरण विभिन्न तरीकों से किया गया है। इस १,५०० करोड़ की रकम में से करीब ढाई-तीन सौ करोड़ का हमारे प्रदेश का भी भाग है। इस बढ़ती हुई खाद्य समस्या की गहनता को जब तक हम नहीं समझेंगे और उसको दूर करने के लिये ठोस उपायों का अवलम्बन नहीं करेंगे तब तक हमें खेद है कि यह धनराशि हमारे देश से बराबर बाहर जाती रहेगी जिसका कि उपयोग हम अधिक अच्छी तरह से दूसरी योजनाओं में कर सकते हैं। मेरा यह विश्वास है कि हमारी अन्न की जो आवश्यकतायें हैं वे निरन्तर बढ़ती ही जायंगी। उसके कई कारण हैं। एक कारण यह है कि आबादी का बढ़ना। आबादी का विश्लेषण करने से विदित होगा कि इन १०–१२ सालों में पुरुषों का अंश महिलाओं से अधिक बढ़ा है और महिलाओं का अंश जितना कम होता जाता है हमारे प्रति व्यक्ति का अन्न कम होता जाता है। हमारे देश में इनफेंट मार्टेलिटी, बच्चों की मृत्यु की संख्या भी घटी है और जो आज युवकों की संख्या है उसमें आप देखेंगे कि युवकों का जो अंश का शतक पहले होता था वह उससे अधिक होगा और उससे हमारी खाद्य की आवश्यकताएं बढ़ेंगी।

इसके अतिरिक्त और बहुत से कारण हैं। हमारे देश और प्रदेश का जैसे-जैसे औद्योगीकरण होगा उसके लिए हमें कच्चे माल की आवश्यकता होगी और वह कच्चा माल हमारी भूमि पर ही पैदा होगा और हमें अपनी भूमि का उपयोग इस प्रकार से अत्यधिक रूप में कैशक्राप्स के पैदा करने में लाना होगा, उससे हमारी अन्न की आवश्यकताओं पर प्रभाव पड़ेगा और अन्न का उत्पादन कम होगा। ये सब समस्याएं हैं जिन पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

मेरा खुद का विचार यह है कि सब समस्याओं का एक ही हल है। आज हमारे देश में और प्रदेश में जो भूमि हल के नीचे नहीं थी उसको हमने हल के नीचे लाने का प्रयत्न किया है,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकीनन्दन विभव]

लेकिन शीघ्र ही वह परिस्थिति आ जायगी जबकि वह भूमि कहीं बची न रहेगी जिसको आप एक्सपेंड कर सकें। उस समय एक ही उपाय रहेगा कि देश के प्रति एकड़ उत्पादन को बढ़ाया जाय। मुझे अत्यन्त खेद है कि हमारे अनेक प्रयत्नों के बाद भी प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ा नहीं है, बल्कि और कम हुआ। इस पर हमें गम्भीरता से सोचना है। मैं एक बात और भी कह चुका हूं कि खाद्य समस्या किसी पार्टी विशेष की समस्या नहीं है, यह सरकारी स्तर पर हल नहीं हो सकती है। यह राष्ट्रीय और देश के स्तर पर हल हो सकती है। मुझे खेद है कि खाद्य की समस्या को हल करने में हमारे विरोधी दलों ने भी जो नुक्तेनजर इस्तेमाल किया वह मेरे खयाल में गलत है। आप जानते हैं कि अनेक दैवी कारणों से गत वर्ष देश और प्रदेश का उत्पादन बहुत कम हुआ। उससे पहले ही मैंने इस सदन में कहा था कि सारी पार्टियों को मिलकर इस समस्या को हल करना चाहिये और सरकार को भी राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना चाहिये। परन्तु विभिन्न पार्टियों ने उसको एक राजनीतिक समस्या बनाया, एक प्रोपैगेंडा का काम बनाया, और उसका नतीजा क्या हुआ कि हमारी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने कहा कि जो दुकानें गल्ले की हैं उनको लूट लेना चाहिए और सोशलिस्ट पार्टी ने यह किया कि घेरा डालने वाला एक आन्दोलन खड़ा किया। हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ने उस समय एक नयी पालिसी बरती। मैं नहीं समझता कि मार्क्स के सिद्धान्तों में कब से भूख हड़ताल की बात आ गयी। तो भूख हड़ताल उनकी शुरू हुई। हमारे जनसंघ ने कहा कि इस वक्त तो "नो टैक्स" कैम्पेन शुरू कर देना चाहिये। तो मेरे खयाल से यह गलती थी, इस पर विचार नहीं हुआ। खाद्य की समस्या यहीं तक सीमित नहीं है कि स्टेट ट्रेडिंग हो जाय। जितना उत्पादन आपका होगा उसी का तो वितरण करेंगे, चाहे स्टेट ट्रेडिन्ग से या और किसी प्रकार से। इसलिए हमें मूलभूत समस्याओं पर विचार करना पड़ेगा। हमें फलों का, सब्जियों का और ऐसी-ऐसी दूसरी चीजों का ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा जो अन्न का स्थान ग्रहण कर सकें।

मैं कुछ बातें और कहना चाहता था लेकिन समय न होने के कारण मेरा खयाल यह है कि यह विषय ऐसा है कि जिस पर और भी अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है।

स्टेट ट्रेडिंग की बात है। उसमें हमारी मशीनरी में जो गड़बड़ियां हैं उनको दूर करने की जरूरत है। आर० एफ० सी० का जो विभाग है उसको ज्यादा नियंत्रित करने की आवश्यकता है और मजबूत करने की अत्यधिक आवश्यकता है। जिस तरह से वहां पर कार्य होते हैं उनके कारण बहुत सी कठिनाइयां पैदा होती हैं।

चर्चा की गयी कि मैदा और सूजी दी गयी। लेकिन जो आटा, सूजी और मैदा निकाल कर बाजार में बेचा जा रहा है वह जनता के उपयोग के उपयुक्त नहीं है। उसका समय-समय पर मिलों में साइंटिफिक विश्लेषण होता रहे और जो लोग ज्यादा मैदा और सूजी निकाल करके उसको ब्लेक मार्केटिंग में बेचते हैं उन पर यह प्रतिबन्ध होना चाहिये कि इतना प्रतिशत सूजी और मैदा निकाला जाय। मैंने खुद कई जगह का नमूना देखा है और उससे मुझे यह बात मालूम हुई कि वह जो आटा बाजार में बिक रहा है वह जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है और खराब है। इसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि वे उस आटे को देखें कि उसमें से कितना प्रतिशत सूजी और कितना प्रतिशत मैदा निकाल लिया गया है और ५ परसेंट से ज्यादा अगर सूजी निकाल ली जाती है तो वह ज्यादा है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि जिस उत्साह से उन्होंने काम प्रारम्भ किया है वह सराहनीय है। मुझे आशा है कि उनके विभाग का अवश्य ही उनके हाथों द्वारा सुधार होगा।

चौधरी खजानसिंह--आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान पर कटौती का प्रस्ताव आया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अभी एक माननीय सदस्य ने बयान किया था कि गल्ले की खरीदारी की जो कीमत रखी जाती है वह बढ़ जाती है और उसका कोई ध्यान नहीं रखा जाता। आजकल स्टेट ट्रेडिंग हो रही है। दूकानें खुली हुई हैं। हमारे यहां उन्नाव में एक चावल की मिल है जो धान लेती और चावल निकालती है। वहां उसकी निकासी के समय कोई ध्यान नहीं रखा जाता कि कितना चावल बना। जो ६५ परसेंट चावल लेता हो और ३५ परसेंट देता हो आवश्यक है उसमें यह देखना चाहिये कि वह कर क्या रहा है।

अब आप देखिये कि अनाज पैदा होने का समय है। फागुन और चैत में अनाज वगैरह कटने का समय है। अब अनाज सस्ता मिलेगा चैत और बैशाख में। गेहूं के बारे में और मोटे अनाज के बारे में, उनके भावों के बारे में, उनके खरीदने के बारे में अभी तक कोई जिक्र नहीं आया है। अब गेहूं और मोटा अनाज ज्यादा से ज्यादा खरीद लेना चाहिये, लेकिन आपकी नीति तो यह है कि विभाग के जरिये न खरीद हो यह समझ में नहीं आता कि व्यापारी को बीच में क्यों डाला जाता है। उस बिचौलिये को छोड़कर आप खुद क्यों नहीं खरीदते? जब आपने ३५ परसेंट व्यापारी के लिये छोड़ दिया है, तो जब मई का महीना समाप्त होगा और आपका खरीदा हुआ माल खत्ती में चला जायगा, लेकिन व्यापारी का किस भाव बिकेगा? इसलिये आपको चाहिये कि आप ही सब गल्ला खरीदें और जिस जिले में कमी हो उसमें तो भेजें ही, लेकिन जिस जिले में आप खरीदें उसको भी करीब-करीब उसी भाव पर या आपने सर्विस वालों का खर्चा जोड़ कर, जो मैं समझता हूं ८ आने मन से ज्यादा नहीं होगा, दें। हमारा खयाल है कि चैत, बैशाख में गेहूं का भाव १३–१४ रुपये मन से ज्यादा नहीं होगा और मोटा अनाज १०–१२ रुपये मन। मेरे खयाल से देश में बहुत अनाज है, कीजिये रुपया खर्च, लेकिन व्यापारी को शामिल न कीजिये और भाव पर भी कंट्रोल कर दीजिये और साथ में उन गरीब किसानों का भी कुछ खयाल कीजिये, कोई उचित कीमत निर्धारित कर दीजिये। तभी आपका काम सफल होगा, लूट से सफल नहीं हो सकता।

कैश क्राप्स की बात कही गयी। अभी मैंने २० बीघे बरसीन बोई। किसान कैश क्राप्स की तरफ ही जा रहा है। किसान कहता है कि अनाज में उसे उत्पादन की लागत नहीं मिलती, इसलिये वह सोचता है कि सब्जी का काम करे, फल का काम करे या चारे का काम करे। इसलिये अनाज का उत्पादन कम होता जा रहा है।

आप उत्पादन बढ़ाने की बात करते हैं। उत्पादन मेज पर बैठ कर नहीं बढ़ता, या जो आप जापानी ढंग से धान की खेती करने को कहते हैं उससे उत्पादन नहीं बढ़ सकता। उत्पादन बढ़ाने के लिये खेत को दो-फसला बनाइये। इस सम्बन्ध में आप सर्विस कोआपरेटिव्ज की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन किसान जब तकावी के लिये दरख्वास्त देता है, उसे बैल की जरूरत है तो ६ महीने में भी उसे रुपया नहीं मिलता है। आप पानी की समस्या हल कीजिये। १९ जनवरी से नहर बन्द है। १९ तारीख से बन्द होकर अगले महीने में आयेगी तो जो चीजें बोई हुई थीं वे तबाह हो गईं। कौन देखने वाला है, कौन सुनने वाला है और कितनी ही दरख्वास्तें दीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आपके सागर बांध वगैरह हमेशा बनते रहते हैं लेकिन कुछ ऐसा इंतजाम भी कीजिये कि जिससे किसानों को वक्त पर पानी मिलता रहे और किसानों का उत्पादन नष्ट न हो बल्कि बाजारों में जाय तभी आपकी खाद्य समस्या सुलझ सकती है।

अभी आपके यहां अनाज की शार्टेज है और आप उसके लिये बहुत ही परेशान हैं लेकिन अब थोड़ी मंदी हो गई है। अब एक सेर दस छटांक का गेहूं बिकने लगा है। आप लोग कहेंगे कि हमने बढ़ा दिया। जब घट रहा था तब नहीं कहते थे। जिस समय ३२ रु० का भाव हो रहा था उस समय सरकार नहीं कहती थी कि किसने घटाया। चैत के महीने में सरकार कहेगी कि हमने मंदा कर दिया। मैं कहूंगा कि आप शाबाशी मत लीजिये। यह

[चौधरी खजानसिंह]

तो गरीबों की खून और पसीने की कमाई है जिसको आप लोग लूटते हैं। आप कीमत निर्धारित करते हैं कि १५ रुपये मन चावल, १३, १४ रुपये मन गेहूं और १० रुपये मन मोटा अनाज लेंगें तो मैं यह कहूंगा कि आपकी यह चीज उचित नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से आपके द्वारा कहूंगा कि कीमतें उचित ढंग से निर्धारित करें, ताकि जनता को फायदा हो और किसानों को लाभ हो। उसी कीमत पर जनता में बेचा जाय जिस पर गल्ला लिया जाय। सिर्फ उसमें आठ आने मन का फर्क हो। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री व्रजभूषण शरण (जिला देहरादून)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय खाद्य मन्त्री जी ने जो अनुदान सदन में उपस्थित किया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। मैं आपके द्वारा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस वक्त प्रदेश में खाद्य समस्या बिगड़ना शुरू हुई तो उस समय फौरन ही मंत्री जी ने तथा उनके विभाग के अधिकारियों ने बड़ी तत्परता से और शीघ्रता से काम किया। आज हमारे प्रदेश में खाद्य मंत्री जी की नीति के कारण ऐसी हालत उत्पन्न हो गई है कि हम आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि कहीं कोई आदमी भूख से नहीं मरने दिया जायगा। जो तमाम नुक्ताचीनी मैंने सुनी उससे ऐसा महसूस हुआ कि शायद कृषि के अनुदान पर बहस हो रही है।

मैं मानता हूं कि प्रति एकड़ उपज नहीं बढ़ रही है। इसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी भूमि पड़ी हुई है कि जिसमें खेती हो सकती है और नहीं हो रही है परन्तु ये बातें कृषि के अनुदान में आनी चाहिये थीं। जहां तक इस अनुदान का संबंध है, हमें खाद्य नीति पर अपने विचार व्यक्त करने चाहिये। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इतना बड़ा जाल जो उन्होंने सरकारी गल्ले की दूकानों का फैलाया है उस नीति में अगर एक साधारण परिवर्तन कर लिया जाय तो शायद स्टेट ट्रेडिंग के लिये जो हर वक्त कहा जाता है कि सरकार की नीति नहीं है वह बात भी मानी जायगी और वितरण का तरीका भी अच्छा हो जायगा। बजाय इसके कि ये दूकानें किसी व्यापारी या लाइसेंस होल्डर को दी जायं अगर उन दूकानों पर सरकारी मुलाजिम रख दिये जायं, वह सीधे जा कर सरकारी गोदामों से गल्ला खरीद लें और वितरित करें। जो बिक्री का रुपया आये वह स्टेट बैंक आफ इंडिया में जमा कर दें और गोदाम में परचा दाखिल कर दें। तो यह एक कदम स्टेट ट्रेडिंग की तरफ होगा और इसके साथ-साथ जो लांछन लगाये जाते हैं उनका भी निराकरण हो जायगा। मुझे बड़ा दुख है। एक आवाज आयी, मैं नहीं जानता कि किस माननीय सदस्य ने कहा था कि माननीय मंत्री जी के रिश्तेदार होंगे। तमाम सूबे में हर जिले में दूकानें खुली हुई हैं। सब जगह माननीय मंत्री जी के रिश्तेदार नहीं भरे पड़े हैं। अगर उनके रिश्तेदार हैं तो गढ़वाल जिले में हैं। देहरादून, सहारनपुर, मिर्जापुर, वाराणासी में नहीं हैं। मगर फिर भी यह एक नीति की बात है। अगर बजाय व्यापारियों को देने के यह काम सरकारी मुलाजिमों द्वारा कराया जाय और मार्केटिंग इस्पेक्टर और सप्लाई आफिसर के मातहत उनको कर दिया जाय तो ब्लैक मार्केटिंग की जो बहुत सी शिकायतें हैं, और यह कि खराब गल्ला, बदल कर दे दिया जाता है, यह शिकायतें दूर हो सकेंगी और अगर दूर न हो सकेंगी तो भी पब्लिक सर्वेन्ट्स कंडक्ट रूल्स उन पर लागू किये जा सकेंगे, और उनके अन्तर्गत उन पर कार्यवाही की जा सकती है।

आज परिस्थिति यह है कि आज गल्ले के दूकानदारों पर कोई नियंत्रण नहीं रख सकते। वह अपनी मर्जी से जब चाहता है गल्ला लाता है, जब जी में आता है तब कह देता है कि आज गल्ला कम हो गया। इस समस्या को दूर करने के लिए, जिस समय माननीय मंत्री जी ने चार्ज लिया, आइडेंटिटी कार्ड का सिलसिला जारी किया इससे जनता को फायदा और सुविधा हुई है। अगर इतना पहले से कर दिया गया होता तो कभी ये दिक्कतें पेश न आतीं। उस आइडेंटिटी कार्ड में माननीय मंत्री जी थोड़ी सी तब्दीली और कर लें। बजाय इसके कि व्यक्तिगत रूप से आइडेंटिटी कार्ड दिये जायं एक परिवार का एक आइडेंटिटी कार्ड दिया जाय। जो लम्बा क्यू हर दूकान पर लगता है और उससे जो गल्ला लेने वालों को

और दूकानदार को रजिस्टर में चढ़ाने में जो इससे तकलीफ होती है, अगर एक परिवार का कार्ड बना दिया जाय तो उससे वितरण में भी आसानी हो जायगी और हिसाब किताब में भी दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से एक माननीय सदस्य ने कहा था कि पिसा पिसाया आटा गांवों में नहीं जाता है। मालूम नहीं कि उनके जिले में ऐसा है या नहीं, लेकिन हमारे जिले में ऐसा है कि जितनी सस्ते गल्ले की दूकानें हैं उन सब पर गेहूं, बाजरा, मक्का और जो भी अनाज है वह भेजा जाता है। पिसा पिसाया आटा गांवों में भेजा जाता है। मैं समझता हूं कि गांव-गांव में जहां दूकानें नहीं खोली हैं वहां पिसा पिसाया आटा या तो सहकारी समिति से या अपने मुकर्रर किए हुए आदमी के द्वारा भेज कर सरकार वितरित कराती है। गांव में यह समस्या है कि जब प्राइवेट व्यापारी यह आटा ले जाता है तो उसमें गैरजिम्मेदारी से काम करता है, क्योंकि वहां आबादी का ब्यौरा किसी के पास ठीक से है नहीं, कम से कम उस दूकानदार के पास नहीं है जिसको आटा दिया जाता है। अगर वहां भी सरकारी आदमी से बटवाया जाय, पटवारी या किसी और जरिये से तसदीक करके आटा बांटा जाय तो उसमें यह सुविधा हो जायगी कि गलत आदमी को नहीं मिलेगा और जो ब्लैक मार्केटिंग का चार्ज है, कम से कम जो लगाया जाता है, उसका कारण न रहेगा। इस प्रकार मैं एक यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग की तरफ कदम बढ़ाते हुए गांवों में सहकारी समितियों से या और किसी तरीके से जो यह काम चल रहा है यह सरकारी मुलाजिमों से कराया जाय। अभी कहा गया कि चावल ऐसा दिया जाता है उसमें मालूम नहीं क्या बोरों में भर दिया जाता है। मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरा जिला भी ऐसे जिलों में है जहां से चावल माननीय मंत्री जी ने प्रोक्योर किया है। मैं माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने जो कठिन समस्या हमारे यहां पैदा कर दी थी चावल हमारे जिले से प्रोक्योर करने का आर्डर दे के उसमें कुछ हद तक तो माननीय मन्त्री जी ने हमें सहूलियत दी है। मगर उनको शायद यह ध्यान नहीं था कि जिस वक्त यह आज्ञा जारी की थी कि हमारा जिला देहरादून मीडियम और कोर्स राइस ज्यादा पैदा नहीं करता। हमारे यहां बासमती पैदा होती है। बासमती पर आपने लेवी नहीं लगायी। वह आप प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं। आप हमसे मीडियम और कोर्स राइस प्रोक्योर कर रहे हैं। वह हम शाहजहांपुर से और पीलीभीत से और बाहर के व्यापारियों से खरीद कर के रखते और चूंकि हम चावल खाने के आदी हैं इसलिए वह लाकर रखते हैं। हमारे यहां की बासमती पहले ही बाहर चली जाती है। तो मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करें और कम से कम देहरादून जिले को जहां मीडियम और कोर्स राइस ज्यादा पैदा नहीं होता और जहां हमको बाहर से मंगाना पड़ता है उसमें यह तब्दीली लायें कि वह २५ प्रतिशत जो लेवी लगायी है उससे उसको मुक्त किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय मन्त्री जी का और उनकी नीति का और उनके इस बजट अनुदान का पुरजोर समर्थन करता हूं।

*श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह सुनता था कभी कि हाउस आफ कामन्स में जब हिन्दुस्तान के सिलसिले में बहस मुबाहिसा चलता है तो उस वक्त हाउस आफ कामन्स के बहुत थोड़े सदस्य वहां पर रहते हैं, तो वही बात मुझे आज याद आती है.....

श्री सुरेशप्रकाश सिंह (जिला सीतापुर)–उधर कम हैं।

श्री गेंदासिंह––जिम्मेदारी तो ट्रेजरी बेंच की ज्यादा है। मैं समझता हूं कि अन्न की समस्या पर जिस वक्त बातचीत इस सदन में की जाय उस वक्त यह उदासीनता नहीं रहनी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य--दोनों ओर से है ।

श्री गेंदासिंह--दोनों ओर से नहीं है । अन्न के सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि लोगों ने मुझे अधिकार दे रखा है कि मैं आपसे कुछ बात कर सकूं । और अनुपात की बात भी ठीक है । (व्यवधान) मेरा वक्त ज्यादा न लें । मेहरबानी करके मेरी बातों को सुनें । उस पर आप गौर कीजिएगा ।

मैं समझता हूं कि अन्न के सम्बन्ध में और स्टेट ट्रेडिंग के सिलसिले में ही बड़ी लम्बी चौड़ी बात यहां हुई । उसका मतलब सिर्फ अन्न बाजार से है और अन्न का सम्बन्ध जो है वह उस के उत्पादन से है । सबसे पहली बात यह है कि सरकार इस पर विचार करे कि क्या उसको सही अन्दाजा है कि अपने देश में अनाज की कितनी आवश्यकता है और क्या सही अन्दाजा उसको यह है कि उसका उत्पादन कितना होता है । अगर इन दो बातों का सरकार को सही अन्दाजा होता, सही अनुमान होता तो मैं समझता हूं कि सरकार बहुत सी गलतियों से बच जाती । मैं आज भी कहता हूं कि सरकार के पास वह अनुमान नहीं है सही उत्पादन का न अपनी आवश्यकता का । खाद्य मन्त्री जी फिर उस पर रोशनी डालेंगे । मैं उनको इस मामले में बहुत घसीटूंगा भी नहीं क्योंकि वह पूरी केबिनेट की बात है । पूरा मन्त्रिमंडल उसके लिए जिम्मेदार है न कि सिर्फ कुछ दिनों से माननीय खाद्य मंत्री जी, जो इस पोर्टिफोलियो को सम्हाल रहे हैं वह इसके लिए जिम्मेदार हैं । हमेशा यह कहा गया कि हमने तो इतना काम किया है प्लानिंग के जरिये, ऐग्रीकल्चर के जरिये और इन सारे कामों का नतीजा यह हुआ है कि हमारे देश में उत्पादन जितना हमको करना चाहिए था उससे भी अधिक बढ़ाते हम चले गए । सिर्फ १९५७-५८ को छोड़ कर बाकी हर वर्ष में हमसे यह कहा गया कि उत्पादन हमारा टार्गेट से आगे बढ़ गया । टार्गेट से आगे उत्पादन हमारा बढ़ता चला गया और बीमारी मंहगाई जो है वह भी बढ़ती चली गई । कुछ अनुभवी सदस्य हमारे जो हैं वे कभी-कभी ऐसी बात कहते हैं जिस पर मुझे उनके ऊपर जरूर दया आती है और खास तौर पर माननीय देवकीनन्दन विभव जब यह कहें कि जन-संख्या की बीमारी बड़े जोर से बढ़ती चली जा रही है । अब मैं क्या बताऊं मैं तो थक गया इस बात को सुनते-सुनते । यहां इस पर पर मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, लेकिन आप अपमान करते हैं प्लानिंग कमीशन का, इस हाउस का और योजना बनाने वालों का सबका आप अपमान करते हैं यह कह कर कि औलाद बढ़ गई इसलिए मंहगी बढ़ गई । हमेशा यह विचार करके योजना बनाई जाती है और टार्गेट रखा जाता है कि इतनी जनसंख्या भी बढ़ती जायगी । जो पर-कैपिटा इनकम बढ़ाने की योजना बनाई जाती है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है और माननीय विभव जी भी ऐसा समझते हैं । हम लोगों को याद न हो तो कम से कम अपने साथ तो वह दगा न करें।

श्री देवकीनन्दन विभव--मैंने तो सिर्फ यह कहा था कि आबादी के बढ़ने के बाद का जो आबादी का स्ट्रक्चर होगा उसमें जो परिवर्तन होगा उससे हमारे अन्न की आवश्यकतायें ज्यादा होंगी ।

श्री गेंदासिंह--इतनी बार यह बात हो चुकी है जनसंख्या के बढ़ने की कि अब हम तैयार नहीं हैं इस तरह की बात सुनने के लिए । माननीय मंत्री जी ने एक बात यह कही कि हमने तो जिस पैमाने पर राशनिंग के जमाने में काम करते थे उस पैमाने पर अब काम करना शुरू कर दिया । मुझको उनसे बड़ी आशा है इसलिए नहीं कि मैं उनसे निराश हूं, किन्तु वह जरा और पीछे चले जायं और अपने इतिहास में इस सरकार के इतिहास में सरकार के कारनामे को देखें । कारनामा यह है कि गवर्नमेंट अपनी बीमारी का इलाज करना नहीं चाहती है और जब बीमारी छिपाते रहें और डाक्टर सुने नहीं तो इलाज कैसे हो ? इस जनवरी से ४,३७७ दुकानें चल रही हैं हमारे उत्तर प्रदेश में । उनकी तरफ से जो साहित्य बंटा है उसमें लिखा है। मैं समझता हूं कि उन्होंने जरूर पढ़ा होगा।

४८,००० दुकानें सारे भारतवर्ष में हैं यह कौन सा प्रोपोर्शन है कौन सा अनुपात है कि कुल यहां पर ४,३७७ दुकानें हैं ? अतः हम कहना चाहते हैं, इल्जाम लगाना चाहते हैं बहुत सफाई के साथ कि इस सरकार ने केन्द्र से नहीं कहा कि हमारे यहां अनाज की कमी है, इस सीमा तक कमी है कि रुपये का सवा सेर और डेढ़ सेर गेहूं मिलता है और रुपए सेर की दाल मिलती है। चावल हम खाने को पा नहीं सकते रुपये का डेढ़ सेर, सवा सेर का मिलता है। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, याद दिलाना चाहता हूं कि बाम्बे, बंगाल और मद्रास की स्टेट्स ने आज से वह बात नहीं कही है। आप राशनिंग के जो भी रेकार्ड हों, उनको देख लें, उनके आधार पर या जो बुलेटिन हो गवर्नमेंट आफ इंडिया की राशनिंग के जमाने की उसको देखें तो आपको मालूम होगा कि बंगाल, मद्रास और बाम्बे में टोटल राशनिंग रूरल एरिया में थी या नहीं। आस्टेरिटी प्राविजन चलाने के बारे में सरकार ने आनाकानी कर दी। सरकार ने यह कह दिया कि कहीं अन्न की जरूरत नहीं है। उस वक्त बाम्बे की सरकार ने, मद्रास की सरकार ने और बंगाल की सरकार ने उनसे कहा कि हमारे यहां तो देहात में अन्न की कमी है इसलिए देहात में भी अन्न की दुकानें खुलीं और सप्लाई हुई। मुझे याद है कि बाम्बे में दो करोड़ आदमियों को और मद्रास में दो करोड़ से ज्यादा आदमियों को गांव में अन्न मिलता रहा। टोटल राशनिंग के जमाने की बात मैं कहता हूं जिस समय उत्तर प्रदेश में ए० पी० स्कीम चलाने के लिए सत्याग्रह और मालूम नहीं क्या-क्या करने की आवश्यकता पड़ी थी। तो मैं कहूंगा कि मेहरबानी करके राशनिंग के जमाने के कागजात को देख जायं और उसके आधार पर बताये कि हमारी स्टेट कहां पर है ? और मैं उनसे जरूर जवाब चाहूंगा। आखिर हिन्दुस्तान की सरकार कहती है, अभी तीन-चार दिन हुए मेरी अजित प्रसाद जी जैन से बात हुई। उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट जो मांगती है हम उसे दे देते हैं। तुम्हें झगड़ा जो करना हो उससे करो। यहां जब हम कहते हैं तो आप कहते हो कि वहां से मिलता नहीं इसलिये हम नहीं दे पाते। मैं कहता हूं कि आज हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा मंहगाई उत्तर प्रदेश में है या नहीं। अगर है, तो क्यों नहीं सबसे अधिक संख्या में, प्रोपोर्शनेटली जितनी और स्टेट्स में दूकानें खोली गयी हैं, उनसे ज्यादा क्यों न यहां खोली जायं ? अगर इन दुकानों को खुलवाने की आपने कोई कोशिश की है तो बतलायें मंत्री जी। उस के लिये हिन्दुस्तान की सरकार के श्री अजित प्रसाद जैन जी ने कहा है कि जितना स्टेट गवर्नमेंट मांगती है वह हम मुहय्या कर देते हैं। तो यह बात साफ-साफ आप बतलाइये। दिल्ली की भी आपको जानकारी है और मैं यह बात खुले मैदान में कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी स्टेट गवर्नमेंट यह समझती है कि उसने जो फैसला किया है, ठीक किया है और वह कुछ थोड़े से लोगों को देख कर फैसला कर लिया करती है। उसने सोच लिया कि यह बात कहनी चाहिये, इसी में बहादुरी है और अपने हाथ से अपनी पीठ ठोंकती रही। हमने रुपया भी खर्च नहीं किया और जादू से अपना उत्पादन बढ़ा लिया। आज यह जादूगरी पकड़ गयी। इसका इलाज क्या है ? इसका इलाज हो सकता है यह मैं दावे के साथ कहता हूं, लेकिन उसके लिये दिल चाहिये, दिमाग चाहिये। आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते। आज भी मुल्क में अनाज है, लखनऊ में अनाज है, लेकिन भले ही डेढ़ सेर और सवा सेर का गेहूं बिके, लेकिन उन अनाज वालों को आप छूना नहीं चाहते।

उत्पादन बढ़ाने की बात बहुत आवश्यक है। सप्लाई और डिमांड के सिद्धांत का मैं हामी हूं। उत्पादन बढ़ाने के लिये मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि जब ५३ और ५५ मन फी एकड़ धान की पैदावार हो सकती है तो वही तरीका बड़े पैमाने पर हमारे यहां क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता और अगर किया जाय तो मैं समझता हूं कि एक वर्ष के अंदर मुल्क सेल्फ सफीशियेन्ट ही नहीं हो जायगा बल्कि कुछ आगे निकल जायगा। मैं नहीं कहता कि समूचे खेतों में इस तरह की पैदावार हो सकती है, लेकिन कम से कम आधे में तो हो। अगर

[श्री गेंदासिंह]

आधे में भी इस तरह पैदावार हो तो मैं कहता हूं कि उससे ही यह कमी दूर हो सकती है। लेकिन नहीं हो सकती, वह नहीं की जा सकती। किसी दूसरे देश की नकल नहीं की जा सकती। आपको तो अपने देश के किसानों की नकल करनी है और उसको पूरा करना है।

उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को भी तरजीह दी जानी चाहिये। किसान के पास जिस वक्त उत्पादन आया तो दाम सस्ता कर दिया, लेकिन जिस वक्त वह अनाज दूसरे के घर में चला गया उसके बाद अगर उसी को खरीदना पड़े तो उसे उस अनाज के ड्योढ़े और दूने दाम देने पड़ते हैं। यह उत्पादन बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है। अन्न मंत्री जी का इससे ज्यादा संबंध नहीं है इसलिये मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं डालूंगा, लेकिन अगर मिल मालिकों को उत्पादन बढ़ाने के लिये हर तरह की सुविधा दी जा सकती है तो मैं नेगी जी से कहना चाहूंगा कि किसानों के लिये भी वह एक बार कहें कि उसी तरह की कुछ सुविधा इनको भी मिलनी चाहिये। लेकिन वह नहीं हो सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, रामायण राय जी ने दो एक ऐसी बातें कहीं है कि जिनका जवाब हाउस में मिलना चाहिये। मैं समझता हूं कि अनाज के बटवारे में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिये। इस राजनीति का दंड हमें क्या दिया जाता है उसे मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं। रामायण राय जी ने जो कहा है उसे मैं दोहराना चाहता हूं इसलिये कि नेगी साहब उस बात की उपेक्षा न कर जायं और मैंने लिख कर भी दिया और जबानी भी कहा है। हम, श्री ब्रजनारायण जी और रामायण राय जी, इत्तफाक है कि एक कम्पैक्ट एरिया से ही चुन कर यहां आये हैं और उन्ही के पास से एक कांग्रेसी सदस्य भी यहां आते हैं। मैं मानता हूं कि उन सदस्य के इलाके में जो ३८ दूकानें खोली गयीं वह बहुत अच्छा हुआ लेकिन उनको ३८ दूकानें और हम तीन आदमियों के इलाके में यह ४०, ४५ दूकानें---अगर यह कहा जाय कि कस्बा है तो बरहज भी तो सबसे बड़ा कस्बा है। जो उग्रसेन जी का इलाका है उसमें कितनी दुकानें खोली गईं? तो यह राजनीति है या नहीं? मुझे दंड दिया जाता है वह क्यों दिया जाता है? मैंने चर्चा की और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से भी कहलवाया, लेकिन सरकार उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। सरकार समझती है कि अगर इसकी चर्चा करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बेइज्जती हो जायगी। मगर इसमें हमारी बेइज्जती है या नहीं? इस हाउस को विचार करना है कि अगर गेंदासिंह, श्री रामायणराय और ब्रजनारायण तिवारी जिस इलाके से चुन कर आये हैं उसमें १०-१२ दुकानें खोली जा सकती है, लेकिन एक दूसरा भाई एक इलाके से चुन कर आये उससे कहा जाता है कि ये दुकानें इसलिये नहीं मिल रही हैं कि तुमने कांग्रेस को हराया। मैं मानता हूं कि मिनिस्टीरियल लेविल पर यह बात नहीं है, लेकिन जब मैं उनकी नोटिस में ले आता हूं तो उसके बाद क्या हुआ, यह जानने की जरूरत है।

एक बात और अन्त में कह देना चाहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग ऐसी बात हो गई है कि इस पर जिसके जी में जो आता है अपने ढंग से सोचता है। मैं इसको ऐसा मानता हूं कि किसान को रेम्यूनरेटिव प्राइस मिले, रेम्यूनरेटिव प्राइस वह कहलाती है जिससे किसान को खेती करने में इन्सेंटिव मिले और दूसरी बात यह कि खेती से जो उत्पादन हो उसको खरीदा जाय और खरीदने में और बेचने में कीमत में अधिक फर्क न हो बल्कि बिल्कुल फर्क न हो सिवाय इसके कि खरीद और बिक्री में जो हमारा खर्चा पड़ता है उस खर्चे को लेकर बाकी कन्ज्यूमर को पहुंचा दें। इसको अगर सरकार कर सकती है तो मैं चाहता हूं कि सरकार इसको करे और उसको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये कि इस काम में किसी भी हालत में हम लोग सहयोग नहीं करेंगे। मैं आपसे कहता हूं कि यह देन तो अशोक मेहता की है जो कि फूडग्रेन्स इंक्वायरी कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने ही इस चीज को सुझाया और उन्होंने कहा कि इस के बिना हम इस समस्या का हल नहीं कर सकते हैं। मैं उन ८५ लाख आदमियों के लिये, जो कि शहरों में रहते हैं और वे भूमिहीन जो साल भर खाने के लिये अन्न नहीं पैदा कर पाते हैं उनके लिये फिक्रमन्द हूं और मैं सोचता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग को इस पैमाने पर शुरू

करने की जरूरत है कि जिन तबकों का मैंने नाम लिया उनको एक ऐसी कीमत पर अनाज पहुंचा सकें जिसको चुकाकर वे अपने बाल बच्चों को आराम से रख सकें। अगर ऐसी स्टेट ट्रेडिंग को सरकार चलाना चाहे तो पी० एस० पी० की सारी ताकत, जो कुछ भी हो सकेगी मदद करने में लगेगी। इसमें किसी को कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं है, न ट्रेडर्स को और किसी दूसरे को। मगर ब्लैक मार्केटियर या समाज के देशद्रोही जो इस तरह के हैं जो गलत रास्ते पर समाज को ले जा सकते हैं उनकी हमदर्दी हम कभी भी नहीं कर सकते। इसको हम साफ शब्दों में कहना चाहते हैं कि सरकार स्टेट ट्रेडिंग के नाम पर कोई ऐसी चीज न लावे जिसकी वजह से जिस नीति और जिस उद्देश्य से इसको किया जा रहा है उसमें असफलता हो।

श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी (जिला गढ़वाल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है, उसके समर्थन में और उधर से जो कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं, उनके विरोध के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझसे पहले माननीय गेंदासिंह जी बोले। माननीय गेंदा सिंह जी जैसे किसान नेता के पश्चात् बोलना मेरे लिये जरा कठिन सा है क्योंकि यह सही है कि खेतिहर किसान और ग्राम्य जीवन से संबंधित जितनी जानकारी उनको है, उतना 'क्लेम' मैं कतई नहीं कर सकता। लेकिन वास्तविकता वहां कुछ और है। माननीय गेंदासिंह जिस क्षेत्र से यहां आते हैं वहां उस असलियत को देखा जा सकता है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि विगत कुछ वर्षों में पूर्वी जिलों में सरकार ने, इसमें गेंदासिंह जी का इलाका भी शामिल है, कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये, देहात के ढांचे को सुधारने के लिये जितनी कोशिशें की हैं, वे सराहनीय हैं। फिर भी वहां कृषि उत्पादन संतोषजनक रूप से नहीं बढ़ाया जा सका। इसका कारण क्या है? इस का कारण है कि चाहे हम अपने देश में वैज्ञानिक ढंग से खेती करें, चाहे नहरों का जाल बिछायें, चाहे सुधरे बीज देवें और भी कुछ उपाय करें, लेकिन फिर भी ७५ प्रतिशत खेती के लिये हमें मौसम पर निर्भर रहना पड़ता है। इसीलिये खाद्य मंत्री जी ने कहा कि हमारी लाख कोशिशों के करने पर भी प्राकृतिक आपदाओं से हमारी कोशिशें बेकार ही रहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं जिनसे वास्तविक स्थिति का कुछ बोध होता है। वे आंकड़े विश्व के हैं। आंकड़ों में आप विश्वास करें या न करें लेकिन सही बात यह है कि जब हम खाद्यान्न का जिक्र करते हैं तो हमें दो बातें याद रखनी होती हैं। वह यह कि हमारे पास भूमि कितनी है जिस पर खेती हो सकती है और दूसरी यह कि हमारी भूमि जन–संख्या की बढ़ोत्तरी के साथ–साथ उसका भार वहन कर सकती है या नहीं।

कृषि के इतिहास को देखने से हम विगत वर्षों को दो पीरियड्स में विभक्त कर सकते हैं। पहला पीरियड १८९१ से १९२१ तक है और दूसरा पीरियड १९२१ से अब तक। पहले पीरियड में हमारे यहां भूमि की इतनी कमी नहीं थी जितनी कि आज है। हमने डबल क्रापिंग का सिस्टम अपनाया, हमने सिंचाई के साधनों का विस्तार किया, सुधरे हुए बीजों तथा अन्य प्रकार के साधनों का उपयोग किया। इससे सुधार हुआ और हमारे देश में एक जमाना खुशहाली से गुजरा। लेकिन १९३१ से लेकर अब तक हमारे देश में उस जमीन की मात्रा कम होती गयी जिसमें स्टेपिल क्राप्स पैदा की जा सकती थी, हमारे देश में प्रति व्यक्ति के पीछे उस भूमि की मात्रा घटी, जिस भूमि पर हम खेती करते थे। इससे हमारी जितनी भी कोशिशें खाद्यान्नों को बढ़ाने की रहीं भी वे सब की सब नाकामयाब ही रहीं। १९२१ के बाद हमारे देश में जनसंख्या भी तेजी के साथ बढ़ी। यही नहीं, उस तबके के लोगों की जन-संख्या अधिक बढ़ी, जो केवल खेती करने पर निर्भर रहता है। दूसरी ओर हमारे प्रदेश में इस दरमियान यानी सन् १९२१ से लेकर अब तक न तो उद्योग का और न अन्य चीजों एवं सेवाओं का ही विस्तार किया जा सका कि हम लोग उस कमी को पूरा कर सकें जो भूमि

[श्री नरेन्द्रसिंह भंडारी]

की कमी के कारण पैदा हो गयी है। इसलिये हमारे प्रदेश में खाद्यान्न की विकट स्थिति पैदा हो गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिये आज हमारे प्रदेश में हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी खाद्यान्न की स्थिति संकटमय और खराब है। इसके लिये मैं खाद्य मंत्री जी को और सरकार को बधाई देता हूं कि ऐसी विकट स्थिति के होते हुये भी उन्होंने खाद्यान्न की स्थिति संभालने के लिये जो प्रयत्न किया है वह सराहनीय है।

इस संबंध में सरकार ने जो सबसे बड़ा कदम उठाया है वह स्टेट ट्रेडिंग का है। अभी कुछ दिन पहले पंडित नेहरू इसी शहर में आये थे तो उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि मुझसे कुछ दिन पहले दिल्ली में कुछ पूंजीवादी देशों के विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री मिले और उन्होंने कहा कि बड़ी अजीब सी बात है कि तमाम देश में समाजवादी वातावरण है जो अन्य किसी भी देश में मौजूद नहीं है और सबसे बढ़कर आश्चर्य की बात यह है कि यहां की जो विरोधी पार्टियां हैं वे भी समाजवाद की दुहाई देती हैं, फिर भी आप लोग खाद्यान्न जैसी महत्वपूर्ण चीज के क्षेत्र में अभी तक पूंजीवाद को कायम रखे हुये हैं यानी उन मध्य-वर्तियों को जिनका जिक्र अभी एक माननीय सदस्य ने किया कि ऐसी ६ एजेंसियां हैं, उनको जनता का शोषण करने का पूरा अधिकार दे रखा है। इसलिये नेहरू जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि समाजवादी उद्देश्य की सफलता के लिये हमारा इनकलाबी कदम यह है कि खाद्यान्न जैसी वस्तु को उन मध्यवर्तियों के चंगुल से बचाने की यह योजना हमने बनायी है जो अब तक इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ करते रहे हैं और जनता को भूखों मार-मार कर भी लाखों की तादाद में अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं इस सरकार को बधाई देता हूं कि उसने इस दिशा में एक कदम उठाया है। हां, यह देखना है कि जो योजना चालू हो चुकी है वह कहां तक सफल होती है। इसकी सफलता के लिये जैसा कि हमारे खाद्य मंत्री जी ने इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों से प्रार्थना की है, तथा समूची जनता से प्रार्थना की है, उस प्रार्थना में मैं अपनी आवाज को भी जोड़ता हूं कि हम सभी लोग मिल कर इस योजना की सफलता के लिये जो महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है, उसे सफल बनाने की कोशिश करें। उसमें कोई राजनीतिक बात लाना मैं उचित नहीं समझता।

एक बात मैं अपने पर्वतीय प्रदेश के लिये भी विशेष तौर पर कहना चाहता हूं। हमारे पर्वतीय प्रदेश में जो खाद्यान्न की स्थिति है उसे परमानेंट स्केयरसिटी कहा जा सकता है। अशोक मेहता कमीशन ने हमारे इस प्रदेश के लिये जो सिफारिशें की हैं उनकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन उस प्रदेश की जनता ने और उसके प्रतिनिधियों ने सरकार से बार-बार प्रार्थना की है कि इस प्रदेश में वह स्कीम लागू की जाय जो हिल प्रोविजनिंग स्कीम के नाम से विख्यात है। उस स्कीम में यह होता था कि १०० रुपए मासिक या उससे कम आय के लोगों को १४ रुपए मन के हिसाब से गेहूं या अन्य अनाज दिया करते थे और उस स्कीम में यह होता था कि इश्यू गोदाम से लेकर जहां दूकान हो वहां तक के ट्रांसपोर्ट चार्जेज सरकार की तरफ से दिये जाते थे। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे मेरी इस प्रार्थना पर विचार करें क्योंकि हमारे दूरस्थ इलाके में ऐसे लोग भी हैं जो जड़ी बूटी, कंद मूल फल खाकर रहते हैं और उनके लिये अगर आप सस्ते गल्ले की दूकानें खोलना चाहें तो वह न भी खोल पायेंगे क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट चार्जेज इश्यू गोडाउन से उन्हें देने पड़ते हैं उससे सस्ते गल्ले की दूकान पर बिकने वाला गल्ला काफी मंहगा पड़ जाता है। इसलिये आपकी सारी स्कीम्स बेकार हो जाती हैं, जब तक पहाड़ी इलाकों में हिल प्रौवीजनिंग स्कीम जो १९५४ में बन्द की गयी थी वह फिर से चालू नहीं की जायगी।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट---मान्यवर, इस बात में कोई शक नहीं है कि मंत्री जी बहुत दौड़ धूप कर रहे हैं जब से उन्होंने यह पोर्टफोलियो लिया है और सफलता कहां तक मिली है यह तो तवारीख बतायेगी। लेकिन इतना मैं कहना चाहता हूं कि यह मौजूदा गवर्नमेंट खाद्य समस्या को हल नहीं करना चाहती। अगर करना चाहती तो खाद्य जैसे इम्पार्टेंट

पोर्टफोलियो को एक स्टेट मिनिस्टर को न देती, इसके लिये कैबिनट रैंक का मिनिस्टर होना चाहिये था। यह सरकार इस समस्या को खुद गंभीर नहीं समझती। हमारे प्रधान मंत्री को तो ११ साल लगे यह समझने में कि खाद्य समस्या एक जटिल समस्या है।

दूसरी बात मंत्री जी ने यह फरमायी कि उन्हें बड़ी फिक्र है कि जनसंघ के बनारस में सम्मेलन होने से हापुड़ में गेहूं का भाव १ रुपया मन बढ़ गया। शायद जनसंघ का जो दिनों-दिन प्रचार बढ़ रहा है और उसकी सत्यता के कारण देश उसके प्रति आजकल जो आदर कर रहा है, जैसा कि उसके बनारस में हुए एक जलसे का असर इस सरकार पर जाहिर है, सरकार भी कुछ हिलती नजर आती है, क्योंकि उसका भूत-सा मंत्री जी को लग गया है। आपने फरमाया कि भाव घट रहे थे, लेकिन जनसंघ ने एक मीटिंग की इसलिये भाव बढ़ गये। मैं उनकी याददाश्त ताजा करना चाहता हूं। मान लिया जाय थोड़ी देर के लिये कि उनका यह आर्गूमेंट सही है, जो कि सही नहीं है, आपसे पहले जो मंत्री कैबिनट रैंक के थे उन्होंने फरमाया था, जैसा कि ४ अगस्त, १९५८ की कार्यवाही में छपा है, कि उन्होंने पहले साल के भावों से १९५८ जून के भाव गेहूं के कम्पेयर किये। उन्होंने कहा कि ढाई रुपये से ४ आने मन का अन्तर पड़ गया है, यह भी खासकर पश्चिमी जिलों में। उसके बाद सेंटर ने ८०,००० टन प्रांतीय सरकार को देने का वायदा किया जिससे पहले कुछ कीमतें घटीं, लेकिन फिर बढ़ती गईं। मौजूदा खाद्य मंत्री ने अभी कहा कि हमारी तो आखिरी लौ है टिमटिमाती हुई। लेकिन हमारा जो भी हाल हो मगर पिछले साल में १९ रुपए मन भाव था वह ३२ रुपए हो गया। तो मंत्री जी के कहने के मुताबिक इसके अर्थ हुए कि बुझने से पहले उनकी पार्टी की यह आखरी बढ़ी हुई लौ है। न मालूम भगवान को क्या मंजूर है। उधर बैठने वाले सदस्य अपने दिलों से पूछें कि लौ किसकी टिमटिमा रही है? किसी मंत्री को पता नहीं है कि जिस बंगले में कल शाम गये उसी में वे आज भी जायेंगे या दारुलशफा में कोई कमरा ढूंढ़ना पड़ेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि हमारा जनसंघ का सम्मेलन होता है बनारस में और कीमतें बढ़ती हैं हापुड़ में। अगर हमारा इतना असर हो गया है तो इस असर को मानने में सरकार ने बहुत देर की। जनता तो हमारी बात मानती है, यहां बैठकर थोड़े से बहुमत के बल पर यह नहीं सोचना चाहिये कि जनसंघ जो बात कहे वह न मानी जाय। आइंदा सरकार इस बात का खयाल रखे।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग का एक नारा आजकल बहुत जोर पकड़े है। एक दिन टमाटर खाने का दौर चला वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह, यहां भी उसकी नकल की गई। हाल ही में पहले जापानी ढंग की खेती चली, अब चीनी खेती का जोर है। स्ट्रेप्टोमाइसीन वहां चली तो यहां सारे हिन्दुस्तान में भी चली और बी०सी०जी० चली तो यहां भी चली, लेकिन उसके बाद पता पड़ा कि बी०सी०जी० से ऐसे बहुतों को टी०बी० हो गई जिनको नहीं होने वाली थी। आजकल स्टेट ट्रेडिंग व सहकारी खेती का दौर है। यह सरकार तो ऐक्सपेरीमेंट में ही सारे हिन्दुस्तान को तबाह कर रही है। वक्त आयेगा जब इनको इसकी पैनाल्टी चुकानी पड़ेगी। व्यापारियों के साथ कोई मोहब्बत नहीं होनी चाहिये, यह नारा हमने दिया था, जब हमने कहा कि जखीरेबाजों को पकड़ो तो सरकार ने कोई ऐक्शन नहीं लिया। और ऐक्शन भी कैसे करें क्योंकि उन्हीं से तो एलेक्शन के लिये कांग्रेस को चंदा मिलता है। मूंधड़ा ने बताया है कि उन्होंने लाखों रुपया कांग्रेस के फंडों में बराबर दिया, आज डालमियां ने भी अपने बयानों में फरमाया कि मैंने भी लाखों रुपया चुनाव के लिये दिया। ये सेठ व मिल मालिक आखिर क्यों देते हैं? उनको क्या मोहब्बत है? इसलिये कि आप उनको छोड़ देते हैं, वह जखीरेबाजी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर आप उनको बख्शते हैं। मैं तो कहता हूं कि आप उनको कड़ी से कड़ी सजा दें और जो जनता को भूखों मारकर बेहद मुनाफा उठाये उसको फांसी पर लटका दें। अगर उन्हें कड़ी सजा दी जाय तो यह चीजें आज रुक सकती हैं। लेकिन सरकार की तो उनको छूने की हिम्मत ही नहीं

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

है, वरना सन् ६२ मे चुनाव के लिये रुपया कहां से आयेगा अगर वह ऐसा करेगी। इससिये मैं कहता हूं कि स्टेट ट्रेडिंग एक अव्यवाहारिक चीज है।

मंत्री जी ने कहा कि १०० लाख टन गल्ला होता है उसको हमें लेना पड़ेगा। करीब ५ अरब रुपये का वह होगा। सरकार को आज ३ अरब ७५ करोड़ का कर्ज है और उस में ४०-५० करोड़ हर साल बढ़ता जाता है। यह आप ने हालत सम्हाली है! सारे स्टर्लिंग बैलेंसेज खा गये और उस पर भी इतने बड़े कर्जदार हो गये। ५ अरब की स्टेट ट्रेडिंग होगी तो पैसा कहां से आयेगा? अगर आज डेढ़ सेर का नाज मिलता है तो फिर ८ छटांक का भी शायद न मिले, इस तरह से क्या स्टेट ट्रेडिंग सफल हो सकती है? सरकार की कभी सोशलिज्म की आवाज है तो कभी कम्युनिज्म की बात है, कम्युनिज्म को अपने कंधे पर चढ़ाकर आज कांग्रेस सरकार ला रही है। इसलिये हमारी राय है कि स्टेट ट्रेडिंग से काम नहीं चलेगा। हां, जनसंघ यह जरूर चाहता है कि बफर स्टाक्स बनाये जायं, लेकिन साथ में ओपेन मार्केट भी रखा जाय, ताकि कम्पीटीशन रहे और अनाज के दाम न बढ़ने पायें और वह नौबत न आये जैसी आजकल है कि सरकारी दूकान पर गेहूं में आधा मिट्टी व भूसा मिला रहे। अगर किसान से खरीदने व बाजार में बेचने में ओपेन कम्पीटीशन रहेगा तो किसान को भी पैसा अधिक मिलेगा और जनता का भी भला होगा। हमारे प्रदेश में ३०,००० थोक तथा ३ लाख के करीब फुटकर व्यापारी हैं और हमारे यहां १,३८,३०७ आदमी बेकार हैं, यह आंकड़ा एम्पलायमेंट एक्सचेंज का है। इसलिये अगर इस हालत में स्टेट ट्रेडिंग किया गया तो करप्शन और बढ़ेगा और परमिट बाजी बढ़ेगी, जिस का कि हमारा पुराना कटु अनुभव भी है। इसलिये हम खुले तौर पर एक व्यवाहारिक सुझाव देते हैं कि इस से लाभ न होगा।

माननीय मंत्री जी ने बड़ी खुशी जाहिर की और कहा कि वे राशन में लाल बाजरा दे रहे हैं। हम पूछते हैं कि यह प्रबन्ध आदमियों का है या जानवरों के लिये है? मुर्गियों ने भी जिस अनाज को चुगने से इंकार कर दिया वह अनाज आज मनुष्य खा रहे हैं। आज जो लोग नौगढ़ में साखू के बीज खाते हैं वह काला बाजरा, लाल बाजरा, सफेद बाजरा क्या सफेद टोपी को भी खा जायंगे, वह अब नारेबाजी में नहीं आयेंगे। जिस कम्युनिज्म को बराबर कांग्रेसी खराब कहते थे अब उसे वह सिर पर चढ़ाकर नचा रहे हैं और उसी का भूतउन्हें सवार हुआ है। यह समस्या जबतक हमारी पैदावार नहीं बढ़ती तब तक हल नहीं हो सकती। यह समस्या सहकारी खेती से भी हल नहीं होगी, इस तरह का खतरनाक एक्सपेरीमेंट आप न करें, पहले एक बार आप प्राइसेज को स्टैब्लाइज होने दें। जिस तरह से मेडिकल कालेज में जब कोई गरीब मरीज पहुंच जाता है तो लड़के उस पर एक्सपेरीमेंट्स करते हैं, खुदा के लिये, भगवान के लिये, दरिद्रनारायण के लिये आप ऐसा तजुरबा इस प्रदेश के करोड़ों गरीबों पर न करें।

एक बात श्री नरेंद्रसिंह भंडारी ने कही कि पूर्वी जिलों में और गोरखपुर आदि में अन्न की पैदावार बढ़ाने की बहुत कोशिश हो रही है। मैं भी वहां के कई गांवों में घूमा हूं। माननीय मित्र पहाड़ के रहने वाले हैं और पहाड़ की ही जानते हैं। पहाड़ की समस्या कि वहां हिल प्रोविजनिंग स्कीम होनी चाहिये ऐसी जो मांग भंडारी जी ने की, वह ठीक है, मगर देवरिया की बाबत जहां वह कभी नहीं गये वहां के बारे में उन्होंने न मालूम कैसे यह कह दिया कि वहां बड़े प्रयास हो रहे हैं। यह गलत है, इस समय आवश्यकता है कि किसान को खूब तकावी दी जाय ताकि साथ ही इसके रसद विभाग का स्थायीकरण होना चाहिये। १५ साल हो गये कितने ही डिपार्टमेंट उसके बाद बने और वह स्थायी हो गये। अगर मौका मिला तो फिगर्स पढ़ दूंगा। जब कोई स्थायी नहीं रहता है तो अच्छे आदमी टिक नहीं पाते, दूसरे विभागों में चले जाते हैं, स्टाक चेकिंग ठीक तरह से नहीं होता है। इस बीच अगर गल्ला कम हो जाय तो कह दिया जाता है कि चूहे खा गये। लाखों रुपये का गल्ला ऐसे चूहे खा जाते हैं और छीजन हो जाती है। रसद विभाग के स्टाफ को वेतन उचित मिलना चाहिये, उनकी नौकरी पक्की की जानी चाहिये, वेतन दर वही होनी चाहिये जो दूसरी जगह है और ऐसा न हो कि किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन हो।

गेहूं की वसूली का डेढ़ लाख का टार्गेट रखा गया था, अब उसको ९२,००० कर दिया गया है। अब मार्च का महीना आ गया, दूसरी गेहूं की फसल आ गयी, क्या धान में से सितम्बर में वसूल करेंगे? ये आपके एफर्ट्स हैं, यह मेहनत है! और कहा जाता है कि सरकार मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। मंत्री जी का व्यक्तिगत कोई दोष नहीं है, यह तो कांग्रेस की नीति और रास्ता ही गलत है। उन्हें फुरसत ही नहीं जोड़ तोड़ से, उसने उसकी टांग खींची, उसने उसकी खींची। हर दम यही फिक्र रहती है कि वह मिनिस्टर बनेगा या नहीं। तो जब घर ही नहीं संभलता तो राज्य क्या होगा? अगर पार्टी की ओर से जरा भी कोई इस बात पर जोर दिया जाता कि देश का रहने वाला किसान मजदूर अपना जीवन अच्छी तरह से बिताये, उसको खाने और पहिनने को मिले तो मैं जानता। जनसंघ के लिये कह देते हैं कि यह तो दकियानूसी है, काउंटर-रिवोल्यूशनरी है। हम सर तोड़ने की बात नहीं करते, हम हाथ काटने की बात नहीं करते, हाथ गिनने की बात करते हैं। हम प्रैक्टिकल बात करते हैं। लेकिन आप तो वही नीति अपना रहे हैं जो सर तोड़ने की बात करते हैं। आप उनका अनुकरण करते हैं जिनके यहां लाखों आदमी गैस चैम्बर में मार दिये गये। ख्रुश्चेव ने कहा कि स्टैलिन की लाश को निकालो, उसपर मुकदमा चलाओ, लटकाओ। आज देश को किधर सरकार ले जा रही है? कल कहते थे कि कांग्रेस के साथ चलिये, राम राज्य होना चाहिये। अब राम-राज्य से बदल कर सोशलिस्टिक पैटर्न की बात करते हैं। पंडित नेहरू ने कह दिया कि कम्युनिज्म आता है तो आ जाने दो। उसमें पार्टी, मिलिटरी, एजूकेशन जैसा कि रूस वालों ने कहा है सब एक होंगे। उसके बाद तो पाकिस्तान की तरह नंगा नाच यहां भी होगा और अयूबखां जैसा पाकिस्तान में कर रहे हैं वही यहां भी होगा।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अब भी वक्त है, नहीं तो फिर दोबरा नहीं आ पाओगे।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उपस्थित अनुदान पर कुछ कहने से पहले माननीय गोविन्द सिंह जी की स्पीच सुनकर मुझे एक मसल याद आ गई। देहात में कहावत है कि टिटिहरी जो एक चिड़िया होती है वह रात में पैर को ऊंचा करके, आसमान की तरफ करके सोती है। तो ऐसा लगा सुनकर के कि वह बनारस में थोड़े से ब्लैकमार्केटियर्स को इकट्ठा करके समझने लगे हैं कि उनके जनसंघ की लोकप्रियता बड़ी बढ़ रही है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब है इस बात में कि उनको इसमें सफलता मिलेगी या कहीं धोखे में हैं। उस चिड़िया से पूछा गया कि भाई, यह ऊपर पैर करके आप रात में क्यों सोती हैं। तो उसने जवाब दिया कि अगर आसमान फटेगा तो हम पैर पर रोक लेंगे। तो मुझे ताज्जुब होता है कि जनसंघ के अन्तर्गत बहुत से लोगों को इकट्ठा करके जनसंघ की बढोत्तरी का अन्दाजा लगाना और फिर इस लोकप्रिय शासन के विरुद्ध बात कहना अपने को धोखा देना है। कहीं असफलता न हो, इस ओर मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्रीमन्, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि जिन परिस्थितियों में माननीय मंत्री जी ने इस विभाग का संचालन किया वह तारीफ के काबिल तो जरूर है, लेकिन यदि हम इस पर विचार करके चलें कि हम सफलता के नजदीक पहुंच गये तो मेरा खयाल है कि यह गलत आत्म संतोष होगा और न केवल अपने को धोखा देना होगा बल्कि इस स्टेट को भी धोका देना होगा। मेरी तो मान्यता रही है कि महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुंच गयी है और कभी-कभी तो मैं ऐसा भी सोचता हूं और सामान्य विवाद में मैंने बयान भी किया था कि यह गांधी जी के सिद्धांतों को मानने वाली जनता है वरना यहां पर इस महंगाई में तो जनता को विद्रोह कर देना चाहिये था। बावजूद इसके श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार इस विभाग को

[श्री ताराचन्द माहेश्वरी]

पूरे तौर पर अपना नहीं रही है। जैसा कि माननीय गोबिन्दसिंह जी ने कहा, इस विभाग को किसी मिनिस्टर के तहत में न रख कर स्टेट मिनिस्ट्री के लेबिल पर रखने को हम यह महसूस करते हैं कि सरकार जनता को यह दिखाना चाहती है कि सरकार के लिये इस विभाग का उतना महत्व नहीं है जितना जनता समझती है। इस बात को मानना चाहिये।

इसी के साथ-साथ मैं एक बात पर और जोर देना चाहता हूं। इस विभाग के अन्तर्गत जितने कर्मचारी हैं उनमें बहुत से सन् ४३ से, लगभग १५ वर्ष हो गये, आज तक अस्थायी चले आ रहे हैं। इसकी तफसील में तो नहीं जाऊंगा वरना मेरे पास इस बात के आंकड़े हैं कि कितने जिला सप्लाई आफिसर्स, कितने इंसपैक्टर्स और कितने रेंट कंट्रोलर्स इत्यादि अपनी जगहों पर आज वर्षों से अस्थायी चले आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि अन्न ऐसे महत्वपूर्ण विभाग क जो कर्मचारी उसको संचालित करते हैं उनकी सरविसेज को अगर आप स्थायित्व नहीं देते तो वे यह समझते हैं कि किसी भी वे दिन निकाले जा सकते हैं और फिर उनका इरादा होता है कि वे इस विभाग के द्वारा जितना अधिक से अधिक रुपया इकट्ठा कर सकें करें उसका सीधा असर उपभोक्ताओं और उत्पादकों पर पड़ता है। तो मेरा खयाल है कि जहां और विभागों के कर्मचारियों को इस सरकार ने निश्चिन्तता दिलाई है वहां इस विभाग में भी अस्थायी पदों को स्थायी करने की कृपा करें।

दूसरी तरफ, वितरण की व्यवस्था बड़ी दोषपूर्ण है और स्टाक करने की व्यवस्था पर हम और आप सब जोर दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि इतना स्टाक करेंगे, यह करेंगे और वह करेंगे। ठीक है, स्टाक करना चीजों का बहुत मानी नहीं रखता। हम तौलते हैं कि आप उन चीजों का वितरण कैसे करते हैं और यदि सही मानों में वितरण नहीं करते तो स्टाक की हुई चीजों का दुरुपयोग होता है और उससे उपभोक्ताओं को भी फायदा नहीं पहुंचता और न उत्पादकों को फायदा पहुंचता है, मैं माननीय मंत्री का ध्यान बहुत नम्रतापूर्वक इस ओर ले जाना चाहता हूं कि जिस वक्त उन्होंने मंजूर किया था और यह एलान किया था कि डेढ़ सौ रुपये की आमदनी वालेसब आपकी दूकानों से गल्ला ले सकते हैं उसके बाद ही आपने यह भी एलान कर दिया कि २५० रुपये तक आमदनी वालों को भी आप गल्ला इन दूकानों से देंगे। तो मैं नम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि क्या १५० रुपये की आमदनी वाले सब लोगों को सस्ते गल्ले की दूकानों से गल्ला मिलने लग गया? यदि नहीं मिलने लगा तो क्या आवश्यकता थी कि नयी जिम्मेदारी आपने अपने सिर पर ओढ़ ली। यह सही है कि आपने यह कहा कि हमने यह किया और हमने वह किया, लेकिन श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री का ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि हमें चाहिये कि अपने ऊपर जिम्मेदारी बढ़ाने के बजाय यह देखें कि जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है उसके ऊपर सही मानों में अमल हुआ या नहीं। इस पर गौर करें तो हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। जो इस प्रदेश के १५० रुपये से कम आमदनी वाले थे अगर उन सब को सस्ते गल्ले की दूकानों से गल्ला मिलने लगाता तो फिर २५० रुपये वालों के लिये एलान करने की आवश्यकता नहीं थी और मार्केट अपने आप ही डल हो जाता। लेकिन उसी चीज को हासिल करने के लिये हम प्रेस कान्फ्रेंसेज करते हैं, लेकिन प्रेस कान्फ्रेंसों से हम समस्या का निराकरण नहीं कर सकते। आप जो इस प्रकार जाकर प्रेसों में बयान दे देते हैं तो आप उन व्यापारियों को स्टाक करने का प्रोत्साहन देते चले जाते हैं और अपनी उन नीतियों को उन पर जाहिर करते चले जाते हैं जिनके जानने के लिये वह यहां से लेकर दिल्ली तक चक्कर लगाता है। मेरी नम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि जो फूड मिनिस्टर हैं उन्हें इन तमाम दिखावों से अपने को बचाना चाहिये और सख्ती से, जिस चीज के ऊपर हम मुनासिब समझते हैं, उस पर अमल करने के लिये कोशिश करनी चाहिये।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। जब धान की फसल बाजार में आने वाली थी तो आप ने एलान किया कि हम धान की खरीद करेंगे। इसका असर यह होता है कि बाजार में गेहूं का भाव और तेज हो जाता है और धान का आना बन्द हो जाता है। आप देखें कि एक नया अनाज खाने के लिये तैयार है,

उसके पहले गेहूं का भाव १ सेर १० छटांक या १ सेर १२ छटांक का है और जब एक नयी फसल आने वाली है तो उसका भाव १ सेर ४ छटांक या १ सेर ६ छटांक हो जाता है। तो ठंढे दिल से हमें सोचना चाहिये कि क्या नीति निर्धारण में कोई बुनियादी गलती तो नहीं है। और अगर है, तो इस पिटी-पिटाई बात को बार-बार न कहिये कि ब्लैक मार्केटियर ने माल को रोक रखा है। मैं नम्रतापूर्वक कहता हुं कि पाकिस्तान के ऐसे नारे लगाने से काम चलने वाला नहीं है कि जब-जब पाकिस्तान में गड़बड़ी हो तब-तब पाकिस्तान के नेता हिन्दुस्तान का हौवा दिखा दें और सही स्थिति से जनता का ध्यान हटा दें। यह कोई मुनासिब बात नहीं है। यह नारा सुनते-सुनते तो मेरे कान पक गये कि ब्लैक मार्केटियर ने माल को दबा लिया है। ब्लैक-मार्केटियर ने यदि माल को दबा लिया है तो यह आप को इसलिये कहना वाजिब नहीं है कि वह आपकी असफलता है। आप क्यों नहीं उसके पास से माल को निकाल पाते जबकि सारी मशीनरी आप के पास है? मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि माल की होर्डिंग करने की शिकायत इस दस साल के कांग्रेसी शासन में गांव-गांव में फैल गयी है और यदि हम औसत लगायें कि एक गांव में एक आदमी की इतनी क्रय शक्ति बढ़ गयी है कि वह १०० मन पक्का गल्ला रोक सकता है तो फिर आप अन्दाजा लगाइये कि इस प्रदेश में कितने गांव हैं और उन गांवों में कितना अनाज रुका पड़ा है।

एक बात मैं और कह दूं कि हमारे इधर और उधर, दोनों तरफ के भाइयों में वोट का बड़ा जबर्दस्त लालच है। इसलिये जहां गल्ला है वहां हम हाथ नहीं डालना चाहते क्योंकि हमें वोट चले जाने का भय है लिहाजा हम खाली कोठों में टटोलते हैं कि गल्ला कहां है। स्वयं यहां मंडियों में १०–१५ फीसदी गल्ला अब भी रुका हुआ है। आपका एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है जिसके पास १५ रोजा या हफ्तेवार रिपोर्ट आती है। उसके आधार पर आप को मालूम हो सकता है कि किसके पास कितना गल्ला है और आप बड़ी आसानी से उसको निकाल सकते हैं। लेकिन आप तो आतंक पैदा कर के गल्ला निकलवाना चाहते हैं और आप की उस आतंकवादी नीति का नतीजा यह होता है कि व्यापारी किसान के बीच में प्रोपेगेंडा करता है और अनाज बाजार में आना बन्द हो जाता है और जब हाय तोबा मचती है तो फिर आप वही नारा लगाते हैं कि ब्लैक मार्केटियर ने माल दबा लिया है। लेकिन यह समस्या का हल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---आपका समय समाप्त।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या कहूं, खुशकिस्मती या बदकिस्मती कि माननीय ताराचन्दजी के बाद ही मुझे बोलने का अवसर मिला है। अभी हमारे साथी माननीय ताराचन्दजी ने माननीय गोविन्द सिंह जी के भाषण के ऊपर एक चिड़िया की मिसाल दी। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि देहात में प्रचलित एक किस्सा है कि एक नाई के पास एक गाय थी। राजा ने जब उससे पूछा कि आजकल दुनियां में लोग क्या खाते हैं तो उस नाई ने कहा कि हुजूर आजकल सब दूध-भात खाते हैं। जब वह गाय उस नाई से छिन गयी तब राजा ने पूछा कि आजकल लोग क्या खाते हैं तो उसने कहा कि हुजूर आजकल तो सब भूखों मर रहे हैं। आज हमारे माननीय सदस्य ने बिल्कुल वही कहावत चरितार्थ कर दी।

उन्होंने ब्लैकमार्केटिंग का जिक्र किया और यह भी कहा कि आज बड़े-बड़े दूकानदारों की यह शक्ति नहीं रह गयी कि वे किसी प्रकार गल्ले को रोक सकें, श्रीमन्, मैं बहुत अदब के साथ आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा। मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा हूं मगर माननीय सदस्य सीतापुर में जहां जाकर ठहरते हैं और जिनके साथ बैठ कर चाय पीते हैं और जिनके पैसे से वह राजनीति चलाते हैं, आज से चार महीने पहले जब मैं गिरफ्तार होने लगा था तो मैंने कहा था कि इस कोठी में ४० हजार मन गल्ला भरा हुआ है, और श्रीमन्, मेरी इस प्रार्थना

[डाक्टर अवधेश कुमार सिनहा]

पर जिलाधीश ने उस कोठी की तलाशी तक नहीं ली। एक मर्तबा यह भी गवारा नहीं किया कि उस कोठी के मालिक से पूछ तो लेते कि गल्ला भरा है या नहीं।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात डाक्टर साहब ने कही गो कि उसका संबंध इससे नहीं है, लेकिन आज भी मैं चैलेन्ज करने के लिये तैयार हूं कि इस तरह की गलत बात कहने से सत्यता छिप नहीं सकती। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच करा ली जाय कि कितना गल्ला रखा था।

श्री उपाध्यक्ष--मैं समझता हूं कि व्यक्तिगत न कहकर आप आम व्यापारियों के लिये कहें।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा--श्रीमन्, मैं व्यापारी के लिये ही कह रहा हूं, यदि वह व्यक्तिगत समझें तो यह उनकी गलती है। एक बात की बड़ी आपत्ति उधर के सदस्यों ने की है कि किसी माननीय सदस्य ने इधर से कह दिया कि मंत्री जी के बिरादरी के लोगों को ही दूकानें मिलती होंगी। मंत्री जी ने आक्षेप किया। इसके बाद एक महानुभाव बोले उन्होंने भी आक्षेप किया। लेकिन मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के आका पंडित जवाहरलाल जी नेहरू हमेशा इस बात को कहते हैं जब वह किसी सभा में आते हैं "बिरादराने वतन"। क्या जितने लोग वहां होते हैं वह सब नेहरू जी के फेमिली के होते हैं या उनके रिश्तेदार होते हैं? अगर किसी शख्स ने कहा है कि यह दुकानें माननीय मंत्री जी के बिरादरी के लोगों को दी गई हैं तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माना वह आपके खून के बिरादरी के लोग न हों, माना कि वह घर के रिश्तेदार न हों, लेकिन मैं कह सकता हूं कि मेरे सीतापुर जिले के क्षेत्र में जो ५४ मील लम्बा है। उसमें केवल दो गल्ले की दूकानें हैं और वह कांग्रेस के उन आदमियों को दी गई हैं जो चुनाव के जमाने में पैसे से और शारीरिक परिश्रम से उनका साथ देते हैं। इन्कार करें माननीय ताराचन्द जी। माना कि कहने के लिये वह बड़े आदर्श की बात कह सकते हैं, लेकिन जरा अपने गरेबां को खोल कर देखें कि उनके गरेबां में वोट के नाम पर कितने धब्बे लगे हुये हैं। मैं आपके द्वारा हर माननीय सदस्य से अपील करूंगा।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी--माननीय उपाध्यक्ष महोदय. . .

श्री उपाध्यक्ष--मैं बार-बार इस तरह से आपको बोलने की इजाजत नहीं दूंगा। कोई आक्षेप की बात नहीं है।

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा--माननीय मंत्री जी से और सदन के सभी सदस्यों से मैं विनय करूंगा कि हमारे क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित कांग्रेस के नेता हैं जिनको गल्ले की दुकान मिली है। लोग देख लें कि उसमें आधे से अधिक खाद्यान्न ऐसा है बल्कि आधे से ज्यादा हिस्सा ऐसा है जिसे आदमी खा नहीं सकते हैं। यही गल्ला वहां खुले आम बिक रहा है। मैंने जिलाधीश को रिपोर्ट की। उन्होंने सप्लाई आफिसर को भेजी। उन्होंने मुझे लिखित जवाब भेजा कि जो गल्ला बेचा जाता है वही सरकार से मिलता है। मैं आप से कहूं, क्या यह बिरादराने परवरिश मंत्री जी की नहीं है कि जो लोग कांग्रेस के हैं आज उनको छांट कर के जिले के अन्दर दूकानें दी जा रही हैं?

मैं बहुत अदब के साथ कहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने अपने हाथ से अपनी पीठ पर कई बार इस बात की थपकियां दी हैं कि उनका उत्पादन बढ़ा है। श्रीमन, जब मैं यह माननीय मंत्री जी के मुखारविन्द से सुनता हूं तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है। कैसे उत्पादन बढ़ा है? तहसीलदार एक किसान के पास जाता है और कहता है कि दो बीघे जापानी धान बो दो। उनके कहने से वह किसान दो बीघे जापानी धान बो देता है। कानूनगो उसी किसान से कहता है कि दो बीघे जापानी धान बो दो। बी० डी० ओ० भी उसी किसान से कहता है कि दो बीघे जापानी धान बो दो। उसने दो बीघे जापानी धान बोया। तहसीलदार ने माननीय मंत्री जी के पास लिख दिया कि दो बीघे जापानी धान हमने बोवाया। कानूनगो ने लिख दिया कि दो

बीघे जापानी धान हमने बोवाया। बी० डी० ओ० ने लिख दिया कि दो बीघे जापानी धान हमने बोवाया, ऐग्रीकल्चरल आफिसर ने लिख दिया कि दो बीघे जापानी धान हमने बोवाया। धान केवल दो बीघे बोया गया और पांच अफसरों ने पांच तरीकों से रिपोर्ट भेजी। माननीय मंत्री जी को अभिमान होने लगा और माननीय मंत्री जी को आंकड़े मिले सीतापुर की तहसील मिश्रिख में फलां काश्तकार के यहां फलां गांव में दस बीघे जापानी धान बोया गया है। माननीय मंत्री जी समझने लगे कि हमारा उत्पादन बढ़ गया है।

अभी आंख की देखी हुई बात है, सात-आठ दिन की बात है, दस पांच कांग्रेसी मौजूद थे और कुछ प्रतिष्ठित लोग भी मौजूद थे। कृषि के एक अच्छे अधिकारी गांव में आये। एक तालाब में घास लगी हुई थी। तालाब के पास कृषि अधिकारी जाकर बड़े जोर से चिल्लाये कि अब की से उड़द बहुत अच्छा हुआ है। जब किसानों ने कहा कि उड़द नहीं है यह कुम्भी है तो कहने लगे कि कुम्भी क्या ऐसी ही हुआ करती है? यह उत्पादन है जिसके ऊपर माननीय मंत्री जी के आंकड़े मुनहसर हैं।

श्रीमन्, मैंने जो आप से निवेदन किया कि सप्लाई आफिसर ने मेरी दरख्वास्त पर जो मुझे जवाब दिया उसका केवल एक ही कारण है कि सप्लाई आफिसर अपनी जगह पर जानता है कि अगर कांग्रेस को या जिलाधीश को हमने नाखुश कर दिया तो हमारी अस्थायी नौकरी छूट जायगी और जिले के अन्दर जो सप्लाई आफिसर्स हैं उनकी नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है। वह यह समझते हैं कि किसी वक्त भी वे हटाये जा सकते हैं। इसलिये हमें वह रिपोर्ट देनी है जो जिलाधीश या उधर के माननीय सदस्य चाहते हैं।

मैं एक आखिरी निवेदन कर के बैठूंगा। वह यह कि अगर माननीय मंत्री जी वाकई यह चाहते हैं और मुझे उनकी नीयत पर किसी प्रकार का संदेह नहीं है, वह चाहते हैं कि हमारे सूबे की खाद्य स्थिति अच्छी हो तो उनके सामने मैं एक ही सुझाव रखना चाहूंगा कि एक सेर में एक आने से ज्यादा कोई मुनाफा गल्ले के ऊपर न ले सके। जैसे चार आने सेर में फसल के जमाने में किसान से गल्ला खरीदा जाय तो साल के किसी हिस्से में चाहे उसे किसान खरीदें चाहे शहर के बाबू खरीदें पांच आने सेर से ज्यादा किसी भी आदमी को दाम न देने पड़ें। माननीय मंत्री जी अगर यह भुला दें कि एक यह विरोधी की राय है और निस्पक्ष हो कर विचार करें तो मैं कहूंगा कि अगर एक साल इसका एक्सपेरीमेंट करेंगे तो शायद उन्हें ज्यादा सफलता मिलेगी।

श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---मान्यवर, अभी दोनों पक्षों से ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर दलगत राजनीति के आधार पर जो बहस हो रही थी मुझे ऐसा लगा कि मुख्य समस्या पर उससे पर्याप्त प्रकाश नहीं पड़ सका है। इसलिये मैं चाहता हूं कि कुछ छोटे-मोटे सुझाव दूं ताकि इस समस्या पर प्रकाश पड़े। खाद्य समस्या मानव जीवन की समस्या है उस पर हमें भलीभांति विचार करना चाहिए। खाद्य मंत्री जी को इस बात के लिये अवश्य बधाई देना चाहता हूं कि पार साल के आंकड़े और इस साल के आंकड़े देखे जायं तो २४ करोड़ गत वर्ष का अनुदान है और इस वर्ष उन्होंने ३८, ३९ करोड़ के करीब रुपया रखा है। इससे ऐसा लगता है कि क्रमशः एक ऐसी दिशा की ओर हम जा रहे हैं जिसमें मानव जीवन की जो मुख्य वस्तुयें हैं उनकी तरफ प्रशासन का ध्यान है।

गत वर्ष माननीय अशोक मेहता ने अपनी फूड ग्रेन्स एन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में पूर्वी जिलों, पहाड़ी जिलों और जो अभावग्रस्त जिले हैं उन सब का सर्वेक्षण कर के एक रिपोर्ट लिखी और उसमें उन्होंने इस समस्या को बहुत विस्तृत ढंग से बताया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले या अभावग्रस्त जिले जो हैं वहां आबादी का बढ़ना देखते हुये---एक हजार आदमी प्रति वर्गमील पर बलिया में हैं और नौ साढ़े नौ सौ और जगह बसते हैं, अभावग्रस्त जिलों में सिंचाई के साधनों के बारे में बताया और साथ ही साथ सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश की

[श्री दीपनारायणमणि त्रिपाठी]

सारी खाद्य समस्या का पूरा विवरण देखें तो अगर साधारण स्थिति रहे और कोई बाढ़ वगैरह न आये तो खाद्यान्न जो इस प्रदेश में होता है वह पूरा चलेगा और जहां कहीं कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हुई तो उससे साधारण स्थिति में अस्तव्यस्तता आ जाती है। इसलिए उन्होंने सुझाव दिया था स्थायी खाद्य व्यवस्था (permanent food administration) का कि पन्द्रह बीस साल तक जब तक कि हम खाद्यान्न की कमी को दूर करके अपने उत्पादन से उसे भरपूर न कर लें, जब तक हमारी योजना चल रही है तब तक के लिए यह खाद्य विभाग स्थायित्व प्राप्ति करे।

सन् १९५०-५१ में जो स्टाफ रह गया था राशनिंग का उसके बचे हुये थोड़े से लोगों से काम लेने से कहीं सामान पहुंच पाता है कहीं नहीं पहुंच पाता है, कहीं लेट पहुंचता है। इस तरह ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती। इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि माननीय मन्त्री जी अपने विभाग को स्थायित्व देने की कृपा करें और प्रशासन से यह आग्रह करें कि पन्द्रह-बीस साल के लिये जब तक कि हमारे खाद्यान्नों में स्वायित्व न आ जाय तब तक जैसे २४ करोड़ से ३९ करोड़ रुपया उन्होंने किया है वैसे ही और भी पैसे बढ़ा कर इस खाद्य समस्या का ठीक ढंग से हल निकालने की व्यवस्था करें। खाद्य की समस्या और अन्न के उत्पादन की समस्या मिली-जुली है। कृषि मन्त्री के साथ इसका भी मेल होना चाहिए। यानी कृषि और खाद्य विभाग को मिलाकर चलाया जाय तो अधिक धन मिल सकेगा और उससे हम इस समस्या को हल कर सकेंगे।

इतना ही नहीं, वितरण के सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा गया। मैं ज्यादा इस सम्बन्ध में कहना नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश का मनुष्य जहां कहीं भी रहा हो वह अन्न खाता है, उसको अन्न दिया गया, यह कहा गया। हमारे भाई सीतापुर के जो बोले उन्होंने कहा कि खाद्य समितियां बनी हुई हैं, वह सलाह-मशविरा देती है। जितनी आवश्यकता होती है उसके अनुसार वह परामर्श देती हैं और उनकी राय से दूकानें खोली जाती हैं। हमारे साथी देवरिया के जो हैं वह देवरिया की बात तो करते नहीं। वह तो उत्तर प्रदेश के नेता हैं। देवरिया की तरफ उनका ध्यान रहता नहीं। मैंने कई मीटिंग्स में कहा, जिस समिति में गेंदा सिंह जी के क्षेत्र के कई आदमी आये, मैंने कई दूकानें वहां के लिये दिलवायीं। इसलिए इस तरह की शिकायत से समस्या हल नहीं होगी।

दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि हमारे यहां गन्ने की खेती बहुत होती है, पांच-सात जिलों में गन्ना बहुत पैदा किया जाता है। कभी-कभी सुझाव आते हैं गन्ने का बहुत उत्पादन होता है इसलिये अन्न की तुम्हारे यहां कमी है। १९३० के टैरिफ बोर्ड ने गन्ने के मसले पर विचार किया था और उसने कहा कि अगर गन्ने के साथ-साथ उन्हीं खेतों में बाई प्रोडक्ट पैदा करें तो खाद्यान्न की कमी दूर हो सकती है। अगर गन्ने के साथ-साथ हम खाद्यान्न उन्हीं खेतों में पैदा कर सकें तो हमारी खाद्यान्न की समस्या हल हो सकती है। सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अगर इस तरफ प्रयास किया जाय तो अच्छा होगा। इसका प्रचार होना चाहिये।

श्रीमन्, एक और सुझाव मैं देना चाहता हूं। वह यह है कि बजट साहित्य के भाग ४, पेज ४४५ पर क्रिस्टल शुगर के बारे में कोई पैसा नहीं दिया हुआ है। तो श्रीमन्, मैं यह चाहूंगा कि जहां क्रिस्टल शुगर का हेड हैं वहां दो-एक करोड़ रुपया प्रयोग के रूप में रखा गया होता तो इससे हमारी समस्या बहुत हल हो जाती और इससे उधर के जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें दुकानें खोलने की जरूरत कम हो जाती।

स्टेट ट्रेडिंग का नक्शा ऐसा है कि यह समझ में किसी के साफ नहीं है। माननीय जवाहर लाल जी आये थे तो उन्होंने कहा कि हम बड़े-बड़े दुकानदारों को लाइसेन्स दे देंगे। अशोक मेहता इन्क्वायरी कमेटी ने कहा है कि दस, पन्द्रह गांव को मिलाकर एक कोआपरेटिव सोसाइटी होगी वह जो गल्ला अधिक होगा उसे अपने पास रख लेगी। अगर १५, २० गांवों की सहकारी समिति बन जाय और वह गल्ला संग्रह करे तो अच्छा होगा। अगर ऐसा होता है तो जो मिडिल मैन है वह खत्म हो जायगा और फायदा किसानों का होगा।

श्री उपाध्यक्ष-- शोर बहुत हो रहा है। माननीय सदस्य ज्यादा बात न करें।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी---अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट जो है उसके अनुसार चलने से प्राइस भी ठीक रहेगी। सर्विस कोआपरेटिव की आवश्यकता है। क्रय-विक्रय दोनों का केन्द्र बनाये और भंडार का निर्माण करें। वेयर हाउसेज जो इस सदन ने पास किया है उसको कार्यान्वित करें। श्रीमन्, उधर से चर्चा की गई कि उनकी चादर में बहुत-सी छीटें हैं। तो मैं तो उसकी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उधर के लोगों को देखा जाय तो हजारों और अनगिनती छीटें हैं। इसलिये मैं पुनः सुझाव देना चाहता हूं कि ३८,३९ करोड़ का जो हमारा बजट है उससे फूडग्रेन्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सहकारी समितियों का निर्माण भाव हो या न हो वेयर हाउसेज चलाकर किसानों को उचित मूल्य दिलाया जाय। गन्ने का जो एरिया है वहां इन्टेन्सिव और रोटेशन के जरिए वह फसल उस गांव के खेत में पैदा हो सके तो उस से किसानों को लाभ हो सकेगा। इस शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री चन्द्रजीत यादव---उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राजकीय व्यापार के सम्बन्ध में सरकार की जिन कमजोरियों की तरफ मैंने प्रारम्भ में ही सदन का ध्यान आकर्षित किया था उनको मेरे चन्द जनसंघ के दोस्तों को छोड़ कर सभी ने समर्थन किया है। जनसंघ का सिद्धांततः विरोध है राजकीय व्यापार से और उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। लेकिन आज यह युग की मांग है और अब तक के अनुभव और तजुर्बे ने सरकार को इस बात के लिये मजबूर किया है कि जिस बात की उपेक्षा सरकार इतने दिनों तक करती रही वह उसको माने और कम से कम उसने सिद्धांततः मान लिया है कि स्टेट ट्रेडिंग हो इसलिये उसके इस नये कदम का स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे मंत्री जी जो इस बात के इच्छुक रहते हैं कि लोगों की राय मशविरा लें और सुझावों पर अमल करें, वह हमारे इन सुझावों पर अमल करेंगे।

मैं अन्त में दो, तीन सुझाव और देना चाहता हूं। पहला तो यह कि मंत्री जी को हर फसल के पकने के पहले ही, या बोने के पहले ही न्यूनतम मूल्य की घोषणा सरकारी की ओर से कर देनी चाहिये ताकि किसानों को इस बात का विश्वास रहे कि वह जो गल्ला पैदा करेंगे उसकी एक निश्चित कीमत उनको हर हालत में मिलेगी तब यह नीति उत्पादन को बढ़ाने में बहुत हद तक सहायक होगी। जब सरकार इस प्रकार की नीति अपनायेगी तो उससे मिला हुआ यह प्रश्न है कि इस के लिये सरकार को एक प्राइस फिक्सेशन बोर्ड बनाना पड़ेगा। एक ऐसा बोर्ड बने कि जो हर साल किसानों की मेहनत, खर्च, समय और उत्पादन को देख कर और उन सब फैक्टरों पर विचार करके जो इस सिलसिले में ध्यान देने योग्य हैं, गल्ले की कीमत निश्चित कर दे जो उस साल के लिये उचित कीमत हो। उस बोर्ड में जो हमारे कृषि विशेषज्ञ हों, वे रहें, जनता के प्रतिनिधि रहें, किसानों के प्रतिनिधि रहें, व्यापारियों के जो छोटे मोटे काम करेंगे उनके प्रतिनिधि रहें, ये सब उसमें रह सकते हैं ताकि किसान को सही कीमत मिलें। इससे सरकार को भी सहूलियत होगी और किसान को भी फायदा होगा।

दूसरी बात यह है कि सरकार जब ऐसा कदम उठाये कि जिसका सम्बन्ध जनता के एक बड़े भाग से हो तो उसमें आवश्यकता इस बात की होती है कि जनता की कमेटियां बनें और निकट सहयोग सरकार को हासिल करना चाहिये। ऐसी दशा में अगर सरकार जनसहयोग हासिल नहीं करेगी तो इस बात की संभावना है कि सरकार की यह मंशा और लक्ष्य होते हुए भी कि जनता का और किसानों का लाभ हो वह वास्तविकता से अपरिचित रहे और जनता को लाभ के बजाय हानि पहुंचे, इसलिये हर स्तर पर सरकार को जनता की कमेटियां बनानी चाहिये। लकिन मैं यह गुजारिश करूंगा कि वह कमेटियां आल–पार्टीज–फूड कमेटी की तरह नहीं होनी चाहिये। सरकार उन कमेटियों की बात को सुन कर उनकी सिपारिशों को रद्दी की टोकरी में न डाल दें। अगर ऐसा होगा तो उन कमेटियों का बनाना या न बनाना, बराबर है। इसलिये

[श्री चन्द्रजीत यादव]

अगर सरकार कमेटी बनाती है तो उसका सहयोग ले और उसकी राय और मशविरे पर ध्यान दें।

इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि सरकार ने सहकारी समितियां बनाने का जो निश्चय किया है उसका सब ने स्वागत किया है। अगर सरकार का यही इरादा है तो उसे गल्ले के व्यापार में भी इन सहकारी समितियों का सहयोग हासिल करना चाहिये और ऐसी सहकारी समितियां जो अच्छे ढंग से अपना कार्य सम्पादन करती हैं, उनके द्वारा उसे गल्ले का खरीदना और बेचना प्रारम्भ कराना चाहिये। लेकिन मैं इस राय का नहीं हूं कि जबतक सहकारी समितियां नहीं हैं तबतक इसको पोस्तपोन कर दिया जाय। इस राय का मैं नहीं हूं। इस काम को सरकार को करना चाहिये और इस बीच में जो अच्छी सहकारी समितियां बनती हैं उनका भी सहयोग लेना चाहिये। इन सुझावों के साथ में आशा करता हूं कि मंत्रीजी इसी आधार पर अपनी नीति निर्धारित करेंगे।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---उपाध्यक्ष महोदय, पूर्व इसके कि मैं जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं उन पर अपने विचार प्रस्तुत करूं, मैं सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बड़े अमूल्य सुझाव दिये और उनसे हम लाभ उठाने की चेष्टा करेंगे। मेरी बदकिस्मती यह है कि अबतक कृषि का अनुदान आया तो, कोआपरेटिव का आया तो और इर्रीगेशन का आया तो, अखबार वालों को यही सूझा कि "फूड पालिसी अण्डर फायर" और आज फूड का भी अनुदान है, लेकिन मुझे खुशी है कि आज फायर में नहीं था बल्कि आज सब तरफ से सपोर्ट मिली और प्रशंसा हुई। इसके लिये मैं सभी सदस्यों का आभारी हूं और जहांतक रीजिनेबिल सुझाव होंगे उनको हम अपनायेंगे। मैं सदस्यों से एक बात कह दूं कि किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करना सरल होता है मगर उसको अमल में लाने में जो कठिनाइयां होती हैं उससे शायद जब कभी उन्हें अवसर मिलेगा तो उसका अनुभव वे स्वयं कर लेंगे....

एक सदस्य---यह जल्दी ही होगा।

श्री जगमोहनसिंह नेगी---जिनकी इच्छा है उनको तो मिलता नहीं। यह चीज ऐसी है कि जो इसके पीछे नहीं चलता उसी को मिलती है।

तो सबसे पहले मैं गेंदासिंह जी से प्रारम्भ करूंगा क्योंकि उन्हें इस विषय पर दिलचस्पी भी है और उनके सुझाव भी बहुत माकूल थे। उन्होंने मुझसे ही यह प्रश्न पूछा कि हमारे पास आंकड़े भी हैं कि हमारे प्रदेश की क्या आवश्यकता है और उनकी पूर्ति के लिये हमने क्या उपाय ढूंढा है। तो जहांतक आंकड़े का सम्बन्ध है, सभी चीजें आंकड़ों से ही सिद्ध की जा सकती हैं, लेकिन शायद आंकड़ों में उनको विश्वास नहीं है तो मेरी भी लाचारी है। मैं यह नहीं कह सकता कि उनका मत गलत है, हो सकता है कि ठीक हो, मगर जबतक आंकड़े हैं उन्हीं को मानना होगा। पहले यह कहा जाता था कि हमारे प्रदेश का उत्पादन १० मिलियन टन है और वह प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर उस टार्गेट को पूरा करके साढ़े १२ मिलियन टन हो गया। तो इस पर मैंने हिसाब लगाकर देखा। सारे देश की बात मैं नहीं कहूंगा क्योंकि वह न हमारे दायरे में ही है और न उस पर चर्चा इस सदन में करना अच्छा ही होगा कि साढ़े १२ मिलियन टन पर भी ६ छटांक के लगभग अन्न एक व्यक्ति के लिये यहां मयस्सर है। उसके साथ में कुछ और जोड़ लीजिये जैसे सब्जी, कन्दमूल, फल, दूध, अन्डे वगैरह, तब सम्भव है कि १०-१२ छटांक तक जाय। हो सकता है कि इसको नार्मल टाइम में पर्याप्त समझा जाय जबकि उत्पादन ठीक हो, लेकिन जब नार्मल टाइम में भी १४ परसेन्ट की कमी हो गई सिर्फ उत्पादन में और ५ परसेन्ट की जमीन में कमी हो गई और हो सकता है कि आगे चलकर जूट में अच्छी खासी आमदनी हो या गन्ने का दाम एक रुपया १२ आना हो जाय तो और लोग प्रोत्साहित हों उसके लिये, तो और भी इसका एकरेज गिर सकता है। लेकिन जबतक हमारा उत्पादन १८ मिलियन टन तक नहीं बढ़ जायगा तबतक सेफ प्लेन पर, सुरक्षित अवस्था में हम अपने आप को नहीं पा सकते हैं। इस प्रदेश के अन्दर।

अब उत्पादन बढ़ाने के लिये खेती का विस्तार भी नहीं किया जा सकता क्योंकि गन्ने को भी पैदा करना है। माननीय सदस्य हर ग्रांट में कहते हैं कि गन्ने की कीमतें बढ़ा दो, जूट की बढ़ा दो और अरहर की दाल की बात आवेगी तो शायद उसके लिये भी कहेंगे। मांग तो सभी की यही होती है। मगर सिद्धांततः प्रतिपादन करना और अमल में लाना बड़ा कठिन होता है। इसके लिये क्राप प्लानिंग करना होगा और इंटेंसिव कल्टीवेशन करना होगा ताकि किसी चीज की पैदावार घट न जाय।

एक हमारे मित्र कह रहे थे कि दो बीघा जापानी धान की खेती के लिये तहसीलदार ने जो लिखा वही फलांने ने और ढिकाने ने भी लिख दिया। यदि हमारा नैतिक स्तर इतना नीचा है तो हम स्टेट ट्रेडिंग किस बल पर करेंगे? इसलिये हमें सोचना पड़ता है कि हमारा नैतिक स्तर कितना गिरा हुआ है और उसी के मुताबिक हमें कदम उठाने पड़ेंगे। हमें नारों में आकर, भावुकता में आकर, देश को नरक में नहीं डाल देना है। हम भले ही धीरे-धीरे करें, मगर मजबूती के साथ करेंगे। यह भी उन्होंने कहा कि किसी खेती के कर्मचारी ने कुमरी को उड़द बता दिया, इसमें सरकार का क्या दोष है? जितने बच्चे हम सभी के होते हैं वही ऐसा पढ़ लिख कर आते हैं तो इसमें सरकार क्या करें? ईमानदारी का तकाजा यह है कि इस खराबी की जिम्मेदारी में और इसका सुधार करने में सबको बराबर शरीक होना चाहिये।

कुंवर श्रीपाल सिंह जी का मैं बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने अच्छी आलोचना की। उसका मैं स्वागत करता हूं। उससे हमें रास्ता मिलता है। उन्होंने ठीक कहा कि जब तक कृषकों को उसका ठीक मूल्य नहीं मिलेगा, उसे अन्न उत्पादन में प्रोत्साहन कैसे मिलेगा। उसके लिये वही बात माननीय चन्द्रजीत जी ने भी कही कि सालभर पहले उनकी कीमतों को निर्धारित कर दिया जाय। यह बात बहुत अच्छी है। मगर हमारी भी कुछ कठिनाइयां हैं। बहुत सी बातें हुआ करती हैं जिन्हें इच्छा होते हुये भी मनुष्य नहीं कर सकता। यदि ऐसा करना प्रदेशीय सरकार के हाथ में होता तो मैं आज ही कर देता और यह भी कर देता कि किसानों को जो अन्य वस्तुएं लेनी होती है, वह भी उनको उचित मूल्य में मिलें। लेकिन यह कीमतों का निर्धारण करना केन्द्रीय सरकार के हाथ में है और उनको अपना सुझाव देते रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि जब तक मैं इस कार्य को कर रहा हूं उस समय तक मैं केन्द्रीय सरकार के सामने आप लोगों की उचित मांगों को रखता रहूंगा।

आज तो बदकिस्मती है कि चावल का भाव हमेशा गेहूं के भाव से तेज रहता था, लेकिन आज चावल का भाव सस्ता है। मेरे एक दोस्त कह रहे थे कि मैंने कहा कि शहरों में होर्डिंग है। अगर आप मेरे मुंह में इस बात को रखते हैं तो मैं कहता हूं शहरों में होर्डिंग अब नहीं है। अगर होता तो हम रिक्जीशन करते और वह किया भी है। होर्डिंग देहातों में है और बड़ी होशियारी से रखा है। हमको एक अक्ल बतायी गयी कि हमको वक्तव्य नहीं देने चाहिये थे। मगर ट्रेडर्स हम से ज्यादा अक्लमंद बनते हैं और वह बड़े-बड़े अक्ल वालों से सलाह लेते हैं। दूसरी तरफ यह प्रेस वाले हैं जो दिल्ली, लखनऊ जा जाकर पता लगाते हैं कि क्या बात है। अगर वे पूछते हैं और हमने कह दिया कि हम १५०रुपये के बजाय २५० रुपया वालों को भी गल्ला देने जा रहे हैं, जो घर में गल्ला बंद करके रखेगा उसको जप्त किया जायगा। अब बताइये इसमें छिपाने की कौन-सी बात है? इसको छिपा कर रखा भी क्यों जाय? मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि प्रेस वक्तव्य में ऐसी कौन सी बात रही जिसके बारे में कहा गया कि व्यापारियों ने लाभ उठाया।

यह भी कहा गया कि सदन के सामने स्टेट ट्रेडिंग की बात मैंने नहीं रखी, उसको मैंने इसीलिये सदन के सामने नहीं रखा कि कहीं उससे ट्रेडर्स को उसकी झांकी न मिल जाय। इसलिये उसको पोशीदा रखा। अब हम ३८ करोड़ का गल्ला खरीदने जा रहे हैं। इसको

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

कैसे खरीदेंगे, यह बतायेंगे नहीं। इस सीक्रेट के बताने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो हम उसको स्टेट लेवी करके करें, चाहे एजेन्ट मुकर्रिर करके करें, चाहे उसको कोआपरेटिव के द्वारा करें। लेकिन इतना गल्ला हमें रखना है।

गोविन्द सिंह जी ने हिसाब लगाया ५ अरब रुपये का। उन्होंने साढ़े बारह लाख टन यहां का और ९ लाख टन बाहर का सब जोड़ लिया। वे कह रहे थे कि वैसे ही हम कमजोर हैं और भी हमारे ऊपर कर्जा हो जायगा। हम स्टेट फाईनेंस की रीढ़ को तोड़ देंगे। हमने तो कहा कि यह सब सोचने और समझने की बातें हैं। श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी जी ने ठीक ही कहा कि जब मार्केटिंग सोसाइटीज बन जायंगी और सहकारी खेती होने लगेगी तो फिर स्टेट ट्रेडिंग के क्या माने होंगे। वह तो स्वततः ही स्टेट ट्रेडिंग हो जायगी। लेकिन जब तक कोआपरेटिव नहीं बनती हैं तबतक हम रुके नहीं रह सकते। उस वक्त हम at the mercy of the traders नहीं रहना चाहते। इसलिये हम इसी वक्त से अपने पास कम से कम साढ़े ९ लाख मन गल्ला हर वक्त रखेंगे जिसका प्रोविजन इस बजट के द्वारा किया गया है। अब उसकी उपलब्धि के लिये कौन से साधन अपनायेंगे, यह आगे की बात है, अभी इसमें जाने की जरूरत नहीं है। श्री ताराचन्द माहेश्वरी जी की बात मान कर मैं व्यापारियों को इसका वलू नहीं देता हूं। श्री गेंदा सिंह जी ने एक बात और कही थी अपने जिले के सम्बन्ध में कि उन्होंने कोई कागज भी उस सिलसिले में दिया था। मुझे तो इस वक्त दिया नहीं था, हो सकता है कि पहिले कभी दिया हो। खैर, यह बात सही है कि कुछ हिस्से में दूकानें ज्यादा हैं और कुछ हिस्से में कम हैं। उन्होंने इतनी बड़ी कृपा की और यह उनकी उदारता है कि उन्होंने स्वयं ही कह दिया कि इससे सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है, यह बिलकुल जिले की खाद्य समिति के ऊपर है कि वह जैसा चाहे निर्णय करे। अब वे गलत निर्णय करें या सही निर्णय करें, उनके ऊपर ही है। फिर भी अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने खाद्य समिति के सदस्यों से परामर्श लिये बगैर ऐसा निर्णय किया तो यह उनकी ज्यादती है, ऐसा उनको नहीं करना चाहिये था। उनके डिस्क्रिशन पर तो यह चीज है कि वे खाद्य समिति को बुलायें या न बुलायें फिर भी अगर वे उस समिति के सदस्यों को बुला लेते तो यह झगड़ा आज नहीं पैदा होता। अब जो कुछ हो गया वह तो हो ही गया, लेकिन भविष्य के लिये उन सभी बातों पर अच्छी तरह से विचार कर काम किया जायगा ताकि जो खामियां हैं वे दूर हो सकें और ऐसा मैं विश्वास करता हूं कि वे दूर हो जायेंगी।

जहां तक इस डिपार्टमेंट की परमानेंसी का सवाल है, यह प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है। इस समय इस सम्बन्ध में कुछ कहना असामयिक होगा। मेरे एक मित्र ने कुछ आंकड़े देते हुए कहा कि इस समय भी उतना ही गल्ला खर्च हो रहा है जितना कि टोटल राशनिंग के वक्त होता था। अब मैं क्या कहूं! यह पहली बात है जब कि रूरल एरियाज में दूकानें खोली गयी हैं। पिछले टोटल राशनिंग में केवल शहरी एरियाज में ही दूकानें खोली गयी थीं। माननीय गेंदा सिंह जी ने यह भी कहा था कि हमारे प्रदेश में गल्ला सेंटर से कम आया। श्री जैन ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बतलाया था कि सारे हिन्दुस्तान को ३६ लाख टन गल्ला उन्होंने वितरित किया जिसमें से ६ लाख टन हमारे यहां ही आ गया। इस तरह से आबादी के अनुपात से १/६ तो हमने ले ही लिया। फिर एक बात और बतलायी गयी, शायद वे पुरानी लिस्ट देख रहे थे कि हमारे यहां दूकानों की संख्या बहुत कम है। जिस समय आप लोग हल्ला गुल्ला किये हुए थे उस समय केवल २,००० और कुछ दूकानें थीं, जब कि हमारे यहा इस वक्त ४,७३१ दूकानें हैं यानी ५,००० के लगभग हैं। अगर वैसे भी हिसाब लगाया जांय तो भी अनुपात से लगभग ज्यादा ही हैं।

हिन्दुस्तान में यह भी एक नयी बात है कि १५० से ज्यादा आमदनी वालों को कहीं पर भी इन दूकानों से अनाज नहीं दिया जाता है जब कि हमने यहां २५० रुपये तक आमदनी वालों के लिये भी कर दिया है। एक मित्र कह रहे थे कि जब तक १५० रुपये तक पूरा पहुंचा ही नहीं पायें तो फिर २५० रुपये तक काहे के लिये चढ़ गये। मैं अपने मित्र श्री ताराचन्द माहे-

श्वरी की बात समझता हूं और स्वयं उन्होंने कहा कि देहातों में गल्ला जमा है, लेकिन उसका एराइवल कम होता है इसलिये शहरों में गल्ले का भाव चढ़ जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन काश्तकारों के पास गल्ला है उनसे वोट की वजह से हम उसे छीनने की हिम्मत नहीं रखते हैं। उनका तात्पर्य यह था, मैं आप से बतलाता हूं कि १५० से २५० रुपये तक का हम शहर वालों के लिये नहीं करते तो फिर भाव किस तरह से गिरता, जब अन्न का एक दाना बाहर से नहीं आता तो भाव कैसे गिरता। यहां तो मैं अपने आप को ट्रेडर्स से ज्यादा चतुर समझता हूं। अगर गल्ला देहातों में बन्द रहता और शहर वालों को हम गल्ला नहीं देते तो फिर वे भूखों मरते और कहा जाता कि आपने ३६ लाख आदमियों को यू० पी० में मार दिया। तो किसी चीज की टिप्पणी करना बहुत सहल होता है, किसी कठिनाई को बतलाना बहुत सहल होता है मगर उसको अमल में लाना और उसके चारों तरफ की बातों को समझना बड़ा कठिन कार्य होता है। स्टेट ट्रेडिंग, मैं कहता हूं कि उनके दिल से आज हमारे दिल में ज्यादा आग है कि हमारा किसान १० रुपये मन अनाज बेचे और मुनाफाखोर ३० रुपये मन का मुनाफा खायें। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिये। अगर हमारे हाथ में हो तो सारी स्टेट ट्रेनिंग कर डालें। मगर यह भी सोचता हूं कि जिस वक्त क्यू लगा कर लोग खड़े हो जांय और फिर यहां आकर टीका टिप्पणी करें कि सरकारी अफसर ने यह मिला दिया, आधा रेत और आधी मिट्टी तो उसका जिम्मेदार कौन है ?

डाक्टर अवधेशकुमार सिनहा—आप।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—हां, तो यही तो मैं कह रहा हूं। आप रास्ते में मिला कर ले आये, मैं आपके लिये नहीं कह रहा हूं नहीं तो मेरे खिलाफ प्रिविलेज का मोशन आ जाए, लेकिन कोई मिला कर ले आये तो इसकी क्या गारन्टी ? अगर इन्क्वायरी करानी है तो मेरे पास लाते, हाउस में तो न दिखाते, मेरे कमरे में आते। मैंने खुद पकड़ा है। मैंने कानपुर और बनारस की सूजी के पैकेट देखे। मैंने देखा कि कानपुर की फर्स्ट क्लास थी, बनारस वाली में कूड़ा करकट मिला था। मैंने उसी वक्त उसकी इनक्वायरी करने के लिये कहा लोग कहते हैं कि आप करते क्या हैं ? मैं बताऊं, जरा सा गबन हुआ था मेरठ में जिसमें सेशन से १५-१५ साल की सजा और ५०,०००–५०,००० रु० जुर्माना हो गया है और अभी केस हाईकोर्ट में चल रहा है। तो यह बात नहीं है कि सरकार किसी के लिये सौफ्ट कार्नर रखती है।

श्री बी० बी० शरण जी ने बड़ा अच्छा सुझाव दिया, मैं विचार करूंगा कि व्यक्तिगत तरीके पर जो आइडेंटिटी कार्डस् दिये जाते हैं वह फेमिली कार्ड्स में चेंज हो सकते हैं ? उसकी क्या कठिनाई है यह देखना पड़ेगा।

माननीय विभव जी ने कहा कि मिलों का आटा खराब है। मुमकिन है कि उन्होंने उस समय देखा हो जबकि उसमें से करीब-करीब ६० परसेंट तक मैदा और सूजी निकल जाती थी। उस वक्त जरूर खराब था। लेकिन अब तो केवल २ परसेंट ही सूजी निकालने का नियम बना है।

मेरे एक मित्र ने कहा कि चावलों की जो खरीदारी हो रही है उसमें बोरों में अभी गड़बड़ सड़बड़ शुरू कर दी है। मैं भी इन बातों को समझता हूं कि मैंने अपने आर० एफ० सीज० और सरकारी अधिकारियों को आदेश दिये हैं कि वह जा करके रेन्डम चेंकिंग करें और जितना स्टाक हो उसमें बीच में से किसी बोरे को ले करके देखें कि कहीं बदमाशी तो नहीं हो रही है और जो ऐसा करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करें। तो हम स्वयं सजग हैं। वैसे तो सारी दुनिया में और भारत में कानून है कि कत्ल करना पाप है और जो ऐसा करेगा उसको फांसी की सजा दी जायेगी और सजा दी भी जाती है, मगर फिर भी कत्ल हो रहे हैं। अब आप अगर हमारी मदद न करें और यहां केवल विरोध करके ही अपना काम समाप्त समझें तो इसका कोई इलाज नहीं है।

[श्री जगमोहनसिंह नेगी]

माननीय ऊदल जी कह रहे थे कि हमारे साथ चलें हम दिखा सकते हैं, तो मैं कहता हूं मैं आपके साथ चलता हूं। अगर ५० मन से ऊपर बिना लाइसेंस के कोई गल्ला रखता है तो हमें बतायें हम उसके खिलाफ ऐक्शन लेंगे। अब तो हमने यहां तक किया है कि हमेशा ५० मन से ऊपर जो स्टाक रखता है उसको सरकार को इस बात की खबर देनी पड़ेगी कि उसके पास इतना गल्ला है। जो इस तरह की जखीरेबाजी करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

माननीय विष्ट जी की बातों का मैं क्या जबाव दूं और मैं उनका जबाव इसलिये भी नहीं देता क्योंकि वह चले गये हैं, उनको सुनना जरूरी नहीं था केवल अपनी बात उन्हें कहनी थी वह कह कर चले गये। इसलिये मुझे भी उनका जबाव नहीं देना है, मुझे किसी को व्यक्तिगत जबाव तो देना नहीं, बाकी जहां तक उनकी पार्टी की बात है वह कह रहे थे कि हमारे कहने से या प्रस्ताव पास करने से ट्रेडर्स को सहारा मिला है कि उन्होंने भाव बढ़ा दिये तो इससे जनसंघ की पापुलेरिटी सिद्ध हो जाती है। यह तो सिद्ध होता ही है, लेकिन इससे यह भी साबित होता है कि जनसंघ की पापुलेरिटी होर्डिंग क्लास में ज्यादा है, इस चीज को हम स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने में हमें कोई संकोच भी नहीं है।

जैसा मैंने कहा कि टोटल राशनिंग की व्यवस्था करने की आवश्यकता हमें अभी तो खैर, चूंकि नई फसल आ रही है, भगवान न करे ऐसी विपत्तियां और प्राकृतिक प्रकोप हमारे सूबे पर फिर से आवें, लेकिन अगर आ गये तो मैंने जैसा कि माननीय सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से देवरिया से राय लेना आरम्भ किया था एक कार्यक्रम सबसे मिलने का और जो सुझाव हमें तमाम जिलों से मिलते जाते हैं वह हम लिपिबद्ध करते जाते हैं और उनमें जितनी कामन बातें होंगी, उचित होंगी उनको कार्यान्वित किया जायगा। वैसे तो बीज की दूकानें चालू रहेंगी, आप थोड़ी देर को पार्टीबाजी छोड़ दें और इस बात को छोड़ दें कि हमें तो सिद्ध ही करना है कि सरकार ने गलत किया है और उसकी नीति ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप निष्पक्ष रूप से जांच करें तो मैं बताऊंगा कि भाव के उतार चढ़ाव पर सही बात माननीय त्रिलोकी सिंह जी ने कही थी कि स्टेट ट्रेडिंग के नारे से ही उनका दिमाग बौखला गया और उन्होंने पुरजोर कोशिश की कि किसी तरह से उनके आगे सरकार घुटने टेक दे और हम पार न पा सकें और बनिये से वह पार नहीं पा सकती, मेरा मतलब ट्रेडिंग क्लास से है अगर बिरादरी शब्द कहा था तो कभी आप भी हमारी बिरादरी में थे, बिरादरी तो बनती और बिगड़ती रहती है। मुमकिन है कल को वह भी उधर से इधर आ जायं, यहां आने के लिये तैयार हो जायं। मैं यह भी कह रहा हूं मुमकिन है हम ही आप की बिरादरी में आ जायं, यह तो होता ही रहता है। तो मैं ट्रेडिंग वर्ग के बारे में कह रहा था, हो सकता है कि कोई वर्ग से या पेशे से हो और आज व्यापारी न हो, लेकिन जो ट्रेडिंग क्लास है वह भाव न बढ़ाने पाये जिससे वह अनुचित लाभ उठावे। नाराजी दिखाई, हड़ताल करने की चेष्टा की और त्रिलोकी सिंह जी का भी यही कहना है। उस में वह थोड़े से सफल हुए---भाव के बढ़ाने में। हमने भी जैसा कि जादूगर करता है कि वह चील बना या सांप बना तो वह नेवला बन गया। उन्होंने नेवला का जो जवाब हो, वह बनने की कोशिश की तो हमने भी उसका जबाव दिया। वह समझते थे कि ये खामख्वाह की डींग मार रहे हैं, गप हांक रहे हैं तो क्या माहेश्वरी जी के कहने के अनुसार मैं चुप हो जाऊं और वह सर पर चढ़ जायं? अगर यही तात्पर्य है तो ठीक है। मैंने तो इसको मुनासिब नहीं समझा और यह दिखाने की चेष्टा कर रहा हूं कि ८०,००० मन व्हीट हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से लिया जब कि हमारा कोटा २०-२५ हजार मन मंथली कोटा फिक्स्ड् था और उनको यह दिखाई दिया कि हम कोरी डींग मार रहे हैं, हमारे पास गल्ला नहीं है। मने दीपक के बुझाने की बात जनसंघ को संबोधित करते हुए नहीं कही थी, लेकिन वह अपने लिए समझे, खैर, यह तो "चोर की दाढ़ी में तिनका" वाली बात है। मैंने तो ट्रेडर्स के लिए कहा था।

एक सदस्य---जनसंघ का दीपक नहीं बुझ सकता।

श्री जगमोहनसिंह नेगी—ठीक है, वह नकली कागज पर जलता रहेगा। मैंने कहा था कि यह आखिरी लौ है ट्रेडर्स की और उनकी कीमतों के बढ़ाने की चेष्टा की। इसके बाद उनकी हिम्मतें पस्त हो जायेंगी। हम तो सस्ते गल्ले की दूकानें तब तक खोले रहेंगे जब तक कि गल्ले के भाव ठीक तरह से न आ जायं और हमारे पास उसके लिए गल्ला है।

यह सही है कि हमने खरीदारी नहीं की। उसके लिए हमें सोचना पड़ता है कि अगर हम टोटल राशनिंग कर दें और उसका वितरण ठीक न हो तो बहुत सी खराबी आ सकती है। इसीलिए हमने चावल का स्टाक दूसरे रूप में किया, क्योंकि धान के रूप में लेने में मुझे खतरा था कि कहीं सीधे खरीदने में खराबी न आ जाय, फिर उसको चावल में कनवर्ट करने में स्टेट को नुक्सान आ सकता है। तो उसके लिए हमने दूसरा रास्ता अख्तियार किया और गेहूं और अन्य फसलों के लिए दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। मिनिमम प्राइस जरूर फिक्स होंगी। चाहे किसान से हम ओपेन बाजार में खरीदें या एजेंट के जरिये से, यह मैं बताना नहीं चाहता कि कौन सा तरीका अख्तियार करेंगे। मुमकिन है कि यदि यही रवैया रहा और भावों को बढ़ाने की चेष्टा की गयी तो हम हरगिज किसी ट्रेडर के द्वारा कोई खरीदारी नहीं करेंगे और उनको ऐलूफ करेंगे और अगर वह ठीक ठिकाने से आ जायंगे तो मुमकिन है कि खरीदारी उनकी एजेंसी द्वारा की जाय। यह जो ५ अरब की बात की जाती है, मैं ५ अरब की नहीं करता। जिस वक्त चावल की नयी फसल आयी थी और हमने बाजार में खरीदारी शुरू की तो गेहूं के भाव बढ़ गये, यह उनका कहना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एक बात बता दूं कि हम चावल को नहीं खरीदते तो स्टेट ट्रेडिंग क्या हुई? और खरीदेंगे तो बाजार में जायंगे ही और उसके लिए हम प्रिपेयर्ड थे कि अगर कहीं पर ११ रुपये मन से नीचे पैडी की कीमत गिरती है तो प्राइस सपोर्ट के लिये हम परचेज करना शुरू कर देंगे डाइरेक्ट फ्राम किसान्स। मैं भेद तो नहीं खोलता, लेकिन मेरे हिन्ट से आप लोग समझ गये होंगे।

पैडी वाली दिक्कत गेहूं में नहीं है। उसके लिये भी मैं सीधे नहीं बताता, लेकिन आप समझ गये होंगे, मैं केवल उसके करने के तरीके नहीं बता रहा हूं, लेकिन क्या होगा यह बता चुका हूं। मैं फिर भी बताता हूं कि इतने रुपये का गल्ला तो हमारे पास हर वक्त रहेगा जितने की मांग मैंने प्रस्तुत की है और वह सेफर स्टाक रहेगा। मैंने हिसाब लगाया है कि सारे सूबे में साढ़े १२ मिलियन टन्स से जो मैंने उत्पादन बताया था नार्मल तरीके से, उसमें ५ या ६ छटांक के करीब बैठता है और इसमें आवश्यकता ४ छटांक की है तो वह उसको मीट कर लेगा।

अब और कहने की आवश्यकता नहीं है। लगभग सभी बातों का उत्तर मैं दे चुका हूं। जहां तक प्राइस फिक्सेशन बोर्ड की बात है मैं कह चुका हूं कि उसका सम्बन्ध सैन्ट्रल गवर्नमेंट से है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कौंसिल के लोग सही रूपरेखा स्टेट ट्रेडिंग की देख रहे हैं। हम सिर्फ उनको सलाह दे सकते हैं। उसमें उनको सारे हिन्दुस्तान की प्राइस को देखना है। इसको वही करेंगे और इसीलिये मैं इसके बारे में कुछ कहने में असमर्थ हूं।

जहां तक कष्ट है और सब मसले हैं वह समय से दूर होंगे। अब अगर बहाना ढूंढना ह क्रिटिसाइज करने का तो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन जो सही बात है उसके लिये मुझे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है, आपकी अन्तरात्मायें स्वयं प्रज्वलित होंगी और वही बता सकती हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वह बिलकुल ठीक है और सही है।

श्री उपाध्यक्ष—अब मैं श्री चन्द्रजीत यादव के प्रस्ताव को लेता हूं। प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य —नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। राज्य व्यापार की योजना के अन्तर्गत गल्ला खरीद की विधि तथा मूल्य निर्धारण की नीति में परिवर्तन की आवश्यकता।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---अब श्री राघवेन्द्रप्रतापसिंह वगैरह के प्रस्ताव पर मत लेता हूं।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। कृषि पदार्थ के उचित मूल्य निर्धारण और उसके विधि पर विचार प्रकट करना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---श्री ताराचन्द्रजी माहेश्वरी का प्रस्ताव यह है।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। अन्न की वसूली और वितरण की व्यवस्था उचित न होने के कारण अन्न की महंगाई का चरम सीमा पर पहुंच जाना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्योरा जिसपर चर्चा करने का अभिप्राय है। खाद्य विभाग में बहुत वर्षों से अस्थायी चले आ रहे कर्मचारियों के पदों का स्थायी किये जाने पर विचार।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ५३---लेखा शीर्षक ८५-क- राज्य व्यापार की सरकारी योजनाओं पर पूंजी की लागत (Capital outlay) के अन्तर्गत ३८,८०,१५,००० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
९ मार्च, १९५९।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८० पर)

तालिका

कार्यों के नाम	सदर तहसील		फरन्दा तहसील		बांसगांव तहसील		महराजगंज तहसील	
	१९५५–५७	१९५७–५८	१९५५–५७	१९५७–५८	१९५५–५७	१९५७–५८	१९५५–५७	१९५७–५८
१—शुद्ध नस्ल के पशु वितरित किये गये—								
(क) गाय ..	९	..	..	..	२०	..	१	..
(ख) भैंस ..	१५	..	..	..	१२	..	३	८
(ग) प्रजनन हेतु सांड ..	११	१५	६	२	४	१	३	५
(घ) बकरा ..	४	..	२	..	..	..	३	..
(ङ) सुअर ..	१	..	..	..	..	..	..	..
(च) मेढ़ा ..	..	..	..	..	१६	..	..	..
२—पशुओं को बधिया किया गया ..	१,६९०	२,५२१	१,२८१	१,८९८	१,४९०	८०६	१,१०६	१,८६९
३—कृत्रिम गर्भाधान कन्द्र तथा सब सेन्टर पर गर्भित किये गये पशुओं की संख्या								
(क) गाय ..	५९	२१८	..	..	..	..	..	..
(ख) भैंस ..	२१२	५६३	..	..	..	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६८० पर)

प्रदेश में कुछ मंडियों के गेहूं के थोक भाव

तालिका

मंडी का नाम		४–११–५८	१५–११–५८	२०–११–५८	२५–११–५८
					प्रतिमन
लखनऊ	..	२२.८६	२२.०७	२२.०७	२०.९९
कानपुर	..	२१.३३	२२.८६	२३.७०	२४.६२
हापुड़	..	२४.५०	२३.६२	२३.७५	२४.००

पी० एस० ब० पी० ए० पी०—३ एल० ए०—१९५९—८४५ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश